41वीं वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी

www.hsccltd.co.in

A
B
તાત્કાલિક સારવાર અને ટ્રોમા

ह. स. कं. क.

HSCC

एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6(ए), सैक्टर–1, नौएडा (उ.प्र.) – 201301

फोन – 91–120–2542436–40

ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in

सीआईएन नंबर : U74140DL1983GOI015459

वेबसाइट : www.hsccltd.co.in

न्यू फ्लैक शिक्षण अस्पताल

विजन, मिशन, कॉर्पोरेट मूल्य और कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

विजन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा के संवर्धन हेतु, अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में अपनी मुख्य क्षमता का लाभ उठाने और अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक उत्साहजनक एवं सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी परामर्श कंपनी बनने की दिशा में, मूल्य वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करना।"

मिशन

"भारत और विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य उद्देश्यों हेतु भवनों और अधोसंरचना के विकास के लिए व्यापक, अवधारणा, परियोजना नियोजन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण, और संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करना।"

कॉर्पोरेट मूल्य

- ग्राहक हेतु मूल्यवर्धन पर ध्यान देना।
- संगठन के भीतर रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना,
- एक शिक्षण संगठन बनाना।
- टीम भावना हमारी सभी गतिविधियों के लिए प्रवर्तक है।

कॉर्पोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना।

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205 (द्वितीय तल), ईस्ट एंड प्लाजा,
प्लॉट नंबर 4, एलएससी, सेंटर–II,
वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096
सीआईएन नंबर: U74140DL1983GOI015459
वेबसाइट: www.hsccltd.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
ई–6 (ए), सेक्टर–1, नोएडा – उ.प्र. – 201301
संपर्क: 91–120–2542436–40
फैक्स: 91–120–2542447
सीआईएन नंबर: U74140DL1983GOI015459
वेबसाइट: www.hsccltd.co.in

सांविधिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
बेसमेंट, सी–56,
स्वामी नगर, ब्लॉक–सी
नई दिल्ली–110017

आतंरिक लेखा–परीक्षक

मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
18/12 डब्ल्यूईए, आर्य समाज रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
257, वर्धमान सिटी सेंटर–2
शक्ति नगर रेलवे अंडर ब्रिज के पास,
दिल्ली– 110052

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा, मॉरीशस
आईडीएफसी बैंक
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

विषय सूची

1.	निदेशकों' का संक्षिप्त परिचय	6
2.	कार्यनिष्पादन पर एक नजर	9
3.	सर्विस स्पैक्ट्रम	11
4.	अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन	12
5.	प्रबंध निदेशक का पत्र	15
6.	सूचना	18
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	24
	– प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	39
	– कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट	43
	– अन्य अनुलग्नक	50
8.	भारत के नियंत्रक और महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ	74
9.	वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट	77
10.	वित्तीय विवरण	93

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री के. पी. महादेवस्वामी
अध्यक्ष

श्री के. पी. महादेवस्वामी ने 01 अक्टूबर, 2023 को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, जोकि एक मिनी रत्न सीपीएसई है, के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका संभाली, साथ ही एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाली। 2005 में एनबीसीसी के साथ उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हुए, श्री के. पी. महादेवस्वामी ने असाधारण नेतृत्व और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया और एनबीसीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनने के लिए संगठन में सफलतापूर्वक आगे बढ़े।

इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में स्नातक की है। उन्होंने रिसर्च में एमटेक भी किया है। श्री स्वामी ने आईआईएम कलकत्ता से नेतृत्व और प्रबंधन में एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम के साथ अपने व्यवसाय प्रबंधन और नेतृत्व कौशल को और समृद्ध किया है। श्री स्वामी के पास निर्माण उद्योग में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक और समृद्ध अनुभव है।

अपने पेशेवर सफ़र के दौरान, श्री स्वामी ने देश भर में उच्च–मूल्य, जटिल और विविध सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन करके अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालय भवनों के निर्माण से लेकर भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाने के काम और गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना की देखरेख तक, उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार एचएससीसी के लिए परियोजनाएँ पूरी कीं। एचएससीसी में अपने कार्यकाल से पहले, श्री स्वामी को बड़े पैमाने की रिफाइनरी कंपनी, यानी पीएसयू, बीएचपीवी (भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड) के साथ काम करने का अनुभव था और उन्होंने रिफ्रैक्टरी कार्य के लिए प्रतिष्ठित एमएनसी के साथ भी अनुभव प्राप्त किया। उन्हें वर्ष 1991 में एक प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय अवसंरचना और निर्माण कंपनी के साथ प्रीकास्ट तकनीक का उपयोग करके काम करने का भी अनुभव है।

श्री नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक

श्री नौमान अहमद एक सिविल इंजीनियर हैं उन्होंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से एएमआईई (सिविल इंजीनियरिंग) और एम.ई. (सिविल इंजीनियरिंग) किया है। उन्होंने फरवरी 2023 में एचएससीसी में कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे हैं। एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एक मिनीरत्न सीपीएसई कंपनी है जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एचएससीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री अहमद ने विभिन्न शीर्ष पदों पर रहते हुए एनबीसीसी में अपनी सेवाएं दी हैं। प्रमुख रूप से उन्होंने एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) (एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद पर कार्य किया है।

श्री अहमद ने 29 वर्षों से अधिक अवधि के अपने कैरियर में सरकार के साथ काम करने के अलावा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), आईएफसीआई लिमिटेड और स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में काम किया है। इन प्रतिष्ठित संगठनों में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजना व्यवहार्यता (तकनीकी एवं वित्तीय) अध्ययन करने के अलावा लगभग सभी प्रकार की रियल एस्टेट परियोजनाओं में परियोजना आयोजन, निगरानी एवं कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न शीर्ष पदों की भूमिकाएं निभाई है।

श्री रवि रंजन
निदेशक (इंजीनियरिंग)

श्री रवि रंजन ने 01 मार्च, 2023 को एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में निदेशक (इंजीनियरिंग) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। निदेशक (इंजीनियरिंग) का कार्यभार संभालने से पहले, श्री रवि रंजन एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। वे एचएससीसी में उप प्रबंधक के रूप में नियुक्त हुए थे और सतर्कता अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2001 में एचएससीसी में नियुक्त होने से पहले, उन्होंने सीसीआई और एनआईडीसी जैसी विभिन्न सीपीएसई कंपनियों में कार्य किया। श्री रवि रंजन ने सिविल इंजीनियरिंग और एम.बी.ए. (मार्केटिंग) की डिग्री अर्जित की है।

अपने तैत्तीस (33) वर्षों के समग्र कार्य अनुभव के दौरान, वे परियोजना आयोजन, प्रबंधन और व्यवसाय परिचालन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने विश्व बैंक परियोजनाओं (कर्नाटक सरकार की एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति, भारत सरकार की खाद्य एवं औषधि क्षमता निर्माण) के निष्पादन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना; मिजोरम, मणिपुर और राजस्थान सरकार तथा देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों की स्थापना में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कंपनी के विभिन्न प्रभागों की समग्र लाभप्रदता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और संगठन में अग्रणी भूमिका निभाई है।

श्रीमती डी. थारा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती डी. थारा 1995 बैच की भारतीय सिविल सेवा (आईएएस) संवर्ग की अधिकारी हैं। वे 01.01.2020 को कंपनी में सरकारी नामित निदेशक के रूप में एचएससीसी के बोर्ड में शामिल हुई हैं।

उन्हें खेड़ा शहर में 1 साल की अवधि का और अहमदाबाद में 3 साल की अवधि का भूमि राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन विभागों में कलेक्टर के रूप में भी कार्य करने का अनुभव है। सुश्री थारा ने लगभग 2 वर्षों तक अहमदाबाद नगर निगम में उप निगम आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है।

वह 24 जून 2016 से गुजरात औद्योगिक विकास निगम, गांधीनगर की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। उसके बाद उन्होंने 29 जुलाई 2019 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

डॉ. दीपक सिंह भाकर
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. दीपक सिंह भाकर एमबीबीएस एवं एमडी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रबंधन में पीजी कोर्स और जी.आई.एस. में सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान और बायोमेडिकल डेटा विश्लेषण मेंकोर्स किया है।

उन्होंने विभिन्न स्तरों पर 29 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में सहायक प्राध्यापक और जीएमसीएच, उदयपुर (राजस्थान) में एसोसिएट प्राध्यापक के रूप में काम किया है। उन्होंने केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, भारत सरकार; वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री; मुख्यमंत्री (छत्तीसगढ़) के ऑफिसर ऑन ड्यूटी (ओएसडी) के रूप में भी काम किया है।

वह मेडिको लीगल अपडेट (ISSN 0971-1929) के सहायक संपादक रह चुके हैं, जोकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स का आधिकारिक अंग है। वह जर्नल मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (ISSN0971-1929) के मुख्य संवाददाता थे। उनकी संपादकीय सलाहकार, जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल एंड एथिकल इश्यूज, बेंगलुरु में सदस्यता है। वे अमेरिका, थाईलैंड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमेरिका, बोत्सवाना, रूस, जर्मनी, मलेशिया, मॉरीशस आदि देशों का दौरा कर चुके हैं।

कार्यनिष्पादन पर एक नजर

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में 1,38,113.82 लाख रूपए का कारोबार तथा 5,461.71 लाख रूपए कर पश्चात लाभ अर्जित करते हुए एक बार फिर उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किया है।

कंपनी को 1983 में रु. 40 लाख की चुकता पूंजी के साथ निगमित किया गया था। बाद में रु. 200 लाख के बोनस शेयर जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी बढ़कर रु. 240 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2017–18 में, कंपनी ने 25% पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के वापसी–खरीद (बायबैक) को संसाधित किया, जिसके परिणामस्वरूप चुकता शेयर पूंजी घटकर रु. 180 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कंपनी का 100% रणनीतिक विनिवेश किया गया, और इस प्रकार एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ मौजूदा 100% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया।

एचएससीसी के उद्देश्यों एवं रणनीतियों को व्यापार वृद्धि के माध्यम से निवल–मूल्य को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च राजस्व एवं मुनाफे के साथ–साथ मजबूत तथा तनाव मुक्त नकदी प्रवाह सृजित करते हैं। इस तरह हम कंपनी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, और एक ही समय में एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ–साथ शेयरधारकों हेतु आकर्षक लाभांश भी बनाए रखेंगे।

हम गुणवत्ता एवं समय सीमा दोनों को अपनाकर अपने ग्राहकों को हेल्थकेयर क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन, नवीनतम सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आय	2,13,176	1,29,289	1,36,219	1,10,421	1,39,702.28
कर पूर्व लाभ	6,424	1,361	3,321	2,339	5,461.71
निवल लाभ	3,763	982	2,517	2,267	3,956.33
निवल मूल्य	10,978	11,774	14,361	16,222	19,325.36
लाभांश	2,500	589	618	812	1,188.00
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटी निर्धारण	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा	सर्वश्रेष्ठ (अपेक्षित)

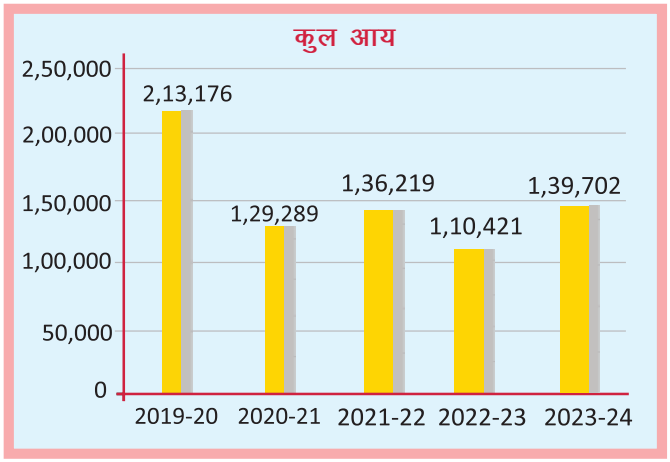

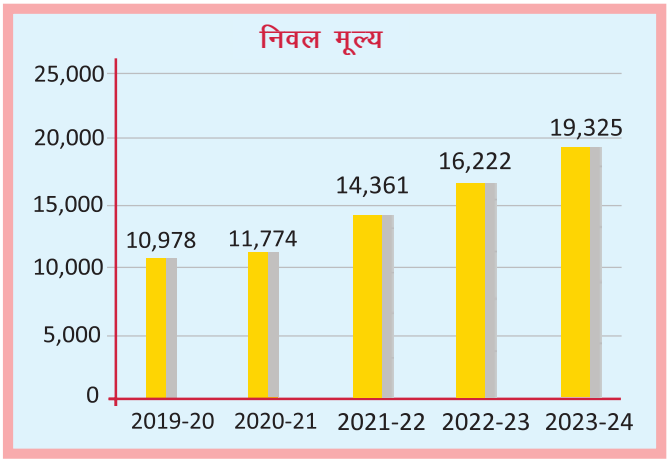

दशक के वित्तीय परिणाम पर एक झलक

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वित्तीय प्रदर्शन										
प्रदत्त पूंजी	240	240	240	180	180	180	180	180	180	180.01
रिजर्व और अधिशेष	13,693	17,182	19,585	17,023	13,690	10,798	11,594	14,181	16,042	19,145.35
निवल मूल्य	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870	10,978	11,774	14,361	16,222	19,325.36
शुद्ध नियत संपत्तियां	649	635	699	688	7,496	7,366	7,223	7,098	7,129	7,042.95
कार्यशील पूंजी*	14,165	17,519	24,083	17,188	3,339	(-) 3,779	1,684	5,997	7,679	12,054.26
नियोजित पूंजी	13,933	17,422	19,825	17,203	13,870	10,978	11,774	14,361	16,222	19,325.36
ऑपरेटिंग आकड़ें										
परामर्श शुल्क**	49,004	1,02,180	1,51,116	1,51,311	2,04,946	2,12,509	1,29,060	1,36,041	1,10,262	1,38,113.82
ब्याज और अन्य आय	8,572	8,518	10,809	9,910	2,158	667	229	177	159	1,588.46
कुल आय	57,576	1,10,698	1,61,925	1,61,220	2,07,104	2,13,176	1,29,289	1,38,903#	1,10,421	1,39,702.28
व्यय	53,782	1,01,948	1,56,236	1,55,320	1,99,111	2,06,590	1,27,780	1,35,442	1,07,938	1,34,068.96
कुल लाभ	3,863	8,750	5,689	5,900	7,993	6,586	1,509	3,461	2,483	5,633.32
मूल्यह्रास	69	63	73	78	44	162	148	140	145	171.61
कर देने से पूर्व लाभ	3,794	8,687	5,616	5,822	7,949	6,424	1,361	3,321	2,339	5,461.71
कराधान के लिए प्रावधान	1,341	3,225	1,855	2,075	2,968	2,661	379	804	71	1,505.38
कर अदायगी के बाद लाभ	2,454	5,462	3,761	3,747	4,981	3,763	982	2,517	2,267	3,956.33
लाभांश	492	1,638	1,128	1,124	2,989	2,500	589	618	812	1,188.00
जनशक्ति										
कर्मचारी (में संख्या)	153	162	176	184	177	187	183	179	-	
(नियमित वेतनमान पर)										
अनुपात										
पीबीटी/कुल आय (%)	7%	8%	3%	4%	4%	3%	1%	2%	2%	4%
निवल लाभ/कुल आय (%)	4%	5%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%	3%
निवल लाभ/ निवल कीमत (%)	17%	31%	19%	22%	36%	34%	8%	18%	14%	20%
प्रति कर्मचारी कुल आय	376	683	920	876	1,248	1140	706	776	-	
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	1,022.5	2,276	1,567	2,081	2,767	2,090	546	1,398	1,260	2198
प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	5,805	7,259	8,260	9,555	7,705	6,099	6,541	7,978	9,012	1073

*वित्त वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं। पुनः मापन, पुनः वर्गीकरण और आवश्यक आंकड़ों के पुनः समूहीकरण के कारण मूल्य में भिन्नता है।

**वित्त वर्ष 2023–24 के लिए परामर्श शुल्क में किए गए कार्य का मूल्य रु. 1,28,565.64 लाख और परामर्श शुल्क रु. 9,548.17 लाख शामिल है।

#कुल आय में रु. 2684.55 लाख की असाधारण मद शामिल है।

सर्विस स्पैक्ट्रम

वैचारिक अध्ययन और प्रबंधन

परामर्श

- आधारभूत सर्वेक्षण और आर्थिक अध्ययन
- महामारी विज्ञान सर्वेक्षण
- सिस्टम प्लानिंग
- व्यवहार्यता अध्ययन
- पुनर्गठन / पुनर्निर्माण अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

प्रापण

- ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स
- चिकित्सकीय संसाधन
- अन्य उपकरण
- संचार प्रणाली
- उपकरण
- फर्नीचर और फिक्स्चर

परियोजना प्रबंधन

- परियोजना नियोजन जिसमें ठेकेदारों का चयन और कार्य का सौंपा जाना शामिल है
- परियोजना निगरानी
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- अनुबंध प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी

- स्वास्थ्य एमआईएस
- प्रणाली एकीकरण

सुविधा डिजाइन

- वैचारिक डिजाइन
- बेसिक डिजाइन
- वास्तुकला डिजाइन / योजनाएं
- इंजीनियरिंग डिजाइन
- उपकरण योजना
- कचरे का प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

इंजीनियरिंग अध्ययन

- नवीनीकरण/पुनर्वास
- आधुनिकीकरण/उन्नयन
- एक्सपेंशन
- उत्पादकता/दक्षता में सुधार

लॉजिस्टिक्स और इंस्टॉलेशन

- परिवहन
- समाशोधन और अग्रेषण
- साइट डिलीवरी
- इंस्टॉलेशन
- परीक्षण एवं कमीशनिंग
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधीकरण)

- इंजीनियरिंग और सुविधाओं का रखरखाव
- पशु वैक्सीन विनिर्माण सुविधाएं
- फार्मास्युटिकल विनिर्माण सुविधाएं
- प्रवासी चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण
- जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
- न्यू डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में परियोजनाए

के.पी. महादेवस्वामी
अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन

प्रिय शेयरधारक,

राजस्व और रोजगार दोनों ही मामले में स्वास्थ्य सेवा भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गई है। चिकित्सा सेवाओं की अपेक्षाकृत कम लागत के कारण देश में चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि हुई है, जो दुनिया भर से रोगियों को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा, भारत अपने कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और नैदानिक अनुसंधान में किफायती लागत के कारण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी उभरा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक यह थी कि ''देश में अगले पांच वर्षों में 75,000 नए मेडिकल कॉलेज सीटों का निर्माण होगा।'' यह दर्शाता है कि चिकित्सा क्षेत्र भविष्य में बड़े पैमाने पर विकास के लिए तैयार है।

मुझे एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

एचएससीसी एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी है, जिसके पास स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में लगभग चार दशकों का समृद्ध और विविध अनुभव है। कंपनी विशेष स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवा परामर्श में एक विशेष स्थान बनाया है। इसकी व्यापक विशेषज्ञता में नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ–साथ चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है। एचएससीसी व्यवहार्यता अध्ययन और निविदा दस्तावेजीकरण से लेकर खरीद और परियोजना प्रबंधन तक, संपूर्ण बहु–विषयक सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सिविल, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, आईटी, बायो–मेडिकल और सहायक क्षेत्र शामिल हैं।

कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित तुलन पत्र, साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ पहले ही आपके साथ साझा की जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से, मैं अब उन्हें पढ़ना शुरू करूँगा।

कार्यनिष्पादन का अवलोकन

मैं सबसे पहले वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय निष्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा करना चाहूँगा। एचएससीसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एचएससीसी 3,956 लाख रुपये के कर पश्चात लाभ (पीएटी) के साथ मुनाफा कमाने वाली कंपनीं बनी रही, जबकि वित्त वर्ष 2022–2023 में यह लाभ 2,267 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2021–22 में 2,517 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2020–21 में 1,368 लाख रुपये थी। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से सकारात्मक निवल मूल्य दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2023–24 में 19,325 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

एचएससीसी पिछले 39 वर्षों से लाभांश का भुगतान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में, भुगतान किए गए लाभांश में वित्त वर्ष 2020–21 में 5.89 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021–22 में 6.18 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022–23 में 8.12 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश और प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर रु. 660/– प्रति शेयर अंतिम लाभांश की राशि 11.88 करोड़ रुपए का भुगतान प्रस्तावित है।

इस वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आरएमएल पीजी हॉस्टल, एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, एम्स मंगलगिरी, पीजीआई चंडीगढ़ में एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एम्स दिल्ली डेंटल ब्लॉक, हनुमानगढ़ (राजस्थान) में नया मेडिकल कॉलेज आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने मॉरीशस में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कीं, जैसे बेल एयर में मेडिक्लिनिक, स्टेनली में मेडिक्लिनिक, क्वार्टर मिलिटेयर में मेडिक्लिनिक, ग्रैंड बोइस में मेडिक्लिनिक, सेंट फ्रैंकोइस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राष्ट्रीय कैंसर केंद्र, मॉरीशस आदि।

व्यावसायिक अवसर और परियोजनाएँ

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिसके कारण कीमतों में गिरावट आई है और मार्जिन पर असर पड़ा है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उभरते अवसर महत्वपूर्ण हैं। देश में अस्पतालों, बिस्तरों, डॉक्टरों, गुणवत्तापूर्ण निदान और कुशल स्वास्थ्य सेवा कर्मियों जैसी अन्य चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सरकार बड़े पैमाने पर इस अंतर को पाटने के लिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए, प्रतिबद्ध है। इसमें नई सुविधाओं के निर्माण के साथ–साथ देश भर में मौजूदा अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन शामिल है। स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की मांग में भी नए सिरे से उछाल देखा जा रहा है क्योंकि अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मैदान में उतर रहे हैं। एक और खुला अवसर है सार्क के देशों में, वे भी स्वास्थ्य सेवा में भी भारी वृद्धि करना चाह रहे हैं। एचएससीसी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवा परामर्श प्रदान करने में अग्रणी है और इस विकास के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए तैयार है और निकट भविष्य में इनमें से बड़ी संख्या में परियोजनाओं को हासिल करने का लक्ष्य रखता है।

इस वर्ष के दौरान प्रमुख चाल रही घरेलू परियोजनाएं हैं: एम्स राजकोट, जीएमसी जलगांव, निम्हान्स बैंगलोर में कॉमन लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स, टीसीसीसी गोवा, दौसा, अलवर, नागपुर, बांसवाड़ा (राजस्थान) में नया मेडिकल कॉलेज, एम्स (नई दिल्ली) में वर्टिकल एक्सपेंशन ब्लॉक, हिमाचल प्रदेश के 4 स्थानों पर जटिल उपचार ब्लॉक, एम्स (दिल्ली) में यूजी पार्किंग में वेटिंग हॉल आदि।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही प्रमुख परियोजनाओं में क्यूबा गणराज्य, फिजी गणराज्य और सीरिया गणराज्य को विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए दवा की खरीद और आपूर्ति शामिल है। मॉरीशस में अन्य परियोजनाओं में मोका में नए नेत्र अस्पताल का निर्माण, जे. नेहरू अस्पताल में एक रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट, फ्लैक टीचिंग अस्पताल, कैप मालहेरेक्स और न्यू ग्रोव में क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।

चिकित्सा शिविर

एचएससीसी ने विभिन्न जीएमसी के साथ मिलकर अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए। पेशेवर चिकित्सकों और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से कर्मचारियों को इस पहल का लाभ मिला।

बढ़ते कदम

देश के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ एचएससीसी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास और विस्तार की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है।

इस वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने नई परियोजनाएं हासिल की हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पीएम–एबीएचआईएम परियोजना, जलगांव में होम्योपैथी अस्पताल और कॉलेज, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ का सीसीयू, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटैल, हरियाणा और हरियाणा में दो अन्य स्थानों (भिवानी और महेंद्रगढ़) के लिए फर्नीचर और उपकरण, मुंबई में एक मानसिक प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की आपूर्ति, एम्स गुवाहाटी में छात्रावास/आवासीय ब्लॉक का निर्माण, डिब्रुगढ़ में आयुष अस्पताल का निर्माण, मस्जिद मोड़ एम्स नई दिल्ली में एक नए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में एडवांस आई सेंटर और कोल्हापुर, डीएमईआर, महाराष्ट्र आदि में 600 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल। अन्य गतिविधियों में शामिल हैं:

- महाराष्ट्र सरकार की पहल–"जांच–से–उपचार आरोग्य योजना"का समर्थन करना: एचएससीसी अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में बीओएमटी मोड पर लगभग 2000 अस्पताल बिस्तर बनाने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य इसे 30 वर्षों से अधिक समय तक चलाना है।
- एचएससीसी विभिन्न राज्य सरकारों के साथ पीपीपी मोड पर अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब स्थापित करने की संभावनाओं की भी खोज कर रहा है।
- एचएससीसी ने एम्स जैसे विभिन्न केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को कुशल जनशक्ति की आपूर्ति करने की प्रक्रिया भी शुरू की है।
- एचएससीसी विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के अस्पतालों में आम जनता को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपनी खुद की फ़ार्मेसी स्थापित करने की संभावनाओं की भी खोज कर रहा है।

एचएससीसी को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लगभग 3,920 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

अभिशासन और जनता

एचएससीसी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन विनियमों का पालन किया है। विवरण 'कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट' अनुभाग में संदर्भित किया जा सकता है जो निदेशकों की रिपोर्ट का एक हिस्सा है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इस वर्ष के दौरान, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वार्षिक खातों पर 'शून्य' टिप्पणियां की हैं।

एचएससीसी का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचएससीसी कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सांविधिक मानदंडों के अनुसार निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन में सराहनीय प्रगति की है। एचएससीसी के पास दृढ़ और समर्पित कार्यबल है जो गहन अनुभवी नेतृत्व टीम के मार्गदर्शन में काम करता है जो एचएससीसी की निरंतर प्रगति और अटूट प्रदर्शन के पीछे प्रेरक शक्ति बना हुआ है।

अभिस्वीकृति

मैं विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, हमारे प्रशासनिक मंत्रालय यानी आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए), निदेशक मंडल के सदस्यों, कैग के साथ–साथ अन्य संगठनों और नियामक निकायों के प्रति हार्दिक आभार और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ। एचएससीसी को दिए गए उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग अमूल्य और अत्यधिक अभिस्वीकृत रहे हैं। हमारा निश्चित रूप से यह प्रयास रहेगा कि हम कंपनी की निरंतर वृद्धि, विस्तार और समृद्धि के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में सभी हितधारकों को लाभ मिले। मैं ईमानदारी से अपने आपूर्तिकर्ताओं, एजेंसियों और विक्रेता भागीदारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी मदद के बिना कंपनी परियोजनाओं के शानदार निष्पादन में सक्षम नहीं हो पाती और सबसे महत्वपूर्ण बात एचएससीसी के प्रत्येक कर्मचारी को उनकी प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने सभी शेयरधारकों, हितधारकों और बैंकरों को एचएससीसी में उनके निरंतर विश्वास बनाए रखने और भरोसे के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,
ह/–
(के. पी. महादेवस्वामी)
अध्यक्ष
डीआईएन नंबर 10041435

नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक की ओर से पत्र

प्रिय शेयरधारक,

मुझे हमारी कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके समक्ष वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें वित्तीय विवरण के साथ–साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड वर्तमान में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में है। वर्ष 1983 में स्थापित एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान करने के मिशन के साथ की गई थी, जिसमें संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक शामिल है। अपनी स्थापना के बाद से, एचएससीसी ने वर्षों के दौरान लगातार प्रगति की है और विकास किया है। कंपनी हमेशा लाभ कमाने वाली संस्था रही है, जो इसकी क्षमताओं और सशक्तता का एक मजबूत प्रमाण है।

एचएससीसी को हमारी मूल कंपनी – एनबीसीसी के ज्ञान साझाकरण, विशेषज्ञता और कार्यान्वयन के तरीकों से काफी लाभ हुआ है। एनबीसीसी की इन शक्तियों का लाभ उठाते हुए, एचएससीसी निर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए व्यावसायिक रास्ते तलाशने और प्रवेश करने के लिए तैयार है।

पिछले कुछ वर्षों में, एचएससीसी ने स्वास्थ्य सेवा परामर्श में एक विशेष जगह बनाई है। इसकी व्यापक दक्षताओं में अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, कुशल परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ–साथ चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आपूर्ति, अधिष्ठापन और कमीशनिंग शामिल है। एचएससीसी सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी और सहायक क्षेत्रों को शामिल करते हुए, व्यवहार्यता अध्ययन और निविदा दस्तावेज से लेकर खरीद और परियोजना प्रबंधन तक, स्वास्थ्य सेवा में व्यापक बहु–विषयक सहायता प्रदान करने में सक्षम है।

इस वर्ष के दौरान, एचएससीसी ने निम्नलिखित प्रमुख नई परियोजनाएं हासिल की हैं:–

जम्मू–कश्मीर में पीएम–एबीएचआईएम परियोजना, जलगांव में होम्योपैथी अस्पताल और कॉलेज, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ का सीसीयू, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटैल, हरियाणा के लिए फर्नीचर और उपकरण, हरियाणा

सरकार के भिवानी और महेंद्रगढ़ के लिए फर्नीचर और उपकरण, मुंबई में मानसिक प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की आपूर्ति, एम्स गुवाहाटी में छात्रावास/आवासीय ब्लॉक का निर्माण, मस्जिद मोड़ एम्स नई दिल्ली में नए ओपीडी ब्लॉक का निर्माण, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में उन्नत नेत्र केंद्र, कोल्हापुर में 600 बिस्तरों वाला जनरल अस्पताल, डीएमईआर, महाराष्ट्र आदि।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख चालू घरेलू परियोजनाएं हैं:–

एम्स राजकोट, जीएमसी जलगांव, निमहंस बैंगलोर में कॉमन लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स, टीसीसीसी गोवा, दौसा, अलवर, नागपुर, बांसवाड़ा (राजस्थान) में नया मेडिकल कॉलेज, एम्स (नई दिल्ली) में वर्टिकल एक्सपेंशन ब्लॉक, एम्स (दिल्ली) में यूजी पार्किंग में वेटिंग हॉल आदि।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही प्रमुख परियोजनाओं में क्यूबा गणराज्य और सीरिया गणराज्य को विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए दवा की खरीद और आपूर्ति, तथा मॉरीशस में बेल एयर, स्टेनली, क्वार्टर मिलिटेयर में मेडिक्लिनिक्स का निर्माण शामिल है। मॉरीशस में अन्य परियोजनाओं में मोका में नए नेत्र अस्पताल का निर्माण, जे. नेहरू अस्पताल में एक रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट, कैप माल्हेरेक्स, न्यू ग्रोव में क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र और सेंट फ्रैंकोइस में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल है।

वर्ष 2023–24 के दौरान नई व्यावसायिक पहल

- लाभ साझेदारी भागीदारी के तहत विश्व स्तरीय और सबसे उन्नत रोबोटिक क्लिनिकल परीक्षण प्रयोगशाला और अत्याधुनिक रोबोटिक पुनर्वास केंद्र की स्थापना।
- विभिन्न राज्यों में जैव–चिकित्सा उपकरणों के व्यापक रखरखाव के लिए सेवाएं प्रदान करना।
- भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक संचालन और रखरखाव।
- राजस्व साझेदारी के आधार पर चयनित निजी भागीदारों के साथ अस्पतालों के पूर्ण प्रबंधन और संचालन की संभावनाओं की खोज करना।
- भारत सरकार की पहल के तहत बाहरी राष्ट्रों को चिकित्सा, अर्ध–चिकित्सा और अन्य प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक ई–स्वास्थ्य समाधान।
- आरोग्य योजना के स्तर पर परीक्षण, बीओएमटी मोड पर महाराष्ट्र में लगभग 2000 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।
- आम जनता को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य/केंद्र सरकार के अस्पतालों में फार्मेसियों की स्थापना।
- एम्स जैसे संस्थानों को कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और अंतर विश्लेषण।
- राज्य/केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना।

वित्तीय वृद्धि की समीक्षा

जैसा कि आपने वित्त वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है।

मुझे शेयरधारकों के समक्ष यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष के 1,226.14 करोड़ रुपये (पुनः घोषित) की तुलना में कुल आय 1,397.02 करोड़ रुपये है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 23.39 करोड़ रुपये के मुकाबले 54.62 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ अर्जित किया। आपके सहयोग से, कंपनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

लाभांश

मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एचएससीसी ने कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर 100 रुपये प्रति शेयर के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 660 रुपये प्रति शेयर (यानि 660%) का अंतिम लाभांश शेयरधारकों के लिए प्रस्तावित किया है जो आपके अनुमोदनार्थ है। यह लगातार 39वां वर्ष है जब एचएससीसी ने लाभांश घोषित किया है।

समझौता ज्ञापन

शीर्ष प्रबंधन लगातार लागत नियंत्रण, संसाधनों और सिस्टम सुधार के अधिकतम उपयोग करके रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से कारोबार में निरंतर वृद्धि के साथ–साथ कर–पूर्व लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहा है।

कंपनी ने वर्ष 2022–23 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत ''बहुत अच्छा'' दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा, परिणामों के आधार पर, वर्ष 2023–24 के लिए, कंपनी को एमओयू मूल्यांकन के अनुसार ''उत्कृष्ट'' रेटिंग मिलने की भी उम्मीद है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होने के कारण, एचएससीसी की सभी गतिविधियाँ और संचालन अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित रहे हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, एचएससीसी ने सीएसआर व्यय के रूप में कुल 50.25 लाख रुपये का योगदान दिया है, जिसमें से 8.35 लाख रुपये परमपूज्य माधव गौविज्ञान अनुसंधान अजमेर के लिए औषधीय पौधों की खेती के लिए एक ट्रैक्टर खरीदने पर खर्च किए गए। इसके अलावा, जनजातीय समुदायों में पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान को 16.70 लाख रुपये दिए गए। जागरूकता, प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन और विशेष बच्चों के लिए विशेष बाल विकास केंद्र (एससीडीसी) की स्थापना के लिए स्पेशल भारत ओलंपिक को 22.30 लाख रुपये दिए गए। शेष 2.90 लाख रुपये पीएम केयर फंड को दिए गए।

वृद्धि पर दृष्टिः

विश्व स्तरीय परामर्शदाता संगठन के रूप में विकसित होने के लिए, संचालन में विविधता लाने और विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य निम्नलिखित द्वारा एक अग्रणी परामर्शदाता कंपनी बने रहना है :–

- भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएँप्रदान करना
- अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में अपनी मुख्य क्षमता का लाभ उठाना
- अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक उत्साहवर्धक और सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करना

कॉर्पोरेट अभिशासन

कंपनी का सिद्धांत अपने लेन–देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करना है ताकि व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही और उचित प्रकटीकरण।

अभिस्वीकृति

अंत में, निदेशक मंडल और अपनी ओर से मैं हमारी मूल कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सभी शेयरधारकों द्वारा कंपनी को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्शन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे शक्ति–स्रोत रहे हैं। मैं अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, मॉरीशस सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और अन्य व्यावसायिक सहयोगियों को निरंतर समर्थन और हम पर विश्वास जताने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। कम्पनी का ध्यान हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा। मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके सभी स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों की सराहना करता हूँ। मुझे दिए गए आपके सहयोग और समर्थन के बदले में, मैं आपकी कंपनी को नई और शानदार ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करता हूँ।

ह./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबरः 10054994

सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों की **41वीं** वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024** को भारतीय समयानुसार **दोपहर 12 बजे** गरवी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड़, दिल्ली–110001 में तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजूयल (ओवीएएम) माध्यमों से निम्नलिखित कार्य निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्यः

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना, अनुमोदन करना तथा अंगीकार करना।

2. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकित मूल्य रु. 100/– रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर अंतिम लाभांश रु. 660/– घोषित करना।

3. वर्ष 2024–25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखपरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्यः

4. श्री के.पी. महादेवस्वामी (डीआईएन 10041435) की कंपनी के अध्यक्ष (निदेशक) के रूप में नियुक्ति को नियमित करने तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके बाद बनाए गए नियमों की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित)के अनुसरण में, श्री के.पी. महादेवस्वामी (डीआईएनः 10041435), जिन्हें आवासनएवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 11 सितंबर, 2023 के कार्यालय आदेश संख्या ओ–17034/25/2022–पीएस (ई–9130084) के अनुसार 01 अक्टूबर, 2023 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है,और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर निदेशक (अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

"**यह भी संकल्प किया जाता है** कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा उन्हें अपने पूर्ण एवं निरपेक्ष विवेकाधिकार से उचित या प्रभावी माने जाने वाले इस तरह के सभी समझौतों, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ ई–फॉर्म दाखिल करना, लिखतों एवं लिखत सामग्रियों को जो भी आवश्यक लगे, को नियामक प्राधिकारणों को वह अपेक्षित प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्य, विलेख, विषय एवं चीजें करने या करवाने और यहाँ प्रदत्त सभी या किसी शक्ति को किसी व्यक्ति (यों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को प्रभाव में लाने हेतु आवश्यक, उचित या प्रभावी हो।"

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक
मण्डल के आदेश से
ह./–
सोनिया सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 24442

स्थानः नोएडा
दिनांकः 08 अगस्त, 2024

टिप्पणियां

1. बिन्दु 4 में वर्णित वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ अनुलग्नित है।

2. **वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का पात्र सदस्य, अपनी ओर से उपस्थित होने और उसके स्थान पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होता है। प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए किया गया लिखित जो इसे प्रभावी बनाता हो, वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से अड़तालीस (48 घंटों) (प्रॉक्सी प्रतिनिधि फार्म संलग्न है) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।**

3. एमसीए सर्कुलर के अनुरूप, 41वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in पर उपलब्ध होगी।

4. उपस्थिति पर्ची, प्रतिनिधि फार्म और बैठक स्थल के मार्ग का नक्शा भी इसके साथ अनुलग्नित है।

5. चूंकि सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, इसलिए यदि बैठक के दौरान किसी संकल्प पर मतदान कराना आवश्यक हो तो सदस्य अपने पंजीकृत मेल आईडी से cs_hscc@hsccltd. पर ईमेल भेजकर अपना वोट भेज सकते हैं।

6. निदेशक मण्डल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर 100/– रुपए प्रति शेयर के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 660/– रुपए प्रति शेयर (अर्थात, 660%) अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है। इसे आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

7. लाभांश वितरण में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी संदेशः जैसा कि आप जानते होंगे, आयकर अधिनियम, 1961 (''आईटी अधिनियम'') की धारा 115–ओ के अनुसार घरेलू कंपनियों द्वारा लाभांश घोषणा पर देय लाभांश वितरण कर को 1 अप्रैल 2020 से समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन एवं वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से लाए गए कुछ परिणामी संशोधनों के अनुपालन में, कंपनी आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद वितरित लाभांश के लिए स्रोत पर कर (''टीडीएस'') काटने के लिए बाध्य होगी।

8. लाभांश उद्देश्यों के लिए नियत तिथि 06 सितंबर, 2024 है। यदि वार्षिक आम बैठक में इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो उन सभी सदस्यों को 18 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनका नाम 06 सितंबर, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।

9. चूंकि कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान कर रही है, इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021, 17/2020, 14/2020, 10/2022 और 09/2023 क्रमशः दिनांक 13 जनवरी, 2021, 13 अप्रैल, 2020, 8 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2022 28 दिसंबर, 2022 और 25 दिसंबर, 2023 (समग्र रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के द्वारा से सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल (वीसी) माध्यमों से वार्षिक आम सभा का आयोजन करने की अनुमति दी है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 139 (5) अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखा–परीक्षक नियुक्त किए जाते है और वार्षिक आम बैठक में उनका पारिश्रमिक धारा 142 के अनुसरण में या वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किए अनुसार कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि सदस्य, भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा यथोचित रूप से नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा–परीक्षकों के लिए लागू करों और वास्तव में की गई यात्रा तथा अपने खर्च से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते हैं।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार संलग्न नोटिस और विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज एजीएम से पहले 20 सितंबर, 2024 से पहले सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर)कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।

13. जो सदस्य बैठक में वार्षिक लेखों की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले cs_hscc@hsccltd.co.in पर अनुरोध भेज कर सूचित करें।

14. शेयरधारकों को इस सूचना की भौतिक प्रति के अलावा सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

15. नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण नोटिस का हिस्सा है।

सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम माध्यमों द्वारा वार्षिक आम सभा से जुडने/ उपस्थित होने के अनुदेशः

1. भौतिक बैठक आयोजित करने के अलावा, कंपनी सदस्यों को नीचे दिए गए लिंक पर वीसी/ ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा भी प्रदान कर रही हैः

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a582ec4fece214b988d6ae722223e40e9%40thread.tacv2/1724233916398?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5b04c44-bc23-415f-8591-633eb11e4253%22%2c%22Oid%22%3a%22d77c61c9-07fa-4098-bb67-e80e6380010a%22%7d

बैठक का उपर्युक्त लिंक एजीएम की नियत तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले सदस्यों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी अलग से भेजा जाएगा।

1. बैठक से अनलाइन जुडने की यह सुविधा बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से ठीक 30 मिनट पहले से उपलब्ध होगी और समाप्त होने के निर्धरित समय से 15 मिनट बाद बन्द कर दी जाएगी।
2. जिन सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक से पहले या बैठक के दौरान किसी प्रकार की सहायता चाहिए वे कंपनी सचिव, एचएससीसी से cs_hscc@hsccltd.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4: श्री के. पी. महादेवस्वामी (डीआईएन 10041435) की कंपनी के अध्यक्ष (निदेशक) के रूप में नियुक्ति को नियमित करना

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ओ–17034/25/2022–पीएस (ई–9130084) दिनांक 11 सितंबर, 2023 के अनुसार, श्री के.पी. महादेवस्वामी (डीआईएनः–10041435) को 01 अक्टूबर, 2023 से एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त चेयरमेन एचसीसी (इंडिया) लिमिटेड और एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री के.पी. महादेवस्वामी ने 01 अक्टूबर, 2023 को नवरत्न सीपीएसई, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की महत्वपूर्ण भूमिका संभाली, साथ ही हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) और हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी) के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाली।

वर्ष 2005 में एनबीसीसी में उप–महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हुए, श्री के.पी. महादेवस्वामी ने असाधारण नेतृत्व और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड में सफलतापूर्वक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते गए।

एनबीसीसी में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में, श्री स्वामी के पास एक व्यापक पोर्टफोलियो था जिसमें 7 जीपीआरए कॉलोनियों के पुनर्विकास, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाले ''आम्रपाली वर्क्स'', रियल एस्टेट डिवीजन, बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिवीजन और विदेशी कार्यों का निष्पादन शामिल था। भू–संपदा क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान के लिए, श्री स्वामी को जुलाई 2023 को नई दिल्ली में ईपीसी वर्ल्ड अवार्ड्स द्वारा 'रियल्टी पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

अपनी व्यावसायिक यात्रा के दौरान, श्री स्वामी ने देश भर में उच्च–मूल्य, जटिल और विविध सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन करके अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालय भवनों के निर्माण से लेकर भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाने के काम और गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना की देखरेख तक, उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार एनबीसीसी के लिए परियोजनाएँ पूरी कीं। एनबीसीसी में अपने कार्यकाल से पहले, श्री स्वामी को व्यापक रिफाइनरी कंपनी, यानी पीएसयू, बीएचपीवी (भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड) के साथ काम करने का अनुभव था और उन्होंने रिफ्रैक्टरी कार्य के लिए प्रतिष्ठित एमएनसी के साथ भी अनुभव प्राप्त किया। उन्हें वर्ष 1991 में एक प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय अवसंरचना और निर्माण कंपनी के साथ प्रीकास्ट तकनीक का उपयोग करके काम करने का भी अनुभव है।

श्री स्वामी ने जन–केंद्रित दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है और अपनी टीमों को उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों की ओर प्रेरित करते हुए ग्राहकों की संतुष्टि को पूरी लगन से बरकरार रखा है। उनके सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व ने सतत विकास वाली कंपनी के रूप में एचएससीसी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।

अधिनियम की धारा 164 के अनुसार उन्हें अध्यक्ष (निदेशक) के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है। श्री के.पी. स्वामी का विवरण नोटिस के ''अनुलग्नक–क'' में दिया गया है। यह प्रस्ताव नियुक्त किए जा रहे अध्यक्ष (निदेशक) को छोड़कर किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार के हितकर नहीं है। बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक
मण्डल के आदेश से
ह./–
सोनिया सिंह
कंपनी सचिव

स्थानः नोएडा
दिनांकः 08 अगस्त 2024

सदस्यता संख्याः 24442

अनुलग्नक–1

41वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	**श्री के. पी. महादेवस्वामी (डीआईएनः 10041435)**
जन्मतिथि	20/07/1968
अर्हता/योग्यता	मैसूर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर स्नातक, शोध में एम.टेक
मण्डल में पहली नियुक्ति की तिथि	01/10/2023
अनुभव	निर्माण उद्योग में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक और समृद्ध अनुभव।
नियुक्ति की नियम व शर्तें	भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार।
अपेक्षित पारिश्रमिक एवं अं. तिम बार प्रदत्त पारिश्रमिक	नियमों और शर्तों के अनुसार
एचएससीसी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य
अन्य निदेशकों एवं के.एम.पी. के साथ संबंध	**नहीं, कंपनी के निदेशकों से कोई अंतर संबंध नहीं**
वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की सख्या जिसमें उपस्थित थे	**3 (तीन)**
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री स्वामी ने एसजेसीई, मैसूर से सिविल इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री हासिल की और बाद में एसवीएनआईटी, सूरत से एम.टेक की डिग्री पूरी की। उन्होंने आईआईएम कलकत्ता से लीडरशिप और मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पास किया। 32 वर्षों के विशाल अनुभव के साथ, श्री स्वामी ने देश भर में कई मेगा–वैल्यू, महत्वपूर्ण और अत्याधु. निक सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं को संभाला है।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता*	शून्य

*लेखा–परीक्षा समिति और हितधारकों संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया गया है।

एचएससीसी की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांकः शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024
समयः दोपहर 12:00 बजे
कार्यक्रम स्थलः गरवी गुजरात भवन, 25–बी,
अकबर रोड, मानसिंह रोड एरिया, दिल्ली –110001

मार्ग नक्शा

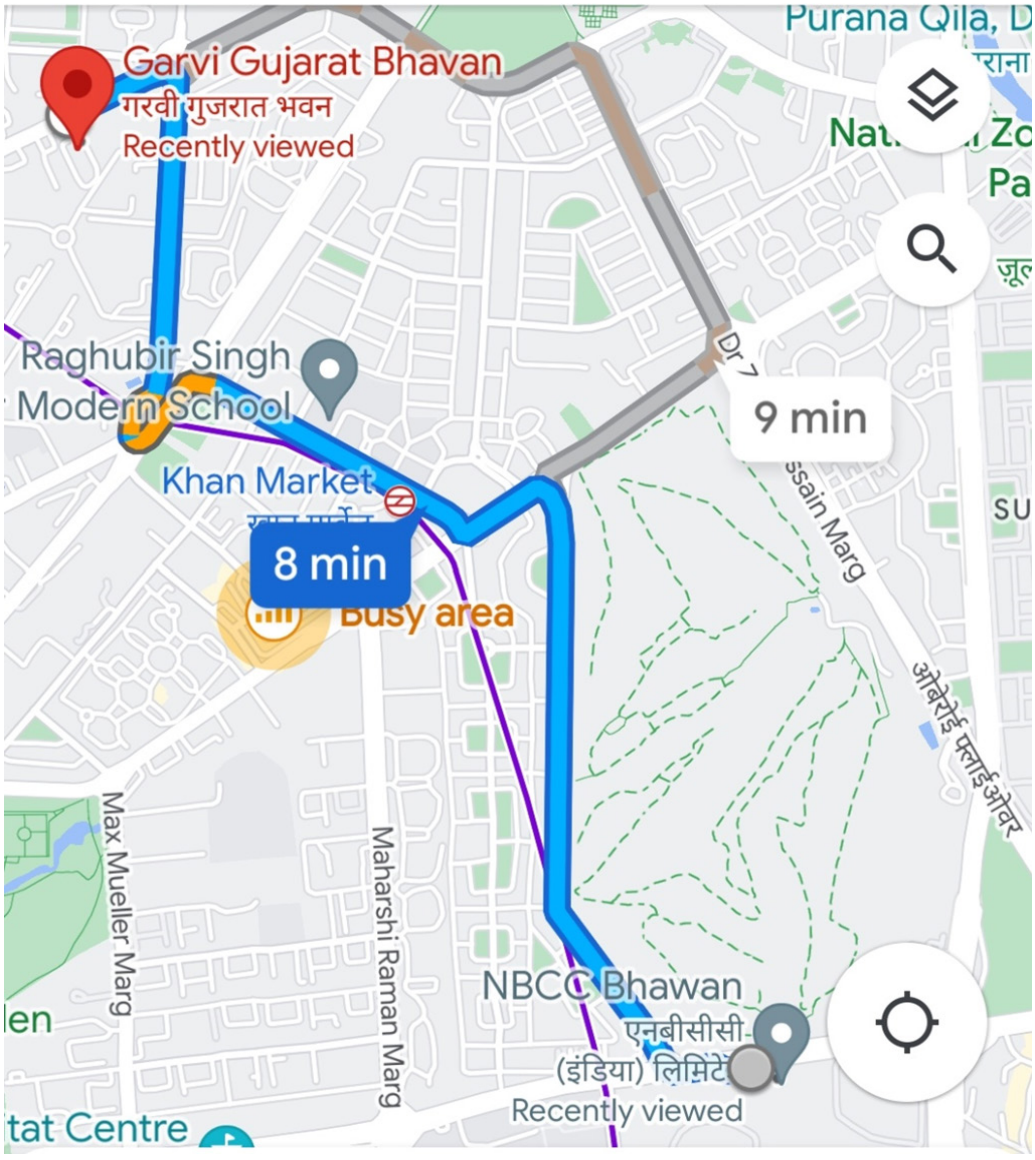

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को प्रसन्नता है कि एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के कारोबार और परिचालन पर 41वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणियों के साथ आपको प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय परिणाम मुख्य बिन्दु

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के मुख्य वित्तीय परिणामों के साथ–साथ भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वर्ष 2022–23 के तुलनात्मक आंकड़ों को नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2023-24	2022-23
कुल आय	1,397.02	1224.55
कुल व्यय	1342.41	1202.75
विशिष्ट एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ	54.62	23.39
विशिष्ट एवं असाधारण मदें	-	-
कर पूर्व लाभ	54.62	23.39
कर आय (निवल)	15.05	0.71
कर पश्चात लाभ	39.56	22.67
प्रदत्त लाभांश (डीडीटी को छोड़कर)	8.12	5.18
निवल मूल्य	193.25	162.22
प्रति शेयर आय (रुपये में)	21,97.79	1259.54

पूंजीगत संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 5.00 करोड़ है। पूरे वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 1.80 करोड़ थी।

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपके निदेशकों ने कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर 100 रुपये प्रत्येक (जैसे @ 660%) की प्रति प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 660 रुपये का अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन 11.88 करोड़ रुपये (लगभग) है।

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से निधि

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से निधियां निम्नानुसार हैं:–

मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
विवरण	**रु. करोड़ में**	**रु. करोड़ में**
नकद एवं नकद समतुल्य	445.56	460.39
अन्य बैंक शेष (सावधि और फ्लेक्सी जमा)	1408.56	1557.50

आरक्षित निधि

कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

निष्पादन की मुख्य बातें

आपकी कंपनी ने परिचालन के क्षेत्र में भौगोलिक और वित्तीय रूप से विस्तार करने का सिलसिला जारी रखा है। परिचालन के क्षेत्रों में विस्तार, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन में उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और चिकित्सा उपकरणों के प्रापण आदि के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य प्रदान किया गया था।

वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक कुल 1,381.14 करोड़ रु. का कारोबार और 193.25 करोड़ रु. की निवल संपत्ति हासिल की है।

प्रमुख जारी परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक–क में दी गई है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी को वर्ष 2022–23 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर होल्डिंग कंपनी यानि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से ''बहुत अच्छी'' एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, होल्डिंग कंपनी यानि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ कंपनी के वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन के आधार पर मापदंडों को अंतिम रूप दिया है। वित्तीय प्रदर्शन के मामले में, एचएससीसी ने 1381.14 करोड़ रु. परिचालन से राजस्व प्राप्त किया और भौतिक मानकों में उपलब्धि नीचे दी गई है :–

- क्षमता उपयोग निर्मित क्षेत्र 6.67 मिलियन वर्ग फीट है
- विदेशों से राजस्व 18.19 करोड़ रुपये है
- वर्ष के दौरान सुरक्षित नया व्यवसाय 3290.14 करोड़ रुपये है
- ट्रेड्स पोर्टल के माध्यम से वस्तु और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति – 100%
- कुल प्रापण के प्रतिशत के रूप में जीईएम से प्रापण– 100%

सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य और सुरक्षा

वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और पहल की है (सीपीएसईज़ में मानव संसाधन में सुधार का लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है)

कंपनी के निर्धारित आयु वर्ग के कर्मचारियों और उनके जीवन–साथी को अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जागरूक होने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डॉक्टरों से आवश्यक सलाह प्राप्त करने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कर्मचारियों को उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों और समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, ताकि वे एहतियाती उपाय कर सकें। साथ ही, कर्मचारियों को अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यालय में स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया।

स्वच्छ कार्य स्थिति बनाए रखने के लिए कार्यालय परिसर का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और फॉगिंग करना।

भारतीय लेखांकन मानक

कंपनी ने निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया है, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को अपनाने हेतु अधिसूचित किया गया है।

आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी सिविल निर्माण परियोजना के निर्माण, प्रापण और प्रबंधन में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व बहिर्गमन

आपकी कंपनी ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक और प्राकृतिक प्रकाश सौर प्रकाश और एलईडी संस्थापनों के अधिकतम उपयोग का पक्षपोषण करके, अपने ग्राहकों के परामर्श से इस पहलू का ध्यान रखा जाता है। आपकी कंपनी ने किसी भी तकनीक का आयात नहीं किया है और समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क. व्यय	
• यात्रा	0.05
• सी.आई.एफ. + आधार पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात (ग्राहकों की ओर से)	शून्य
ख. मॉरीशस परियोजना शुल्क	**18.19**

कल्याणकारी गतिविधियां

आपकी कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रेरित करने के लिए समारोह आयोजित करना, विभिन्न अवसरों का जश्न मनाना और सामाजिक लाभ प्रदान करना जारी रखती है।

मानव संसाधन

एचएससीसी कौशल प्राप्त कंपनी है तथा जनशक्ति ही इसकी वास्तविक ताकत है। किसी भी कंपनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी, सक्षम पेशेवरों का दल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए, कंपनी ने अपने मानव संसाधनों के विकास पर फोकस किया है। सभी स्तरों के कर्मचारियों को अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया गया था कि उनके ज्ञान और कौशल का निरंतर उन्नयन किया जाए। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास 77 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों एवं दिव्यांगजन श्रेणी के 3 कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर 150 कर्मचारी और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 58 कर्मचारी हैं। वर्षभर कर्मचारी प्रबंधन संबंध उत्कृष्ट रहा। 31 मार्च 2024 की स्थिति तक एनबीसीसी के विभिन्न व्यवस्थाओं के 03 कर्मचारी एचएससीसी में उपनियुक्ति आधार पर कार्यरत थे।

कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कंपनी अपनी मानव पूंजी की भूमिका की सदैव सराहना करती है। वर्ष 2023–24 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की श्रेणीवार भर्ती की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	समूह	सामान्य	ओबीसी	अनु. जाति/अनु. जनजाति				कुल
				अनु. जाति	% (अनु. जाति)	अनु.जनजाति	% (अनु. जनजाति)	
1.	समूह "क"	67	22	15	0	04	00	108
2.	समूह "ख"	24	09	02	00	00	00	35
3.	समूह "ग"	02	00	03	00	00	00	05
कुल		**93**	**31**	20	**00**	**04**	**00**	**148**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों को कंपनी द्वारा सही भावना के अनुरूप कार्यान्वित किए गए हैं।

वेतनमान पर कर्मचारी	150 (बोर्ड स्तर से नीचे)
स्थायी कार्यकाल वाले कर्मचारियों की संख्या	58

कंपनी में महिला कर्मचारियों की कार्य स्थिति – श्रेणीवार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / वीएच / पीएच समूह के अनुसार

(i) कंपनी में महिला कर्मचारियों की कार्य स्थिति – श्रेणीवार :

क्र.सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	महिला कर्मचारियों की संख्या
1.	समूह "क"	11
2.	समूह "ख"	03
3.	समूह "ग"	01
4.	समूह "घ"	00
	कुल	**15**

(ii) समूहवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/वीएच/पीएच की कुल संख्या :

क्र.सं.	पदों की श्रेणी (समूह)	कर्मचारियों की संख्या						
		कुल कर्मचारी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	वीएच	एचएच	पीएच (ओपीएच)
1.	समूह "क"	108	15	04	22	00	0	01
2.	समूह "ख"	35	02	00	09	00	0	00
3.	समूह "ग"	05	03	00	00	00	0	02
	कुल	**148**	**20**	**04**	**31**	**00**	**0**	**03**

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जनशक्ति की स्थिति

श्रेणी	इंजीनियर्स (सी. ई.एम.आईटी)	इंजीनियर्स (बीएमई–फार्मा–आर्क–डी'मैन)	वित्त (एफएंडए–इको–सीएस)	एचआरएम (कानूनी)	अन्य	कुल
क	48	07	08	04	08	75
ख	53	06	9	04	02	74
ग	00	00	00	0	02	02
कुल	**101**	**13**	**17**	**08**	**11**	**150**

प्रशिक्षण

किसी भी संगठन के लिए संगठन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास सबसे महत्वपूर्ण है। मौजूदा नवोन्मेषी और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, इस प्रभाग ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के नवीनतम रुझानों/तकनीकों और परिवर्तनों से अवगत कराने एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यकता आधारित इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम/तकनीकी कार्यशालाओं की व्यवस्था की है ताकि वे संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक क्षमता और उत्साह के साथ काम करें।

वर्ष 2023–24 में हमने नौकरी संवर्धन के लिए प्रत्येक शनिवार प्रशिक्षण और ब्रशिंग–अप सत्र शुरू किया है :–

क्र.सं.	प्रशिक्षण की तिथि	कार्यक्रम का नाम
1	06-07-2024	एनबीसीसी के तकनीकी परिपत्र
2	29-06-2024	अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें
3	15-06-2024	परियोजना स्थलों पर आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सामान्य दिशा–निर्देश
4	08-06-2024	अस्पताल भवन में सामान्य विद्युत आवश्यकताएँ
5	25-05-2024	ओटी निर्माण और एचवीएसी परिप्रेक्ष्य में संक्रमण नियंत्रण
6	18-05-2024	पर्यावरण मंजूरी कानून और प्रक्रिया
7	11-05-2024	रेविट बीआईएम सॉफ्टवेयर पर केस अध्ययन
8	04-05-2024	साइट पर एचवीएसी डक्टिंग, पाइपिंग और इन्सुलेशन कार्य
9	27-04-2024	एएनओटी यूएसपी और लाभों का कार्यकारी सारांश
10	20-04-2024	अनुमान और माप के तरीके का परिचय
11	13-04-2024	अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें
12	06-04-2024	एमओटी और एमजीपीएस कार्यों के निष्पादन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी
13	30-03-2024	विद्युत सबस्टेशन उपकरणों का परीक्षण
14	23-03-2024	इमारतों में विद्युत स्थापना कार्य और साइटों पर पालन किए जाने वाले मानक अभ्यास
15	16-03-2024	पेविंग बिटुमेन का परीक्षण
16	09-03-2024	ग्राहक के साथ समझौता ज्ञापन, निविदा प्रक्रिया और परियोजनाओं की शुरुआत
17	02-03-2024	बिलिंग प्रक्रिया और दस्तावेज
18	24-02-2024	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
19	17-02-2024	एचएससीसी अनुबंध के तहत विवाद समाधान तंत्र
20	10-02-2024	निर्माण विनिर्देश
21	09-02-2024	स्वास्थ्य और सुरक्षा
22	03-02-2024	पारिश्रमिक और निवेश योजना
23	27-01-2024	एनबीसीसी के तकनीकी परिपत्र
24	20-01-2024	कंक्रीट का परीक्षण
25	13-01-2024	एचआर नीतियाँ (कार्य समय, छुट्टी नियम, टीए नियम, आदि)
26	06-01-2024	परियोजना प्रबंधन
27	30-12-2023	कंक्रीट की स्थायित्व
28	23-12-2023	आईएस 456–2000 सादा और प्रबलित कंक्रीट

राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन एवं संवर्धन

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने कार्यालय में हिंदी राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देन हेतु भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम और उसके आधार पर बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना जारी रखा। कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी मानक प्रपत्र, फाइलें, आदि द्विभाषी हैं। हिंदी में पत्राचार, नोटिंग और प्रारूपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

सभी हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी ने 11 सितंबर, 2023 से 27 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसके दौरान राजभाषा ज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा, कंपनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नोएडा की सदस्य भी है और विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, सेमिनारों आदि में भी प्रतिनिधित्व करती है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 ने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारियों के कामकाज में पारदशिता और जवाबदेही आई है। कंपनी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र मौजूद है। वर्ष 2023–24 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए तथा उन पर आरटीआई अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

हालांकि,वर्ष 2023–24 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सतर्कता

श्रीमती रितु पांडे, भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) धारक कंपनी की मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। श्री एस.एस.पोपली कंपनी के सतर्कता अधिकारी (वीओ) हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ ने प्रबंधन के एक प्रभावी हिस्से के रूप में कार्य किया है। निजी विदेश यात्राओं, सीटीई प्रत्युत्तर संबंधित एजेंसियों को समय पर प्रस्तुत किए गए थे। समय–समय पर प्राप्त सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन किया गया और निरोधक और निवारक उपाय के रूप में पालन किया गया और जाँच को ठीक से और त्वरित आधार पर निपटाया गया। भावी सुधारों के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और कंपनी के कामकाज में पारदशिता सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए गए।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ''भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'' की थीम के साथ दिनांक 31.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया और आपकी कंपनी के कर्मचारियों के उच्च नैतिक मानक को बनाए रखने के लिए कंपनी ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया। कंपनी के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

जमा

31 मार्च 2024 को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया और कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था।

ऋण, गारंटी और निवेश

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण, गारंटी और निवेश प्रदान नहीं किया है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ:

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं। हालांकि, कंपनी स्वयं एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड सहायक कंपनी है।

कर्मचारियों का विवरण

अधिनियम की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। नतीजतन, सरकारी कंपनी को अधिनियम की धारा 178 (3) के तहत आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी की नीति एवं अन्य सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 197 से भी सरकारी कंपनी को छूट है। नतीजतन, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1)/(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 (12) कि शर्तों के अनुसार प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक से कर्मचारियों के पारिश्रमिक मध्यिका के अनुपात और कंपनी के किसी कर्मचारी जा नाम एवं अन्य नकारी वाला ऐसा विवरण जिसमें यदि वह पूरे कार्यकाल तक / वित्तीय वर्ष भाग में कार्यरत होता एवं नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करता और ऐसे अन्य विवरणों को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की स्वयं की जोखिम प्रबंधन नीति है जो उन सभी प्रमुख जोखिमों और अनिश्चितताओं का प्रबंधन एवं निगरानी करती है, जो कंपनी के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं।

लेखा–परीक्षा समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ लेखा–परीक्षा समिति का गठन किया है। लेखा–परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल या श्रमिक अशांति के कारण किसी कार्य–दिवस की कोई हानि नहीं हुई।

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीए) तथा कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी में कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर केंद्रित है। त्रैमासिक रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित प्रारूप में हैं, तथा कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता रहा है। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, "प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" और "कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट", क्रमशः अनुलग्नक I और II में रखे गए हैं।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पार्टियों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन / की गई प्रविष्टियाँ, व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली में, और निष्पक्ष स्वहित लेन–देन के आधार पर थे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संदर्भित संबंधित पार्टी अनुबंध फॉर्म एओसी–2 में है तथा इसे अनुलग्नक –III के रूप में संलग्न किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

इन वर्षों के दौरान, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल सीएसआर बजट 50.25 लाख रुपये है। इसमें से 8.35 लाख रुपये औषधीय पौधों की खेती के लिए एक ट्रैक्टर खरीदने पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, आदिवासी समुदायों में पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान को 16.70 लाख रुपये दिए गए। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता, प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन और विशेष बच्चों और उनके माता–पिता के लिए विशेष बाल विकास केंद्र (एससीडीसी) स्थापित करने के लिए "मैसर्स स्पेशल भारत ओलंपिक, यूपी" को 22.30 लाख रुपये दिए गए और शेष राशि 2.90 लाख रुपये पीएम केयर फंड में दी गई।

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अनुरूप एक सीएसआर नीति है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in पर देखा जा सकता है, और यह अनुबंध–IV पर इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

आईटी प्रभाग

- एचएससीसी कार्यालय में इंटरनेट कनेक्शन का उन्नयन किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- एचएससीसी में नए ई–निविदा पोर्टल की शुरूआत।

- एचएससीसी में एनबीसीसी के ईआरपी का कार्यान्वयन।
- ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।
- आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, निर्माण योजना और सुविधा प्रबंधन के प्रति अपने दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उन्नत 3डी बिल्डिंग सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन।

एमएसएमई कार्यान्वयन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई), और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने की दिशा में एचएससीसी हमेशा प्रयासशील रहा है। एचएससीसी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित एमएसएमई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों सहित कई प्रयास किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की निविदा में भाग लेने की पात्रता का उल्लेख करते हुए सभी निविदाओं में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसई हेतु सार्वजनिक प्रापण नीति में अनिवार्य है।

डीपीई दिशा निर्देशों एवं नीतियों का अनुपालन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं नीतियों का अनुपालन किया है।

निदेशक मण्डल के बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मण्डल की पांच (5) बार बैठक हुई और कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की निर्धारित समय सीमा के भीतर निदेशक मण्डल की बैठक आयोजित करने के नियम का अनुपालन किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बोर्ड समितियाँ

क. लेखा–परीक्षा समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर लेखा–परीक्षा समिति है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और 7, और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार कार्य कर रही है। 31 मार्च 2024 के अनुसार लेखा–परीक्षा समिति में श्री (डॉ.) दीपक सिंह भाकर, अध्यक्ष के रूप में और सुश्री डी. थारा एवं श्री रवि रंजन समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2024 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में (डॉ.) श्री दीपक सिंह भाकर और सुश्री डी. थारा एवं श्री रवि रंजन समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2024 को सीएसआर समिति में सुश्री डी. थारा अध्यक्ष के रूप में, डॉ. दीपक सिंह भाकर एवं श्री रवि रंजन समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं।

निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

निदेशकों की नियुक्ति आदि पर नीति एचएससीसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं।

कार्य निष्पादन मूल्यांकनः एचएससीसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होते हैं।

नियुक्ति/सेवा समाप्ति आदि

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित नियुक्ति/ सेवा समाप्ति हुई

क्र.सं	निदेशक का नाम	पदनाम	विवरण	तिथि
1.	श्री के.पी. महादेवस्वामी	अध्यक्ष (निदेशक)	नियुक्ति	01/10/2023
			सेवा समापन	-

चूंकि कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निदेशकों की सभी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।

निदेशकों और बोर्ड का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से छूट अधिसूचित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में धारा 134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है। इसके अलावा, उपर्युक्त छूटों के अनुरूप, नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी। अब, 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से एमसीए ने सरकारी कंपनियों के निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में संशोधन किया है कि यदि कार्य निष्पादन मूल्यांकन के मामले केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और सरकारी कंपनियों द्वारा ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, तो अनुसूची IV के ऐसे प्रावधानों को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी जाती है। इस संबंध में, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पहले ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित कर दिया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है।

एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है और स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारण होने के नाते प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया है।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, जब और जहां आवश्यक हो, स्वतंत्रता की घोषणा की थी।

निदेशक उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:–

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वाषिक लेखों की तैयारी में, लागू भारतीय लेखांकन मानकों के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची–III के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और इससे कोई महत्वपूर्ण वि. संगति नहीं है;

- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार कार्यान्वित किया है तथा निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च 2024 को एवं उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले वित्तीय नियंत्रणों के लिए आंतरिक निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है, और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

निदेशकों का प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशकों के प्रशिक्षण पर कंपनी की अपनी नीति है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

हमारी कंपनी का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एचएससीसी कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सांविधिक मानदंडों के अनुसार निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट अनुलग्नक–II के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा है। कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले लेखा परीक्षकों से अपेक्षित प्रमाण पत्र कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है, ताकि कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, लेखा अभिलेखों की सटीकता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

एनसीएलएटी आदेश

वर्ष के दौरान, मैसर्स कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती जेएमसी) ने एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ आई.बी. 2016 की धारा 9 के तहत 17,53,95,938.00 रुपये के कथित परिचालन ऋण का भुगतान न करने के आधार पर याचिका संख्या आईबी–1333(एनडी)2019 दायर की (''याचिका'')। उक्त याचिका का एचएससीसी ने विभिन्न आधारों पर विरोध किया। आरोपित आदेश से व्यथित होकर, एचएससीसी ने विषयगत अपील दायर की है। उक्त अपील को 31.07.2023 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), नई दिल्ली के अध्यक्ष की माननीय अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

कंपनी ने वर्ष के दौरान संशोधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपनी लेखांकन नीति प्रस्तुति को अद्यतन किया है, ''महत्वपूर्ण'' लेखांकन नीतियों से ''भौतिक'' लेखांकन नीतियों में बदलाव किया है। इस परिवर्तन का कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। ये अद्यतन उस वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तिथि के बीच हुए हैं जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

सचिवीय मानक

निदेशकों ने बताया कि कंपनी द्वारा क्रमशः "निदेशक मंडल की बैठक" और "सामान्य बैठक" से संबंधित लागू सचिवीय मानकों, यानी एसएस–1 और एसएस–2 का विधिवत पालन किया गया है।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आतंरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रु. 96,300/– शुल्क एवं लागू जीएसटी के साथ–साथ परिवहन व्यय पर आंतरिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स दस्सानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षा के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित देय शुल्क की राशि रु. 13,20,000/– (केवल तेरह लाख बीस हजार रुपये) लागू कर है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा–परीक्षा करने हेतु अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव मैसर्स जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स को पारिश्रमिक 34,220 रुपये प्रति वर्ष (चौंतीस हजार दो सौ बीस रुपये मात्र) पर, जिसमें जेब से होने वाले खर्च और लागू नियमों व शर्तों के अनुसार कर शामिल होंग, नियुक्त किया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक**–V में दी गई है।

लागत लेखा परीक्षा

जैसा कि कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा–परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित किया गया है, लागत लेखांकन रिकॉर्ड आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत पूरक लेखा–परीक्षा करने के बाद, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी दी है, जो अनुलग्नक–V के रूप में संलग्न है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों को इस रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में शामिल किया जाएगा।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों और ना ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in पर उपलब्ध होगी।

भारत सरकार द्वारा विनिवेश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) और होल्डिंग कंपनी द्वारा कोई विनिवेश नहीं किया गया।

सामान्य

निदेशक एतद द्वारा उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं किया गया है:

1. ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुआ हो, और जिससे यह वित्तीय विवरण संबंधित और इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार हो।
2. कर्मचारियों को ईएसओएस के तहत शेयरों का कोई निर्गम/इश्यू नहीं था।
3. कंपनी अधिनियम–2013 के तहत कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
4. सरकारी कंपनी होने के नाते तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 197 के प्रावधान एचएससीसी पर लागू नहीं हैं।
5. कंपनी समय–समय पर आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।
6. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

अभिस्वीकृति

कंपनी के निदेशक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कंपनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों सहित व्यक्ति विशेष का आभार व्यक्त करते हैं जिनका हमें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कंपनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के आदेश से

ह./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10054994

ह./–
रवि रंजन
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 10057427

स्थानः नोएडा
दिनांकः 08 अगस्त 2024

अनुलग्नक-क

वर्तमान तिथि के अनुसार जारी परामर्शी परियोजनाओं का सारांश

क. वास्तुकला योजना, डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन सेवाएं

जलगांव में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण

1. जीएमसी जलगांव
2. राजकोट, गुजरात में एम्स
3. निमहंस, बैंगलोर में कॉमन लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स
4. नागौर में नया मेडिकल कॉलेज
5. वर्टिकल एक्सपेंशन ब्लॉक एम्स, नई दिल्ली
6. यूजी पार्किंग एम्स दिल्ली एफटीसी में प्रतीक्षा हॉल
7. बेल एयर मॉरीशस में मेडिसिन का निर्माण
8. मोका मॉरीशस में नए नेत्र अस्पताल का निर्माण
9. टीसीसीसी गोवा

राज कुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मूलचंद

हनुमानगढ़

अलवर

सरकारी मेडिकल कॉलेज, दौसा, राजस्थान

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं

- एमसीए के लिए औषधि एवं फार्मास्युटिकल
- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के सुपर स्पेशियलिटी एवं आपातकालीन ब्लॉक के लिए चिकित्सा उपकरण
- फ्लैक शिक्षण अस्पताल, मॉरीशस गणराज्य के लिए चिकित्सा उपकरण
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण
- स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, नई दिल्ली के लिए चिकित्सा उपकरण
- डीएमईआर हरियाणा के लिए चिकित्सा उपकरण

बांसवाड़ा

अनुलग्नक-1

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग की संरचना एवं विकास

मार्च 1983 में स्थापित, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक कंपनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत से किया है। सितम्बर, 1999 में एचएससीसी को '''मिनी रत्न'' कंपनी घोषित किया गया है तथा दिसम्बर 2015 में 'मिनी रत्न–श्रेणी I कंपनी का दर्जा हासिल किया है।

एचएससीसी कंपनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं अनुवीक्षण सहित, चिकित्सा उपकरणों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एचएससीसी ने परियोजनाओं के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एचएससीसी ने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएं जिसमें विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को न केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कंपनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एचएससीसी वर्षों से हेल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएँ प्रदान वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कंपनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी।

शक्ति:

- कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न प्रकार की हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को डिजाइन, इंजीनियरिंग और कार्यान्वित किया है।
- 120 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और लगभग 35000 अस्पताल बिस्तर बनाने का अनुभव।
- अनुभवी और योग्य पेशेवरों की घरेलू टीम अन्य हेल्थकेयर परामर्श फर्मों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है।
- मिनी रत्न कंपनी होने के नाते, सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों/एजेंसियों के साथ निकट एवं मजबूत संबंध है।
- पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना परियोजनाओं में प्रमुख स्थान।
- एचएससीसी ने उच्च लाभप्रदता के साथ निरंतर प्रदर्शन एवं राजस्व वृद्धि प्रदान की है

कमजोरी:

- व्यवसाय के लिए काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों एवं मुख्य रूप से केंद्र सरकार पर निर्भरता।
- वर्तमान व्यवसाय मुख्य रूप से कुछ सेवा लाइन पर केंद्रित है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा परामर्श फर्मों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने से व्यावसायिक जोखिम पैदा हो गया है।

- वर्तमान में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एचएससीसी ब्रांड की जागरूकता कम है।
- व्यवसाय परिचालन को सुचारू बनने के लिए आंतरिक व्यावसायिक क्षमताओं को आईटी सक्षम बनाकर बढ़ाने की आवश्यकता है।
- क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित जनशक्ति/परामर्शदाताओं की कम उपलब्धता।

अवसर:

- सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि आने वाले वर्षों में परामर्श सेवा लिए बहुत अवसर प्रदान करेगी।
- स्वास्थ्य सेवा मूल्य श्रृंखला में विविध स्वास्थ्य देखभाल परामर्श सेवाओं की मांग।
- भारतीय परामर्श सेवा का बाजार काफी बंटा हुआ है जिसमें कोई भी संगठन अग्रणी नहीं है।
- आने वाले वर्षों में डिजाइन इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला, परियोजना प्रबंधन में काफी अवसर अपेक्षित हैं।

संकट:

- हेल्थकेयर क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी हेल्थकेयर परामर्श फर्म और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- बढ़ती पूर्णता एक मूल्य प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण कर रही है जिससे प्रतिस्पर्धी बोली पर परियोजनाएं प्रदान की जा रही हैं।
- निजी क्षेत्र की कंपनियों के सापेक्ष एचएससीसी के वेतन अंतर से नई प्रतिभाओं के जाने और उनके अधिग्रहण का खतरा बढ़ सकता है।

आउटलुक:

एचएससीसी एक बहु–आयामी अनुशासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कंपनी है। यह कंपनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्श प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कंपनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों में शामिल हैं:–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकार तथा उनके अस्पताल / संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम / अन्य संस्थान
- मॉरीशस सरकार

विश्व स्तरीय परामर्शदात्री संगठन के रूप में विकसित होने के लिए, भवन इंजीनियरिंग और रखरखाव सेवाओं जैसे कार्यों में विविधता लाने और विस्तार करने तथा कंपनी के ग्राहक आधार को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

जोखिम एवं चिंताएं

कंपनी के प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं में संबंधित मंत्रालय द्वारा न्यूनीकृत प्रापण समनुदेशन कार्य तथा वर्तमान परिदृश्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम/परामर्श शुल्क में कमी के कारण रही है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल

- इंटरनेट कनेक्शन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- ई–निविदा गतिविधि।

परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

आपकी कंपनी ने भौगोलिक एवं वित्तीय रूप से परिचालन के क्षेत्र में विस्तार जारी रखा है। परिचालन के क्षेत्रों में विस्तार, नवप्रवर्तन एवं उत्कृष्टता के सभी प्रयास किए जाते हैं। कंपनी की विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने में उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों एवं सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी को विभिन्न प्रतिष्ठित एवं चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों की डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन एवं प्रापण आदि की परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य दिया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान 31.03.2024 तक, आपकी कंपनी ने कुल रु. 1,397.02 करोड़ का कारोबार और रु. 193.25 करोड़ का नेट–वर्थ हासिल किया है।

खण्ड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक इंड एएस–108 "खंड रिपोर्टिंग" में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर कंपनी के व्यवसाय खंडों में निर्माण गतिविधि, परामर्श, उपकरण की आपूर्ति, दवा आदि शामिल हैं। इसलिए, इसके सभी परिचालन भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस–108 "खंड रिपोर्टिंग" के अर्थ के भीतर एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

चूँकि कंपनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से देश के भीतर हैं और उत्पाद/सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए, परिचालन जोखिम और रिटर्न समान हैं और इस प्रकार केवल एक ही खंड है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कंपनी में एक आंतरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। परिचालन दक्षता, लागू नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन और निर्धारित कानून एवं नियमों अनुपालन किया जाता है।

आंतरिक लेखा–परीक्षा कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रणों में पारदर्शिता पर जोर देते हुए, कंपनी के आंतरिक लेखा–परीक्षा का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बाहरी फर्मों को सौंपा गया है। आंतरिक लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है।

मानव संसाधन विकास

एचएससीसी कौशल प्राप्त कंपनी है तथा जनशक्ति ही इसकी वास्तविक ताकत है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास 77 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों एवं दिव्यांगजन श्रेणी के 3 कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान पर 150 कर्मचारी (बोर्ड स्तर से नीचे) और निर्धारित कार्यकाल आधार पर 58 कर्मचारी हैं।

वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एचएससीसी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को और विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया। कंपनी विभिन्न सामाजिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को निरंतर अभिप्रेरित कर रही है।

आचार संहिता

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित कार्यकारियों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कामिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को कॉर्पोरेट अभिशासन के अनुपालन की वाषिक रिपोर्ट भेजी जाती है ।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता

इन वर्षों के दौरान, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल सीएसआर बजट 50.25 लाख रुपये है। इसमें से 8.35 लाख रुपये परमपूज्य माधव गौविज्ञान अनुसंधान अजमेर के लिए औषधीय पौधों की खेती के लिए एक ट्रैक्टर की खरीद पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान को 16.70 लाख रुपये, विशेष भारत ओलंपिक फतेहपुर (आकांक्षी जिला) के लिए 22.30 लाख रुपये और शेष राशि 2.90 लाख रुपये पीएम केयर फंड को दिए गए हैं।

सचेतक कथन

कंपनी के उद्देश्य, अनुमानों, पूर्वपेक्षाओं, अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अभिप्राय के भीतर भविष्योन्मुखी बयान हो सकते हैं, जो कंपनी के प्रबंधन के विश्वासों पर आधारित हैं। इस तरह के कथन भविष्य की घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान विचारों को दर्शाते हैं, और इसके साथ ही ये जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित किए गए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण तौर पर भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य आथिक और व्यावसायिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण, उस भाग को प्रभावित करता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। इसके अलावा, व्यापार रणनीति, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, विदेशी मुद्रा दरों, उद्योग में प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानूनों, सांविधिक तथ्यों और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन भी कंपनी के वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी का किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, चाहे वह भविष्य में नए विकास के परिणामस्वरूप हो या अन्यथा।

अनुलग्नक-II

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

I. कंपनी सिद्धान्त

एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन नीति वह है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का नियंत्रण विनियमित तरीके से होता है, जो प्रबंधन को पारदर्शी, नैतिक, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाता है और जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होती है। प्रबंधन प्रासंगिक, विशिष्ट मामलों का विस्तृत प्रकटीकरण प्रदान करता है।

II. निदेशक मंडल

1. अन्य कंपनियों में संवर्ग–श्रेणी और निदेशक के पद सहित निदेशक मंडल की संरचना।

31 मार्च 2024 की स्थिति में कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	पूर्णकालिक/अंशकालिक	अन्य कंपनियों के बोर्ड के सदस्य
श्री के. पी. महादेवस्वामी	अध्यक्ष	(क) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (ख) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
श्री नौमान अहमद	प्रबंध निदेशक	शून्य
श्री रवि रंजन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	शून्य
श्रीमती डी. थारा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	(क). हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (ख). मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ग). नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (घ). गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड
श्री दीपक सिंह भाकर	स्वतंत्र निदेशक	शून्य

बोर्ड के किसी भी निदेशक के पास दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक का पद नहीं है।

इसके अलावा, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं है, या ऐसे सभी सार्वजनिक कंपनियों में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वे निदेशक हैं। निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2024 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति पदों के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं। कोई भी निदेशक एक–दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं थे।

2. कार्यकाल

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशक की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशक, पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या पदधारक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।

अंशकालिक, गैर–सरकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

3. निदेशकों का चयन

एचएससीसी एक सरकारी कंपनी है, इसके सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा इसके प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 की स्थिति में एचएससीसी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक है।

4. बोर्ड के सदस्यों हेतु परिचितीकरण कार्यक्रम

एचएससीसी के बोर्ड में शामिल किए गए सभी निदेशकों को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यकारियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कंपनी से परिचित कराया गया। उन्हें परिचितीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर, कंपनी की आंतरिक नीतियां संबंधी सामाग्री प्रदान की गईं।

इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी के प्रति उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने के लिए, विभिन्न सांविधिक निकायों द्वारा लागू किए गए कानूनों में विकास पर समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी के मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक वर्ष में कम से कम एक बार कार्यात्मक, सरकारी निदेशकों या प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना मिलते हैं। वे कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन करते हैं, जो बोर्ड के लिए इसके कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु आवश्यक है।

6. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री नौमान अहमद, (प्रबंध निदेशक), श्री. रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग), श्री सौरभ श्रीवास्तव (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

7. निदेशक मण्डल की बैठकें

अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बोर्ड बैठकें (181वीं से 185वीं तक) क्रमशः 19 मई, 2023, 04 अगस्त, 2023, 01 नवंबर, 2023, 01 फरवरी, 2024 और 29 फरवरी, 2024 को आयोजित की गईं।

बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशक का नाम	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	उपस्थित हुए	विगत वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
श्री पवन कुमार गुप्ता	2	2	हाँ
श्री के.पी. महादेव स्वामी	3	3	लागू नहीं
श्री नौमान अहमद	5	5	हाँ
श्री रवि रंजन	5	5	हाँ
श्रीमती डी. थारा	5	1	नहीं
श्री दीपक सिंह भाकर	5	5	हाँ

इसके अलावा, कुछ निर्णय संचलन के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके लिए गए थे और बाद में बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में नोट किए गए, पुष्टि की गई और रिकॉर्ड में लिए गए।

8. निदेशकों का शेयरधारक पैटर्न

31 मार्च, 2024 तक 1,80,01,400 रुपये की कुल इक्विटी शेयर (1,80,014 रुपये 100 के इक्विटी शेयर) पूंजी के शेयर धारित रखे गए:

निदेशक	एचएससीसी के शेयरों की संख्या
श्री नौमान अहमद	6
श्री के.पी. महादेव स्वामी	शून्य
श्री रवि रंजन	शून्य
श्रीमती डी. थारा	शून्य
श्री दीपक सिंह भाकर	शून्य

एजेंडा तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम, 2013 सहित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में एजेंडे पर टिप्पणी और बैठक के कार्यवृत्त को इसके तहत जारी नियमों के साथ पढ़ा जाता है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों को भी सुनिश्चित किया जाता है।

I. सामान्य सभा की बैठक

1. वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2023-24	20 सितंबर, 2024	12:00 अपराह्न	गरवी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड, मान सिंह रोड एरिया, नई दिल्ली–110011
2022-23	12 सितंबर, 2023	12:00 अपराह्न	गरवी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड, मान सिंह रोड एरिया, नई दिल्ली–110011
2021-22	27 सितंबर, 2022	12:30 अपराह्न	एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली

2. असाधारण सामान्य बैठक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं हुई।

3. पोस्टल बैलेट/डाक मतपत्र

आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किसी भी कार्य को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

4. निदेशक मंडल स्तर की समितियां

(क). लेखा–परीक्षा समिति:

31 मार्च, 2024 को लेखा–परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. डॉ. दीपक सिंह भाकर–अध्यक्ष
2. श्रीमती डी. थारा–सदस्य
3. श्री रवि रंजन–सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी सचिव लेखा–परीक्षा समिति के सचिव हैं। सांविधिक लेखा–परीक्षकों को आवश्यकता के आधार पर बैठकों में उपस्थिति होने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान क्रमशः 17 अप्रैल, 2023, 27 अप्रैल, 2023, 18 मई, 2023, 24 जुलाई, 2023, 04 अगस्त, 2023, 01 नवंबर, 2023, 01 फरवरी, 2024, 12 फरवरी, 2024 और 29 फरवरी, 2024 को नौ लेखा–परीक्षा समितियों की बैठकें आयोजित की गईं।

सदस्य का नाम	पदनाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लिए समिति की संख्या
श्रीमती डी. थारा	सदस्य	9	1
श्री रवि रंजन	सदस्य	9	9
डॉ. दीपक सिंह भाकर	सदस्य	9	9

(ख). कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः

31 मार्च, 2024 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार हैः–

1. सुश्री डी. थारा – अध्यक्ष
2. डॉ. दीपक सिंह भाकर– सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

कंपनी सचिव वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैठक एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, तीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बैठकें 04 अगस्त, 2023, 01 सितंबर, 2023, 06 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लिए समिति की संख्या
1.	श्रीमती डी. थारा	अध्यक्ष	3	1
2.	श्री दीपक सिंह भाकर	सदस्य	3	3
3.	श्री रवि रंजन	सदस्य	3	3

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिचालन के माध्यम से सीएसआर संकल्प को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया तथा निदेशक मंडल को उनके अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया गया।

(ग). नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार हैः–

1. श्री दीपक सिंह भाकर– अध्यक्ष
2. सुश्री डी थारा – सदस्य
3. श्री रवि रंजन – सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बैठक और उपस्थितिः वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

कंपनी सचिव वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं।

मानव संसाधन समिति की बैठक :–

समिति की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्री नौमान अहमद– अध्यक्ष
2. श्री रवि रंजन – सदस्य
3. श्री दीपक सिंह भाकर–सदस्य

वर्ष के दौरान, मानव संसाधन समिति की बैठक 11 जून 2024 को आयोजित की गई।

निदेशकों का पारिश्रमिक (31 मार्च, 2024 के अनुसार)

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशकों को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, और वे सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं और जैसा कि सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति/अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया होता है। कंपनी के नियमों के अनुसार प्रदर्शन से संबंधित वेतन सहित भत्ते और अनुलाभ दिए जा रहे हैं।

बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों को निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं प्रदान किया जाता है, लेकिन सरकारी अधिकारी के रूप में सरकार से उनका पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक भी कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, उन्हें केवल बैठकों और उप–समितियों में प्रति बैठक रु. 10,000/– बैठक–शुल्क का भुगतान किया जाता है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार है :–

(क) कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिकः (राशि रुपयों में)

विवरण	श्री नौमान अहमद (प्रबंध निदेशक) वित्त वर्ष 2023–24	श्री रवि रंजन निदेशक (इंजीनियरिंग) वित्त वर्ष 2023–24
सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	32,36,929	29,48,322
(ख) धारा के अधीन अनुलाभों का मूल्य	6,64,399	6,05,160
(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य
लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन	शून्य	शून्य
ई.पी.एफ., नियोक्ता पेंशन, अंशदान	6,52,072	5,93,933
अर्जित अवकाश और एचपीएल, छुट्टी नकदीकरण, पीआ. रएमबी, ग्रेजयुटी और पीआरपी हेतु प्रावधान	7,11,297	6,59,283
कुल	**52,64,697**	**48,06,698**

2. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं है। गैर–कार्यकारी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र) को प्रत्येक बोर्ड और उप–समिति(ओं) की बैठक के लिए क्रमशः रु. 10,000/– का बैठक शुल्क प्रदान किया जाता है।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

III. संचार के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों को अपनी वार्षिक प्रतिवेदन, आम बैठकों और वेबसाइट के द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद व संचार करती है।

क. **वार्षिक प्रतिवेदनः** वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट, कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट उक्त वार्षिक प्रतिवेदन का एक हिस्सा है, और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

ख. **वेबसाइटः** कंपनी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in एचएससीसी के प्रबंधन, विजन, मिशन, नीतियों, कॉरपोरेट अभिशासन, कॉर्पोरेट स्थिरता, निवेशकों के संबंध, अध्यतन सूचनाएँ और समाचार हेतु एक व्यापक संदर्भ प्रदान करती है।

ग. कंपनी आयोजनों एवं घटनाओं के आधार पर, कंपनी की वेबसाइट पर समाचार विज्ञप्ति जारी करती है।

IV. शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी :–

क.	**कंपनी पंजीकरण विवरण**	CIN-U74140DL1983GOI015459
ख.	41वीं वार्षिक आम बैठक : तिथि, समय और स्थान	शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी") गरवी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड, मान सिंह रोड एरिया, नई दिल्ली–110001
ग.	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक
घ.	बुक बंद करने की तिथि/रिकॉर्ड तिथि	06 सितंबर, 2024

V प्रकटीकरण

1. इस अवधि के दौरान इसके निदेशकों और प्रबंधन के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी स्तर लेनदेन नहीं हुआ, जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप में प्रतिकूल रहा हो। इसके अलावा, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।
2. निदेशकों को उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को बैठने की फीस के अलावा, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण या आर्थिक संबंध नहीं था, जो निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो।
3. विभिन्न विभागों से प्राप्त सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट, सांविधिक बकाया की स्थिति के साथ, नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
4. कंपनी बोर्ड की संरचना को छोड़कर, सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में है।
5. वर्ष के दौरान, लेखा बहियों में ऐसा कोई व्यय के नामे नहीं लिखा गया है, जो कि व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं था, और ऐसा कोई भी व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का था, तथा जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च नहीं किया गया है।
6. मैसर्स दस्सानी एंड एसोसिएट्स, एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।
7. वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज किए, निपटाए गए और लंबित मामलों का विवरण कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है – शून्य रिपोर्ट

8. कुल व्यय बनाम वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण और वृद्धि का कारणः

लाख रु. में

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	प्रशासन और कार्यालय व्यय (क)	5,675	4,953
2	कुल व्यय (ख)	134241	120275
3	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासन और कार्यालय व्यय (ग=क/ख*100)	4.23%	4.12%
4	वित्तीय व्यय (घ)	0.19	0.36
5	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय (ग=घ/ख*100)	0.00%	0.00%

9. वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया

VI सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–क) के साथ संलग्न किया गया है।

VII अनुपालन

कॉर्पोरेट अभिशासन के शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के लेखा–परीक्षकों से अनुपालन प्रमाणपत्र, इसके साथ संलग्न है और यह रिपोर्ट का हिस्सा है।

घोषणा

हम, नौमान अहमद, प्रबंध निदेशक एवं रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग), एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी की आचार संहिता के विधिवत अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 10054994

ह./–
रवि रंजन
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 10057427

स्थानः नोएडा
दिनांकः 08 अगस्त, 2024

अनुलग्नक-III

एओसी–2

संबंधित पक्ष के साथ किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण

1. व्यापार के सामान्य कार्यकलापों में दर्ज किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं या लेनदेन के विवरण का प्रकटीकरण, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर नहीं: **शून्य**

2. व्यापार के सामान्य कार्यकलापों में दर्ज किए गए अनुबंधों / व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में:

संबंधित पक्ष की प्रकृति और अनुबंध की प्रकृति	संबंध	अनुबंध की अवधि	मुख्य विशेषताएं	राशि (₹ लाख में)
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी ए	बोर्ड की मंजूरी के अनुसार	अनुबंध सेवा और अन्य के लिए प्राप्त राशि	7,526.59

ह./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10054994

ह./–
रवि रंजन
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएन: 10057427

स्थान: नोएडा
दिनांक: 08 अगस्त, 2024

अनुलग्नक-क

सीईओ / सीएफ़ओ प्रमाणन

सेवामें,

निदेशक मंडल,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
नोएडा

हम, श्री नौमान अहमद, (प्रबंध निदेशक) और श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि;

क. हमने, 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए और उस तारीख को वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम संज्ञान और विश्वास के अनुसारः–

(i). उक्त विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन नहीं है, या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है, या इसमें ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii). उक्त विवरण एक साथ कंपनी मामलों व कार्यों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी हो, अवैध हो या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने इस तरह के आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या परिचालन में कोई रिपोर्ट योग्य कमियां नहीं पाई हैं।

घ. हमने लेखा–परीक्षकों और लेखा–परीक्षा समिति को निम्नलिखित को सूचित किया हैः–

(i) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2023–24 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष 2023–24 के दौरान लेखांकन नीतियों में उक्त महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका प्रकटीकरण।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या ऐसे किसी भी कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के कोई भी उदाहरण।

ह./–
नौमान अहमद
प्रबंध निदेशक (एचएससीसी)
डीआईएनः 10054994

ह./–
सौरभ श्रीवास्तव
एफसीएमएः 13771
मुख्य वित्तीय अधिकारी (एचएससीसी)

स्थानः नोएडा
दिनांकः 08 अगस्त, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

एचएससीसी सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। सीएसआर नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लेखित सभी परियोजनाओं को कवर करना है।
2. प्रस्ताव/अनुरोध निर्धारित प्रारूप में जिला प्रशासन/जिला प्राधिकरण के माध्यम से आना चाहिए।
3. प्रस्ताव को बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित किया जाता है तथा कार्यान्वयन के लिए एचएससीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

31 मार्च, 2024 तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
1	श्रीमती डी. थारा	सरकार द्वारा नामित निदेशक/अध्यक्ष	3	1
2	डॉ. दीपक सिंह भाकर	स्वतंत्र निदेशक/सदस्य	3	3
3	श्री रवि रंजन	निदेशक/सदस्य	3	3

4. वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट – www.hsccltd.co.in पर किया गया हो।

5. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का वेब–लिंक सहित कार्यकारी सारांश उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो– लागू नहीं।

6. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो – शून्य

7. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ – ₹ 2512.58 लाख

8. (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशतः ₹ 50.25 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष (7क+7ख–7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व : ₹50.25 लाख

9. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशिः
(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः शून्य
(घ) प्रशासनिक मद में खर्च की गई राशिः शून्य
(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं
(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):₹50.25 लाख
(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

10. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः शून्य
(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (लाख रुपए में)
2020-21	शून्य	120.00	शून्य	16.47*
2021-22	शून्य	105.11	शून्य	5.06**
2022-23	शून्य	86.21	शून्य	शून्य

*वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पीएम केयर्स फंड में दान के रूप में 14.64 लाख रुपये खर्च किए गए। शेष 1.83 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2020–21) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण थे और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किडनी रोग एवं अनुसंधान केंद्र संस्थान को दान के रूप में खर्च किए गए।

**वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण 5.06 रुपये थे और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किडनी रोग एवं अनुसंधान केंद्र संस्थान को दान के रूप में खर्च किए गए।

11. क्या वित्तीय वर्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में खर्च की गई राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित की गई है या अर्जित की गई हैः नहीं यदि हां, तो सृजित गई/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें।

12. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं। कंपनी ने धारा 135 की उपधारा (5) का अनुपालन किया है।

ह./–	ह./–	ह./–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)।

क्र. सं.	परियोजना गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	स्थान	परियोजना / कार्यक्रम के लिए कुल स्वीकृत बजट	चालू वर्ष 2023–24 में परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि	चालू वर्ष 2023–24 के लिए राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	मेसर्स परमपूज्य महादेव गो. विज्ञान अंशुसंधान संस्थान, एक ट्रैक्टर की खरीद के लिए	स्वास्थ्य और पोषण	अजमेर	8.35 लाख	8.35 लाख	8.35 लाख	8.35 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित किया गया
2	मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान न्यायाधिकरण समुदायों में पोषण कमी को दूर करने के लिए	स्वास्थ्य और पोषण	अजमेर	16.70 लाख	16.70 लाख	16.70 लाख	16.70 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित किया गया
3	मेसर्स स्पेशल भारत ओलंपिक	स्वास्थ्य और पोषण	फतेहपुर	22.30 लाख	22.30 लाख	22.30 लाख	22.30 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित किया गया
4	पीएम केयर्स फंड	-	-	2.90 लाख	2.90 लाख	2.90 लाख	2.90 लाख	वैधानिक कानून के अनुसार कार्यान्वित किया गया

उत्तरदायित्व कथन

हम, इसके अनुसार पुष्टि करते हैं कि एचएससीसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति लागू की गई है तथा सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

ह/–	ह/–
नौमान अहमद	**डी. थारा**
प्रबंध निदेशक	**(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)**
डीआईएन सं.: 10054994	**डीआईएन नं.: 01911714**

स्थानः नोएडा
दिनांकः 08 अगस्त, 2024

फॉर्म सं. एमआर – 3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवामें,
सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096

हमने **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** (इसके बाद **''कंपनी''** कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय **205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली–110096** है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस तरीके से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

सचिवालयी लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना, हमें दिए गए वर्णन और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन, के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान, यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का आमतौर पर अनुपालन किया है और कंपनी के पास यहां इसमें इसके बाद रिपोर्ट की गई सीमा तक, रिपोर्टिंग में बताए तरीके में और उसके अध्ययधीन समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र विद्यमान है:

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए और रखे जा रहे बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेख की जांच **"कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमों"** के प्रावधानों के अनुसार की है।

इसके अलावा, हमने आज की तारीख तक संशोधित "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों" और "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों" के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

इसके अलावा हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने **निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन** उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. लेखा–परीक्षा समिति और पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति की संरचना कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
2. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 (2) के अनुपालन में नहीं है।

3. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बोर्ड की बैठकों को बोर्ड के प्रतिभागियों को पर्याप्त नोटिस, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट प्रदान करके विधिवत बुलाया गया था, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। कुछ मामलों में देरी को छोड़कर सभी फॉर्म वैधानिक अधिकारियों के पास समय पर दाखिल किए गए हैं।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को बैठक के कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
जितेश गुप्ता
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)
एफसीएस सं.: 3978
सीपी सं.: 2448
सहकर्मी समीक्षा संख्या 902/2020
यूडीआईएन: F003978F000748942

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16.07.2024

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम–तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **''अनुबंध क''** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

''अनुलग्नक–क'

सेवामें,
सदस्य,
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
205, (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 4,
एलएससी, सेंटर–II, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली–110096

सम–तिथि की हमारी सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व, हमारे लेखा–परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों के संबंध में अभिमत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने लेखा–परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थे। सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार अपनाया गया जिससे कि सचिवीय रिकॉर्डों से सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हम पालन करते हैं वे हमारी अभिमत को उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए कंपनी से प्राप्त प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी के सांविधिक अनुपालन की सत्यता और उपयुक्तता पर भरोसा किया गया है।

4. समीक्षाधीन अवधि के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है; इसलिए कंपनी से प्राप्त प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता पर भरोसा किया गया है।

5. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यों की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन देती है।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
जितेश गुप्ता
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)
एफसीएस सं.: 3978
सीपी सं.: 2448
सहकर्मी समीक्षा संख्या 902/2020
यूडीआईएन: F003978F000748942

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 16.07.2024

कॉर्पोरेट अभिशासन पर स्वतंत्र लेखा–परीक्षक का प्रमाण–पत्र

सेवामें,

सदस्य,

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के 8.2.1 में यथा निर्धारित है।
2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। यह न तो एक लेखा–परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है। हमारी जांच निम्नलिखित को छोड़कर, कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाली कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी:

   i. अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण डीपीई दिशा–निर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया गया है।

   ii. लेखा–परीक्षा समिति और पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति की संरचना कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

   iii. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 (2) के अनुपालन में नहीं है।

इसके अतिरिक्त हम उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है, न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का कार्यान्वयन किया है।

कृते जे. के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
(प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव)

जितेश गुप्ता
(संस्थापक भागीदार)
एफसीएस नंबर 3978
सी पी नंबर: 2448
सहकर्मी समीक्षा नंबर 902/2020
यूडीआईएन: एफ003978एफ000748953

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्टों (2023–24) पर सचिवीय लेखा–परीक्षक रिपोर्ट के लिए प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षक टिप्पणियाँ	लेखा परीक्षक टिप्पणियाँ (कॉर्पोरेट अभिशासन)	प्रबंधन का उत्तर
1. लेखा–परीक्षा समिति और पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति की संरचना कंप. नी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्. यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। **2.** कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्. यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 (2) के अनुपालन में नहीं है। **3.** अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया गया है।	**1.** अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1, 4.1.1 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया गया है। **2.** लेखा–परीक्षा समिति और पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति की संरचना कंप. नी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्. यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। **3.** कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा 149 (2) के अनुपालन में नहीं है।	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और स्वतंत्र निदेशकों/ नामित निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा की जाती है। निदेशकों की संरचना में दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक और दो कार्यात्मक निदेशक थे। डॉ (श्रीमती) विनोद पंथी, एमओएचयूए द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ (श्रीमती) ज्योति किरण शुक्ला, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 27 अप्रैल, 2020 को की गई। तदनुसार, दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 16 जुलाई, 2023 को समाप्त हो गया है। मंत्रालय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को भरने की प्रक्रिया में है।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

PDA/Infra/PHQ-I/27-127/Annual a/c/2023-24/

संख्या / No. HSCC/192

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना), दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 26.07.2024

सेवा में,

प्रधान निदेशक
एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
इ-6 (ए), सेक्टर - 1,
नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301

विषय: **कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ'**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ' अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

विनीता मिश्रा

(विनीता मिश्रा)

महानिदेशक

संलग्न: 'शून्य टिप्पणियाँ'

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

दूरभाष/Tele.: 011-23378473, E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महा–लेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के तहत वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह उनके द्वारा दिनांक 22 मई, 2024 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से करने का उल्लेख किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक की ओर से, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखा–परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा–परीक्षक के कार्य दस्तावेजों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रमुख रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में कोई टिप्पणी दी जा सके।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महा–लेखा–परीक्षक एवं उनकी ओर से

हस्ता/–
(विनीता मिश्रा)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा (अवसंरचना)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26 जुलाई 2024

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

सेवामें,

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

के सम्मानित सदस्यगण,

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, साक्षेप अभिमत की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य अभिमत

हमने **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** (यहां इसके बाद से "कंपनी" के रूप में संदर्भित) की स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 को तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य सर्वसमावेशी आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तब समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टकारी सूचना के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और मॉरीशस में स्थित कंपनी की एक विदेशी शाखा के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी (यहाँ इसके बाद से स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारे अभिमत में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और योग्य अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव/ संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमें दिए गए स्पष्ट कारणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना, यथा अपेक्षित तरीके से प्राप्ति होती है और इनसे यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियमों की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्यथा लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और इसके लाभ, कुल व्यापक आय इसके नकद प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्राप्त होती है।

योग्य अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखा–परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा संबंधी मानकों (एसएएस) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में और अधिक वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचारसंहिता के अनुसार कंपनी के साथ ही नीतिगत अपेक्षाओं से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की हमारी लेखा–परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के संबंध में हमारे अभिमत का पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्राप्त होता है।

क) परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं और मंत्रालयो/ग्राहकों को सौंप दी गई हैं और परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं लेकिन उन मंत्रालयों/ग्राहकों को नहीं सौंपी गई हैं जिनकी संपत्ति और देनदारियां 112,878.92 लाख रुपये (95327.22 लाख रुपए अलग परियोजना में पड़े हैं + 17551.70 लाख रुपए एचओ में पड़े हैं) (पिछले वर्ष–137,612.84 लाख रुपये) हैं, कंपनी के खाता बहियों में वित्तीय समापन हेतु लंबित हैं। वित्तीय विवरणों पर ऐसी परियोजनाओं की परिसंपत्तियों और देनदारियों के समायोजन से उत्पन्न परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सका है। (कृपया टिप्पणी संख्या 50 का संदर्भ लें)

हमारे पूर्व लेखा–परीक्षक ने इस मामले में 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में भी इस मामले के संबंध में योग्यता पाई है।

मामले का प्रमुख विषय

हम स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) पट्टा भूमि पर निर्माण शुरू नहीं होने के संबंध में कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट संख्या 3 का संदर्भ देखें, जिसका सकल मूल्य 389.16 लाख रुपये है, जबकि पट्टा विलेख के अनुसार निर्माण 21 अप्रैल 2017 तक पूरा किया जाना था। कंपनी ने इस लेखा–परीक्षा की तिथि के अनुसार 22 अप्रैल 2017 से 08 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 12 जनवरी 2022 के अपने पत्र के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण द्वारा मांगे गए 56.51 लाख रुपये और जीएसटी /18: का विस्तार शुल्क का भुगतान नहीं किया है। हालाँकि, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक नोएडा प्राधिकरण को देय विस्तार शुल्क 78.64 लाख रुपये (पिछले वर्ष 67.61 लाख रुपये) का प्रावधान किया है।

(ख) नोट संख्या 51 के संदर्भ में, व्यापार प्राप्य, वसूली योग्य/देय दावों, व्यापार देय, प्रतिधारण धन, ग्राहक जमा निधि, ईएमडी, प्रतिभूति जमा (प्राप्य और देय) के संबंध में शेष राशि की पुष्टि और समाधान करने के संबंध में, मंत्रालयों, ग्राहकों और देय दावों के शेष समाधान, पुष्टि और उसके परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से इतर सूचना और तत्संबंधी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन अवलोकन, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और इस संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व है कि अन्य सूचना पढ़ें और ऐसा करने पर यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण या लेखा–परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ पर्याप्ता रूप से असंगत है या अन्यथा पर्याप्त गलत विवरण प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण ग़लत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिनसे अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तन की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर मिलती है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है और मेटेरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त हैं चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन और निदेशक मंडल, कंपनी की चालू संस्था के तौर पर बने रहने, चालू संस्थान से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, प्रकटीकरण करने, और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन कंपनी का परिसमापन अथवा संचालन बंद करना चाहता है अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल और प्रबंधन कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप में वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा मौजूद किसी वास्तविक गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह विमान हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इसे वास्तविक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा–परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करते है कि:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करना, और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले वास्तविक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा–परीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की व्यवस्था है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू संस्थान आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई वास्ताविक अनिश्चितता है अथवा नहीं जिससे कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप बने रहने की क्षमता के संबंध में पर्याप्तत संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण करने या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में परिवर्तन करने पर ध्यान देना होगा। हमारे निष्कर्ष, हमें प्राप्त अद्यतन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट से प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण संभवतः कंपनी चालू संस्थान के रूप में निरंतर बनी न रह पाए।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना, और इसका मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों से आधारभूत लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति मिलती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में गलत विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) लेखा–परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखा–परीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संप्रेषित करते है।

हम प्रशासन के उत्तरदायी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

अभिशासन से प्रभारित मामलों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में अधिकांश महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले थे। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं कि जब तक कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करते हैं या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के लाभ से सार्वजनिक हित को प्रभावित किया जाएगा।

अन्य मामले

क) हमने कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल मॉरीशस की 1 विदेशी शाखा के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा–परीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 को 130.64 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4.47 लाख रुपये) की कुल संपत्ति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) दर्शाती है जैसा कि इस शाखा के उक्त वित्तीय विवरण/सूचना में माना गया है, जिसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित करके हमें प्रस्तुत किया गया है और जहां तक यह उक्त शाखा के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी अभिमत पूरी तरह से कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित है।

ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए संबंधित वर्ष के लिए कंपनी के तुलनात्मक स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पूर्ववर्ती लेखा–परीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 19 मई 2023 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में उन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर संशोधित निष्कर्ष/अभिमत व्यक्त की थी। उपरोक्त कथोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि भारत की केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुरूप जारी कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम ''अनुलग्नक क'' में यथाप्रयोज्य सीमा तक आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम प्रयोज्य सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने योग्य अभिमत के पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों / प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर मांग सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ख) योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों / संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कानून द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखाबहियों को कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक यह उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और हमारे द्वारा दौरान की गई शाखा के प्रबंधन से हमारी लेखा–परीक्षा के लिए पर्याप्त समुचित विवरणी प्राप्त हुई है;

(ग) कंपनी के एक शाखा कार्यालय के खातों पर अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी कंपनी के प्रबंधन द्वारा विधिवत प्रमाणित करके हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से व्यवहार किया गया है।

(घ) योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों/प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण खाते बहियों के अनुरूप है।

(ङ) योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों/प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी अभिमत में, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(छ) लेखाओं के रख–रखाव और तत्संबंधी अन्य मामलों के संबंध में अर्हता, वे हैं जो साक्षेप अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में बताई गई हैं।

(ज) कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में ''अनुलग्नक ख'' में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(झ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ञ) कंपनी (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 33 देखें;

ii. कंपनी ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित हानि के लिए लागू कानूनों या भारतीय लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है–स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट 21 का संदर्भ लें; और

iii. 31 मार्च 2024 तक ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी निधि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से) या संस्थाएं, जिनमें विदेशी संस्थाएं (''मध्यस्थ'') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार या निवेश करेगा (''अंतिम लाभार्थी'') कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''निधियन पक्षों'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस सोच के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (''अंतिम लाभार्थी'') या निधियन पक्षों की ओर से या कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अंतिम लाभार्थी की ओर से प्रदान करेगी।

(ग) इस प्रकार की लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप–खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

v. (क) इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

(ख) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट 34 में उल्लेखित है, कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जितना यह लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

vi. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 1 अप्रैल 2023 से लागू है।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और यह पूरे वर्ष के दौरान सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संचालित होता है।

इसके अलावा, कंपनी पेरोल, डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रक्रिया आदि के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर रही है, जहां एप्लिकेशन स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की रिकॉर्डिंग की सुविधा सक्षम नहीं थी।

सभी लेखांकन प्रविष्टियाँ कंपनी के लेखांकन सॉफ़्टवेयर के ज़रिए संसाधित की जाती हैं, जिसमें ऑडिट ट्रायल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार तथा एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा–परीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महा–लेखा–परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम संलग्न अनुलग्नक ''ग'' में रिपोर्ट दे रहे हैं।

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 009096C/C400365
सीए. अभिषेक माहेश्वरी
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः 402561

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई 2024

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' भाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिमाणात्मजक विवरण सहित पूरा विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड बनाया हुआ है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन सत्यापन किया गया है, जो कि हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाईं गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/ संप्रेषण विलेख (कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज बताएं जो शीर्षक का सबूत हो) की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्वामित्व विलेख निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर, सभी अचल संपत्तियाँ, जैसा कि नोट 3 में वित्तीय विवरणों में बताया गया है, उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है, कंपनी के नाम पर रखी गई हैं:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	आयो–जनकर्ता	क्या प्रोमोटर निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारित संपत्ति–सीमा (वित्तीय वर्ष)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भवन–फ्रीहोल्ड – 201–222 दूसरी मंजिल, एनबीसीसी केंद्र, ओखला फेज– 1, नई दिल्ली	6,834.99	**एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड (धारित कंपनी)**	**प्रोमोटर**	30/03/2019 तक	जैसा कि प्रबंधन ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कोविड की स्थिति के कारण संपत्ति का पंजीकरण नहीं हुआ है। प्रबंधन वित्त वर्ष 2024–25 की पहली छमाही तक पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया में है।

(घ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों सहित अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू की गई या लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को मौजूदा संपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से पांच करोड़ रुपए से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पक्षों में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या प्रतिभूतिकृत या अप्रतिभूतिकृत ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) (क) – (च) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं। इस प्रकार, आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा जमाराशियों या जमा मानी गई राशियों के संबंध में, ऐसी कोई राशि स्वीकार नहीं की गई है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हों और इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) हमारी जानकारी के अनुसार और जैसा कि बताया गया है, केंद्र सरकार ने पीएमसी परियोजना के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा 1 के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश का अनुच्छेद 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया, जैसा लागू हो, उचित प्राधिकारिणों को नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है और उसके संबंध में देय निर्विवाद राशियाँ, जो वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थीं, इस प्रकार हैं:

सांविधिक देय बकाया होने की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया सांविधिक देय राशि का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	देय तिथि	भुगतान की तिथि
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.02	2022-23	30-04-2023	-
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.27	2023-24	07-05-2023	-
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.10	2023-24	07-08-2023	-
4	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.01	2022-23	30-04-2023	-

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	देय तिथि	भुगतान की तिथि
5	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.03	2022-23	30-04-2023	-
6	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.22	2022-23	30-04-2023	-
7	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	0.18	2023-24	07-09-2023	-
8	भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	भवन एवं श्रम उपकर	0.34	2022-23	31-12-2022	-
9	भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	भवन एवं श्रम उपकर	3.97	2023-24	30-05-2023	-
10	भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	भवन एवं श्रम उपकर	1.75	2023-24	31-07-2023	-

(ख) उपलब्ध कराई गई सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, वह निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (₹लाख में)	अभ्यापत्ति के तहत भुगतान की गई राशि (₹)	अवधि जिससे देय राशि सं. बंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1.	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	431.02	शून्य	निर्धारण वर्ष 2018–19	आयकर आयुक्त (अपील)
2.	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	131.53	शून्य	निर्धारण वर्ष 2014–15	आईटीएटी दिल्ली
3.	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	1.92	शून्य	निर्धारण वर्ष 2015–16	आयकर आयुक्त (अपील)
4.	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	14.26	शून्य	निर्धारण वर्ष 2021–22	आयकर आयुक्त (अपील)
5.	एमपी जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.15	शून्य	वित्तीय वर्ष 2018–19	अपीलीय प्राधिकारी, भोपाल
6	एमएच जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.61	शून्य	वित्तीय वर्ष 2018-19	अपीलीय प्राधिकारी, नागपुर

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (₹लाख में)	अभ्यापत्ति के तहत भुगतान की गई राशि (₹)	अवधि जिससे देय राशि सं. बंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
7	डब्ल्यूबी जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	76.95	शून्य	वित्तीय वर्ष 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी, बेहाला
8	एमएच जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	104.69	शून्य	वित्तीय वर्ष 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी, नागपुर
9	असम जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	16.74	शून्य	वित्तीय वर्ष 2018-19	संयुक्त आयुक्त (जीएसटी), तेजपुर
10	दिल्ली जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	10.95	शून्य	वित्तीय वर्ष 2018-19	संयुक्त आयुक्त (जीएसटी), भीकाजी–कामा प्लेस, नई दिल्ली
11	ईएसआई अधिनियम	ईएसआई	1.83	शून्य	01.01.1997 से 31.07.2004	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर
12	भविष्य निधि अधिनियम	भविष्य निधि	6.86	शून्य	2004-05 से 2008-09	पीएफ ट्रिब्यूनल

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा बहियों में दर्ज न हो तथा जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं ली। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(ङ) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ङ) और (च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x) (क) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(ix) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(ix) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (क) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से किए गए लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा और कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से किए गए लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी –4 में दर्ज नहीं की गई है।

(ग) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से किए गए लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किवर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से किए गए लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण संबंधित पक्षों के लेन–देन का प्रकटीकरण स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 36 में किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानक द्वारा आवश्यक है।

(xiv) (क) हमारी राय में तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, लेकिन व्यवसाय की जटिलताओं के कारण इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ख) हमने लेखा–परीक्षा के तहत वर्ष हेतु आंतरिक लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के अनुच्छेद 3(xv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भ.रि.बैंर्क से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी ("सीआईसी") नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह का कोई सीआईसी नहीं है जो समूह का हिस्सा है।

(xvii) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी को चालू और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांवधिक लेखा परीक्षक का इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारा यह मत है कि तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब भी वे देय हों, पूरा करने की कंपनी की क्षमता के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है।हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी जब वे देय हो जाते हैं।

(xx) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निष्पादित हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी के पास उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंजरित करने के लिए कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है।

(xxi) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी पर लागू नहीं है। इसलिए आदेश के अनुच्छे (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 009096C/C400365
सीए. अभिषेक माहेश्वरी
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः 402561

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई 2024

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

(एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सम–तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' भाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एच) में संदर्भित)

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण की अपनी लेखा–परीक्षा के साथ–साथ 31 मार्च 2024 को **एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड** (यहां के बाद से 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) की स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है।

प्रबंधन का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यवसाय का सुव्यवस्थित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण निहित हैं जिनमें अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और इनका पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा–परीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 10 के तहत निर्धारित लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं।इन मानकों तथा मार्गदर्शन नोट के लिए अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा–परीक्षा के बारे में ऐसी योजना बनाएं तथा इस प्रकार इसका निष्पादन करें कि एक युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी सामग्रीगत प्रकार से प्रभावी ढंग से कार्य किया।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावकारिता के बारे में लेखा–परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करना निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझबूझ हासिल करना, इस जोखिम का निर्धारण करना कि क्या कोई सामग्रीगत दुर्बलता मौजूद है, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा–परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा संबंधी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग परआंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रख–रखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विस्तार से, सटीकता से और निष्पिक्षता से कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और व्यय को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) इस संबंध में उचित

आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेन को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया गया है ताकि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार किया जा सके और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय, केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुरूप तैयार की जा रही हैं; और (3) कंपनी की उन आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, अथवा निस्तारण के समय पर पता करने अथवा उनकी रोकथाम के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणापर वास्तविक प्रभाव डाल सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं, मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अवहेलना की संभावना के कारण, त्रुटिवश या धोखाधड़ी के कारणवश तथ्यजनक गलत विवरण दिए जा सकते हैं जिनका पता नहीं चले। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के यदि कोई मूल्यांकन प्रक्षेपण हों तो उन पर यह जोखिम है कि वे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

योग्य अभिमत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित वास्तविक कमजोरी / कमजोरियों की पहचान की गई है:

i. कंपनी के पास व्यापार प्राप्य के संबंध में शेष राशि का पुष्टिकरण प्राप्त करने और शेष राशि का समाधान करने, से वसूली योग्य दावों/देय, व्यापार देय, प्रतिधारण धनराशि, उपभोक्ता जमा निधि, ईएमडी, जमानत राशि (प्राप्य और देय), मंत्रालयों, उपभोक्ताओं, सामान्या उपभोक्ताओं के शेष, देय दावों की एक प्रभावी प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति और देनदारियों का गलत विवरण देने की संभावना बनी रहती है।

ii. कंपनी के पास उन परियोजनाओं के वित्तीय समापन पर नियंत्रण नहीं है, जिन्हें सौंप दिया गया है और परियोजनाएं पूरी हो गई हैं लेकिन ग्राहक को नहीं सौंपी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों का गलत विवरण हो सकता है।

हमारे अभिमत में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्य प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरी/कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के कारण, कंपनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा के संबंध में दिशा–निर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण नहीं बनाए है।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा–परीक्षा में प्रयुक्त लेखा–परीक्षा जांचों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और इन महत्वनपूर्ण कमजोरियों से कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत प्रभावित हुआ है और हमने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में एक योग्य अभिमत जारी किया है।

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 009096C/C400365
सीए. अभिषेक माहेश्वरी
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः 402561

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 22 मई 2024

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2023–24 के लिए एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं की लेखा–परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करने वाले निर्देश।

क्र.सं.	जांचा गया क्षेत्र	टिप्पणियां / निष्कर्ष
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ लेखाओं की निष्ठात के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन संसाधित करने के निहितार्थ, यदि कोई बताया जा सके।	कंपनी के पास लेखांकन लेनदेन को आंशिक रूप से मानवीय हस्तक्षेप वाली प्रणाली के माध्यम से तथा आंशिक रूप से मैन्युअल रूप से सीधे फीडिंग द्वारा संसाधित करने की प्रणाली है। कंपनी ने सिस्टम लेखा परीक्षक मैसर्स बीएससीआईसी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से 17 अगस्त, 2023 को एचएससीसी वित्त प्रबंधन प्रणाली के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जो प्रमाणित करता है कि यह अब सर्ट–इन मानकों, ओडब्ल्यू एएसपी टॉप 10 और सैन्स टॉप 25 बेंचमार्क का अनुपालन करता है, तथा होस्टिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है। भारतीय लेखांकन मानक की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न गणनाएँ जैसे कि प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधित लागत, लीज़ देयता की गणना आदि को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की आवश्यकता है, किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप से सिस्टम में गलत प्रविष्टियाँ हो सकती हैं और इसका सीधा असर वित्तीय विवरणों पर पड़ेगा। वर्तमान में, उक्त कार्य मैन्युअल रूप से बनाए रखा गया है और हमारे द्वारा सत्यापित किया गया है। जीएसटी ई–चालान और अपलोडिंग के लिए कंपनी अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। एचएससीसी ईआरपी में वर्तमान में लेनदारों / देनदारों / बैंक में प्रतिकूल शेष राशि जैसी असाधारण रिपोर्ट की सुविधाएं हैं। समाप्त बीजी / निर्दिष्ट अवधि के भीतर समाप्त होनेवाली बीजी अधिकारी द्वारा उन्हें याद दिलाने के लिए ईआरपी में लॉगिन के समय सिस्टम पर स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो जाती है।

क्र.सं.	जांचा गया क्षेत्र	टिप्पणियां/निष्कर्ष
2.	क्या कंपनी की ऋण चुकौती की असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्संरचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को कर्ज / ऋण / ब्याज आदि को माफ करने / बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा–जोखा दिया गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट की गई और/या वर्ष की हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान ऋण/उधार/ब्याज के पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं देखा गया।
3.	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य निधियों का नियम और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा–जोखा दिया गया/ उपभोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची दें।	प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया और/या वर्ष की हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान पाया गया कि केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि अर्थात् अनुदान, सब्सिडी आदि प्राप्त/प्राप्ति योग्य नहीं है।

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 009096C/C400365
सीए. अभिषेक माहेश्वरी
(भागीदार)
सदस्यता संख्याः 402561

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 मई 2024

31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	नोट सं.	31, मार्च 2024 तक	31, मार्च 2023 तक*	1, अप्रैल 2022 तक*
I. परिसम्पत्तियाँ				
1 असामयिक परिसम्पत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	7,042.95	7,129.15	7,097.81
(ख) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	4	2.24	2.24	194.24
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	31.39	8.88	13.86
(घ) विकास के तहत अमूर्त सम्पत्तियाँ				
(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ	6	24.07	24.96	30.87
(ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	801.60	1,382.53	1264.66
(च) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (निवल)	8	-	560.18	345.87
		7,902.25	**9,107.94**	**8,947.31**
2 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ				
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ट्रेड प्राप्ति योग्य	9	31,351.44	8,372.59	7,091.45
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष	10	49,971.46	58,166.01	27,039.29
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	11	154,596.97	157,076.36	2,28,857.55
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	34,532.01	80,246.63	70,472.19
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	1,251.15	2,283.19	2,310.45
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	14	7,399.36	23,414.34	20,114.36
		279,102.39	**329,559.12**	**3,55,885.29**
कुल परिसम्पत्तियाँ		**287,004.64**	**338,667.06**	**3,64,832.59**
II. इक्विटी एवं देयताएँ				
1 इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	180.01	180.01	180.01
(ख) अन्य इक्विटी		19,145.35	16,041.73	14,180.63
कुल इक्विटी		**19,325.36**	**16,221.74**	**14,360.64**
2 देयताएँ				
असामयिक देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	16	5.47	1.78	3.41
(ख) प्रावधान	17	625.68	563.84	580.71
		631.15	**565.62**	**584.12**
वर्तमान देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) लीज देयताएं	16	6.49	1.63	1.50
(ii) ट्रेड भुगतान योग्य	18			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि		-	7.60	7.60
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की बकाया राशि		71,892.00	49,240.91	43223.21
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	19	37,501.49	42,941.92	52427.64
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	20	156,304.30	229,037.59	253307.31
(ग) प्रावधान	21	1,343.85	650.05	920.57
		267,048.13	**321,879.70**	**3,49,887.82**
कुल इक्विटी और देयताए		**287,004.64**	**338,667.06**	**3,64,832.59**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 54 तक

* पुनः कहा गया, नोट संख्या–47 देखें

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 009096C/C400365

ह/–
सीए अभिषेक महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 402561

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-05-2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(के.पी. महादेवस्वामी)
चेयरमैन
(डीआईएन: 10041435)

ह/–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 10054994)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
एम. नं. : एसीएस–24442

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**प्रचालनों से राजस्व**			
	सेवाओं का मूल्य	22	138,113.82	122,454.71
	अन्य परिचालन राजस्व	23	999.69	23.82
II.	**अन्य आय**	24	588.77	135.49
III.	**कुल आय (I+II)**		**139,702.28**	**122,614.02**
IV.	**व्यय:**			
	कार्य और परामर्श	25	128,565.64	115,322.00
	व्यय कर्मचारी लाभ	26	4,128.46	4,078.59
	वित्त लागत	27	0.19	0.36
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	171.61	145.16
	अन्य व्यय	29	1,374.67	729.16
	कुल व्यय (IV)		**134,240.57**	**120,275.27**
V.	**अपवादी एवं असाधारण मदों से पहले लाभ (III-IV)**		**5,461.71**	**2,338.75**
VI.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**5,461.71**	**2,338.75**
VII.	**कुल व्यय:**	30		
	(1) वर्तमान कर		920.32	366.69
	(2) आस्थगित कर		580.84	(117.87)
	(3) पहले के वर्षों के संबंध में कराधान		4.22	(177.41)
VIII.	**अवधि के लिए लाभ / हानि (VII-VIII)**		**3,956.33**	**2,267.34**
IX.	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	31	(54.58)	110.26
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ/हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		13.74	(27.75)
	ख (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
X.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)**		**3,915.49**	**2,349.85**
XI.	**प्रति शेयर आय (100/– प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य)**	32		
	(1) मूल (रु. में)		**2,197.79**	**1,259.54**
	(2) मंदित (रु. में)		**2,197.79**	**1,259.54**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 54 तक
* पुनः कहा गया, नोट संख्या–47 देखें

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 009096C/C400365

ह/–
सीए अभिषेक महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 402561

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-05-2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(के.पी. महादेवस्वामी)
चेयरमैन
(डीआईएन: 10041435)

ह/–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 10054994)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
एम. नं. : एसीएस–24442

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2024 तक इक्विटी में बदलाव का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	पर संतुलन की शुरुआत वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	इक्विटी में बदलाव पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण शेयर	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआात में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग के अंत में शेष राशि अवधि
31 मार्च, 2024 को शेष	180.01	-	180.01	-	180.01
31 मार्च, 2023 को शेष	180.01	-	180.01	-	180.01
31 मार्च, 2022 को शेष	180.01		180.01	-	180.01

ख अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य कुल आरक्षित निधि	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः आकलन	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**10,842.78**	**(57.68)**	**14,180.63**
पिछली अवधि की त्रुटि के कारण पुनः प्रभावित प्रभाव	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि (पुर्नस्थापित)	**3,335.53**	**60.00**	**10,842.78**	**(57.68)**	**14,180.63**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,267.34	-	2,267.34
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः मापन	-	-	-	110.26	110.26
ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	-	-	-	(27.75)	(27.75)
अनुसंधान एवं विकास निधि का स्थानांतरण			16.77		16.77
सतत विकास निधि का हस्तांतरण			12.91		12.91
भुगतान किए गए लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है	-	-	(518.44)	-	(518.44)
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	**3,335.53**	**60.00**	**12,621.36**	**24.83**	**16,041.72**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	3,956.33	-	3,956.33
परिभाषित लाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः मापन	-	-	-	(54.58)	(54.58)
ओसीआई की वस्तुओं पर आयकर	-	-	-	13.74	13.74
अनुसंधान एवं विकास निधि का स्थानांतरण					-
सतत विकास निधि का हस्तांतरण					-
भुगतान किए गए लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है	-	-	(811.86)	-	(811.86)
कुल राशि	**3,335.53**	**60.00**	**15,765.83**	**(16.01)**	**19,145.35**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश नोट 1 से 54 तक

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 009096C/C400365

ह/–
सीए अभिषेक महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 402561

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-05-2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(के.पी. महादेवस्वामी)
चेयरमैन
(डीआईएन: 10041435)

ह/–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 10054994)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
एम. नं. : एसीएस–24442

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31, मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	**5,461.71**	**2,338.75**
	निम्न हेतु समायोजनः		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	155.11	133.76
	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	6.70	6.41
	अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	9.81	4.98
	वित्त लागत	0.19	0.36
	बिक्री के लिए धारित आस्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.51)	-
	अनुसंधान एवं विकास निधि का अंतरण	-	16.77
	सतत विकास निधि का अंतरण	-	12.91
	ब्याज से आय	(400.47)	(51.12)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**5,232.54**	**2,462.83**
	निम्न हेतु समायोजनः		
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	560.18	(214.31)
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (गैर चालू) में कमी/(वृद्धि)	0.89	5.92
	व्यापार प्राप्य (शुद्ध) में कमी/(वृद्धि)	(22,978.84)	457.59
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (चालू) में कमी/(वृद्धि)*	14,873.32	4,175.59
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	15,960.04	(3,299.98)
	(कमी)/प्रावधानों में वृद्धि (गैर चालू)	62.20	(16.87)
	(कमी)/व्यापार देय में वृद्धि	22,643.49	6,017.70
	(कमी)/अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि (चालू)	(5,440.43)	(9,485.72)
	(कमी)/प्रावधानों में वृद्धि (चालू)	693.80	(270.52)
	(कमी)/अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि	(84,297.05)	(35,842.96)
	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(52,689.86)**	**(36,010.73)**
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान	(47.00)	(276.33)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	**(52,736.86)**	**(36,287.06)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाहः**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(64.97)	(16.06)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री	0.03	0.08
	अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(32.31)	-
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य से कटौती	(0.00)	36.45
	3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा	10,569.41	46,560.32
	3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	(7,986.50)	25,772.60
	12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा	15,216.51	635.57
	12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	15,681.59	(15,987.54)
	प्राप्त हुआ ब्याज	11,972.23	10,932.65
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद (ख)	**45,355.99**	**67,934.08**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाहः**		
	लीज देयताओं की चुकौती**	(1.80)	(1.86)
	भुगतान किया गया लाभांश	(811.86)	(518.44)
	वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**(813.66)**	**(520.30)**
	नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	**(8,194.55)**	**31,126.72**
	नकद और नकद समतुल्य – प्रारंभिक	**58,166.01**	**27,039.29**
	नकद और नकद समतुल्य – समापन	**49,971.46**	**58,166.01**
	i) नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं:		
	बैंकों में चालू खाते में शेष	47,577.67	55,724.67
	3 महीने की मूल परिपक्वता वाले फ्लेक्सी जमा	2,393.79	2,441.34
		49,971.46	**58,166.01**
	ii) प्रतिबंधित नकद और नकद समकक्षों का विवरण इस प्रकार है:		
	(क) ग्राहकों/मंत्रालयों की ओर से अलग–अलग बैंक खातों में रखी गई शेष राशि	44,556.09	46,038.83
	(ख) अनुसंधान और विकास निधि में शेष राशि	-	-
	(ग) सतत विकास निधि में शेष राशि	-	-
	कुल	**44,556.09**	**46,038.83**

iii) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद व्यय दर्शाते हैं

iv) वित्तीय गतिविधियों की देनदारियों में होने वाले उतार–चढ़ाव के लिए नोट 45 देखें

v) नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है

* अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (चालू) में कमी/(वृद्धि) में फ्लेक्सी डिपॉजिट और 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा शामिल नहीं हैं।

**लीज देयता के भुगतान में 1.61 लाख रुपये की मूल राशि (पिछले वर्ष 1.50 लाख रुपये) और 0.19 लाख रुपये की ब्याज राशि (पिछले वर्ष 0.36 लाख रुपये) शामिल है

*पुनर्कथन, नोट संख्या–47 देखें

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 009096C/C400365

ह/–
सीए अभिषेक महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 402561
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22-05-2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(के.पी. महादेवस्वामी)
चेयरमैन
(डीआईएनः 10041435)

ह/–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 10054994)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
एम. नं. : एसीएस–**24442**

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण पर नोट

1. कॉर्पोरेट सूचना

1.1 प्रमुख गतिविधियों की प्रकृति

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में एक मिनी रत्न (श्रेणी 1 कंपनी) है, जो भारत में तथा विदेशों में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए परामर्श और क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में पेशेवर सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं संकल्पनात्मक अध्ययन, प्रबंधन परामर्श, परियोजना प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और स्थापना, खरीद, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और इंजीनियरिंग और स्वस्थ्य देखभाल सुविधा डिजाइन आदि।

1.2 सामान्य जानकारी और इंड एएस के अनुपालन का विवरण

कंपनी भारत में निगमित और अधिवासित है जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसका मुख्य व्यवसाय स्थल नोएडा, उत्तर प्रदेश है।

कंपनी के वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को कंपनी के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय भारत सरकार के 13/09/2018 दिनांकित पत्र संख्या फा.सं. 3/8/2016– डीआईपीएएम–II–ए (पीटी.) दिनांक 13/09/2018 एवं डी.ओ. सं. 3/8/2016–डीआईपीएएम–II–ए (पीटी.) दिनांक 13/09/2018 द्वारा लिया गया। कंपनी की 100 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी प्रबंधन नियंत्रण के साथ दिसंबर, 2018 में 285 करोड़ रुपये की कीमत पर एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है।

जब तक अन्यथा न कहा जाए, सभी राशियाँ लाख रुपए में बताई गई हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण 22 मई, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत और अनुमोदित है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरण नीचे संक्षेपित लेखांकन नीतियों और माप आधार का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।

2.1 समग्र विचार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को प्रभावी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और माप आधार का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

2.2 राजस्व स्वीकरन

कंपनी परियोजना प्रबंधन परामर्श और अधिप्राप्ति सेवाओं से राजस्व अर्जित करती है। राजस्व का मापन ग्राहक के साथ संविदा में विनिर्दिष्ट विवेचन के आधार पर किया गया है और इसमें तीसरे पक्षों के लिए एकत्र राशि इसमें शामिल नहीं की गई है। कंपनी राजस्व को तब मानती है जब वह उत्पाद या सेवा का नियंत्रण किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है।

क) परियोजना प्रबंधन परामर्श

चूंकि कंपनी पीएमसी अनुबंधों में काम कर रही है, जहां यह भू–तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन नियोजन, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करने और कार्यों के निष्पादन की निगरानी जैसे कार्य करती है।

डिजाइन, अभियंत्रण, अध्ययन, डीआरआर, एमओयू, प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में आय उस अवधि के दौरान आगत विधि के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है, ग्राहक के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाने वाले शुल्क के संबंध में जिसके लिए बिल उठाए जाते हैं।

राजस्व में शामिल हैं:

1. किया गया कार्य जिसके लिए केवल आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, तथापि, औपचारिक अनुबंध/समझौते निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।
2. ग्राहक द्वारा प्रमाणन लंबित रहने तक कंपनी द्वारा निष्पादित और मापा गया कार्य
3. निष्पादित लेकिन मापा नहीं गया/आंशिक रूप से निष्पादित कार्य का इंजीनियरिंग अनुमान में हिसाब लगाया जाता है।
4. अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद और ग्राहकों के खिलाफ दायर दावे, जहां तक वसूली योग्य माना जाता है।

2.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

स्वीकरन

संपत्ति संयंत्र और उपकरण उनके अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं। लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत यदि पूंजीकरण मानदंड को पूरा किया जाता है, और संपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्यशील स्थिति में लाने की सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है जिसमें परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति के प्रावधानों से जुड़ी डिकमीशनिंग और पुनर्स्थापना लागत भी शामिल हैं। किसी भी व्यापार छूट और कटौती को खरीद मूल्य पर पहुंचने में काट दिया जाता है।

परवर्ती मापन (अवमूल्यन)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास एक सीधी रेखा पद्धति पर या तो संपत्ति के उपयोगी जीवन के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर लगाया जाता है, जैसा कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित या दरों के आधार पर लागू की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II के भाग 'ग' में अनुशंसित उपयोगी जीवन के आधार निर्दिष्ट दर पर किया जाता है।

निम्नलिखित उपयोगी मापदंड लागू होते हैं:

परिसंपत्तियाँ श्रेणी	अनुमानित उपयोगी मापदंड (वर्षों में)
भवन	
भवन (कारखाने भवनों के अलावा)	60 वर्ष
अन्य (अस्थायी संरचना, आदि सहित)	03 वर्ष
सिविल निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी	12 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष
मोटर वाहन	08 वर्ष
कार्यालय उपकरण	05 वर्ष
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	06 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	03 वर्ष
अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	

जब किसी परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने वाले दिनों की आनुपातिक संख्या के आधार पर अवमूल्यन लगाया जाता है। भूमि पर चुकता प्रीमियम जहां निर्दिष्ट अवधि के लिए क्रियान्वित लीज (पट्टा) समझौते आनुपातिक रूप में लीज (पट्टा) की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। भवन के अंतर्गत आते हैं चार दीवारी, स्कूटरशेड और ट्यूब वेल जो 5 वर्ष के जीवन लेने पर अवमूल्यित हो जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत रूप से रु. 10,000 तक की लागत का अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से अवमूल्यित हो जाता है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवमूल्यन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

अ–स्वीकरन

संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण का एक वस्तु, और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निस्तारण करते समय या जब इसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की गैर–मान्यता से उत्पन्न किसी भी लाभ या नुकसान (निवल निपटान योग्य आय और संपत्ति की लेखांकन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.4 वित्तीय संसाधन

वित्तीय परिसंपत्तियां

आरंभिक स्वीकरन और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और इन्हें शुरू में लेनदेन लागतों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय उन व्यापार प्राप्तियों के जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है और जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

परवर्ती मापन

i. **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** –एक 'ऋण लिखत' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:
   - परिसंपत्ति को ऐसे व्यवसाय स्वरूप मे रखा जाता है जिसका उद्देश्य होता है परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह संग्रहण के लिए रखना, और
   - परिसंपत्ति के संविदात्मक नियम निर्दिष्ट तिथियों को वैसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो पूरी तरह केवल बकाया मूलधन राशि पर मूलधन और ब्याज (सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिन्सिपल एंड इंटरेस्ट एसपीपीआई) के भुगतान होते हैं।
   - प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। मापे गए अन्य सभी ऋण साधन कंपनी के व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य या लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य हैं।

ii. **इक्विटी लिखतों में निवेश**––इंड–एएस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडिंग के लिए रखे जाते हैं, उन्हें लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी इसे अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर या लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट आधार पर वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है।

iii. **म्यूचुअल फंड**––इंड–एएस 109 के दायरे में सभी म्यूचुअल फंड को लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अ–स्वीकरन

एक वित्तीय परिसंपत्ति को मुख्य रूप से मान्यता रद्द कर दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है।

__वित्तीय देयताएं__

आरंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और लेनदेन लागत जो वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार है, उन्हें भी समायोजित किया जाता है।

परवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयदाओं का अ–स्वीकरन

वित्तीय देयदाओं का अ–स्वीकरण तब होता है जब देयता के अंतर्गत बाध्यता (आबंध) पूरी कर दी जाती है या रद्द या समाप्त हो जाती है। नहीं निपटाए गए ऋण शेष का परवर्ती प्रतिलेखन और अवलंबित बैंक गारंटी संबंधित परियोजना के समापन पर या उससे पहले, प्रबंधन के पूर्व अनुभव तथा प्रत्येक मामले के वास्तविक तथ्यों के आधार पर पूरा किए जाते हैं और अन्य परिचालन राजस्व में स्वीकृत होते हैं।

इसके अतिरिक्त, जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता की जगह पर्याप्त रूप से भिन्न नियमों के साथ उसी ऋणदाता की दूसरी देयता लेती है, या मौजूदा देयताओं के नियमों में बड़े बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसी अदला–बदली या रूपांतरण को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में देखा जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर का लाभ–हानि विवरण में स्वीकरण किया जाता है।

वित्तीय संसाधनों का प्रति–संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वितीय देयतायों का प्रति–संतुलन किया जाता है और निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है यदि परिसंपत्तियों की प्राप्ति और साथ ही देयताओं के निबटारे के लिए वर्तमान में स्वीकृत राशियों को प्रति–संतुलित करने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है और निवल आधार पर निबटारे की मंशा है।

2.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड–एएस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है जो अनुबंध के अनुसार कंपनी के कारण होता है और सभी नकदी प्रवाह जो कंपनी प्राप्त करने की उम्मीद करती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, कंपनी निम्नलिखित पर विचार करती है:–

- परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन पर वित्तीय परिसंपत्तियों (पूर्व–भुगतान और विस्तार सहित) की सभी संविदात्मक शर्तें
- अनुषंगी के विक्रय से नकदी प्रवाह या अन्य ऋण संवर्द्धन, जो संविदा की शर्तों के अभिन्न अंग हैं।

व्यापार प्राप्य

व्यावहारिक समीचीन के रूप में कंपनी ने व्यापार प्राप्य पर अपेक्षित हानि की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स विधि का उपयोग करके 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्य के अपेक्षित जीवन पर देखे गए तीन वर्ष के रोलिंग औसत डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे आगे दिखने वाले अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है। ये औसत डिफॉल्ट दरें व्यापार प्राप्य पर कुल ऋण जोखिम जोखिम पर लागू होती हैं और आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को निर्धारित करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर एक वर्ष से अधिक समय तक बकाया होती हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हानि हानि का आकलन और प्रदान किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर हानि–क्षति के स्वीकरन हेतु, कंपनी निर्धारित करती है कि आरंभिक स्वीकरन के बाद से साख जोखिम में बड़ी वृद्धि हुई है कि नहीं और यदि साख जोखिम में बड़ी वृद्धि हुई है तो, हानि क्षति हुई है।

2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है जहां आंतरिक बाह्य संकेतकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होता है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जहां वहन राशि परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वहाँ हानि उलट जाती है, अगर वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है और इस तरह की हानि या तो अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है या संकेत जिस पर हानि को पहचाना गया था, अब मौजूद नहीं है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान लागत (एफवीएलसीडी) घटाकर तथा उपयोग में उसका मूल्य (वीआईयू) में से जो अधिक हो, वह होती है।

2.7 आयकर

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में कर को उसी विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित मद दिखाई देती है

मौजूदा कर का आकलन कर दरों और कर कानूनों पर आधारित है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत तक लागू किया गया है या तात्विक रूप से लागू किया गया है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर उद्देश्यों के लिए ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए जिम्मेदार राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी या देनदारियों का निपटान किया जाएगा। इस प्रकार गणना किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कर अधिकारियों द्वारा कर उपचार की अनिश्चितता के लिए समायोजित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएं आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी भिन्नताओं के लिए पूर्ण स्वीकृत होती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरण उस सीमा तक होता है कि संभावना यह हो जाती है कि अंतर्निहित कर क्षति, अप्रयुक्त कर साख या कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता भविष्य की करयोग्य आय के लिए प्रयुक्त होगी।

इसका आकलन कंपनी के भावी परिचालन परिणामों के पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है, जो महत्वपूर्ण गैर–करयोग्य आय और व्यय तथा किसी भी अप्रयुक्त कर हानि या खास के इस्तेमाल पर विशिष्ट सीमाओं के लिए समायोजित होता है।

2.8 नौकरी के बाद लाभ और अल्पकालिक रोजगार लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजनाएं, रोजगार–पश्चात लाभ योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत एक संस्था एक पृथक कोष में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है तथा उस पर आगे और अंशदान का भुगतान करने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है, जिसे उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित कर्मचारी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक लाभों के अंतर्गत शामिल हैं कर्मचारी लागत जैसे कि वेतन, बोनस, पीआरपी आदि, जिनका मापन और उपार्जन उस वर्ष भर में किया जाता है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कर्मचारी वियोजन लागत

कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत सेवानिवृति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का अनुग्रह प्रबंधन द्वारा उस विकल्प को स्वीकार करने के वर्ष में लाभ–हानि विवरण में प्रभारित होता है।

2.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व पिछली घटना के परिणामस्वरूप होता है, हो सकता है कि दायित्व के निष्पादन के लिए आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके। रिपोर्टिंग तिथि को दायित्व निष्पादित करना सर्वोत्तम आकलन के आधार पर निर्धारित प्रावधानों के लिए जरूरी है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इन आकलनों की समीक्षा की जाती है और ताजा सर्वोत्तम आकलनों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट दी जाती है, जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है। जहाँ छूट का उपयोग किया जाता है, वहाँ समय बीतने के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है।

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

वारंटी शुल्क का प्रावधान

वारंटी के प्रावधानों को पूर्व अनुभव के संदर्भ में भविष्य के दावों के आकलन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान

दुर्वह संविदाओं के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है। दुर्वहसंविदा तब माना जाता है जब कंपनी के पास ऐसा अनुबंध होता है जिसके तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है।

मध्यस्थता निर्णय

प्राप्ति योग्य/भुगतान योग्य ब्याज के संबंध में पंचनिर्णय/अदालत के फैसलों पर आरंभ के समय विचार नहीं किया जाता है, न्यायिक निर्णय बन जाने के बाद मान्य होते हैं। भारत सरकार के पंचनिर्णय की स्थायी व्यवस्था, अपीली प्राधिकार द्वारा दिए गए फैसले को अंतिम रूप मिल जाने के बाद आता है। इन मामलों में प्राप्तध्प्रदत्त ब्याज का लेखा तब किया जाता है जब भुगतान संभावित हो जब मामला प्रबंधन द्वारा निबटाया हुआ माना जाए।

अन्य प्रावधान

अन्य प्रावधानों में अनुसंधान एवं विकास, सतत विकास, सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रावधान तथा अन्य आकस्मिकता के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी के खिलाफ आकस्मिक देनदारियों और दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, और कानूनी कार्यवाही या विनियामक मामलों से संबंधित आकस्मिक देयताएं, जिनमें कुछ गारंटी शामिल हैं, को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, इनका प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कि निपटान की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक देयताएं संबंधित मामलों के तथ्यों और वैधानिक पहलुओं के सावधानी पूर्वक किए गए मूल्यांकन के बाद प्रबंधन द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर प्रकट की जाती हैं।

आकस्मिक परिसंपत्तियां का प्रकटन तब किया जाता है जब आय की प्राप्ति सुनिश्चित हो।

2.10 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

क्रियात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('INR') में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की क्रियात्मक मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा राशि को लेनदेन की तारीख में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर लागू करते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है।

रिपोर्टिंग तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों का पुनः रूपांतरण किया गया है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं को जो कि विदेशी मुद्रा में व्यक्ति ऐतिहासिक लागत के रूप में मापित हैं लेनदेन के तारीख को प्रचलित विनिमय दर का उपयोग कर बताया गया है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, या कंपनी की ऐसी मौद्रिक वस्तुओं की रिपोर्ट करने पर उन दरों से भिन्न दरों पर, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किया गया था, उन्हें वर्ष में आयध्व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। जहां ऐसे लेनदेन ग्राहकों की ओर से होते हैं, वहां लाभ–हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में अंतरित कर दी जाती है।

2.11 अन्य आय

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। अल्पावधि में वसूली योग्य ठेकेदारों को दिए गए लामबंदी अग्रिमों/वित्तीय सहायता पर ब्याज आय को साधारण ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अनुमान लगाती है।

ग्राहक की ओर से रखे गए बैंक जमाराशियों पर ब्याज आय को ऐसी जमाराशियों पर ग्राहक को देय ब्याज से घटा दिया जाता है।

लाभांश आय को उस समय मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित होता है।

आय के अन्य मदों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब संबंधित वस्तुओं या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

2.12 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आते हैं रोकड़ शेष, बैंक खाते के शेष, ट्रांजिट में विप्रेषण, हाथ में चेक और मांग जमा और साथ में अन्य अल्प–कालिक, अत्यंत तरल निवेश (3 महीने से कम मूल परिपक्वता) जो कि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय है और इसमें मूल्य में परिवर्तन के बड़े जोखिम निहित होते हैं।

2.13 इक्विटी, आरक्षित और लाभांश भुगतान

शेयर पूंजी निर्गमित शेयर के गए न्यूनतम मूल्य दर्शाते हैं। शेयर निर्गमन से जुड़ी कोई भी लेनदेन लागत को प्रतिधारित अर्जनों से घटाया जाता है, किसी भी संबंधित आयकर लाभों का निवल।

इक्विटी के अन्य घटकों में अन्य समग्र आय (ओसीआई) सम्मिलित हैं जो बीमांकिक लाभ या परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन और योजना परिसंपत्तियों पर लाभ की क्षति से उत्पन्न होती हैं।

प्रतिधारित आय में शामिल हैं सभी मौजूदा और पूर्व अवधि के प्रतिधारित लाभ। शेयरधारकों को होने वाले वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि की देयता के रूप में स्वीकरन किया जाता है जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कोई भी चुकता अंतरिम लाभांश का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होने पर स्वीकरन होता है। भुगतान योग्य लाभांश और लाभांश वितरण पर अनुरूपी कर का स्वीकरन सीधे तौर पर इक्विटी में होता है।

2.14 अमूर्त संपत्ति

स्वीकरन

अमूर्त संपत्ति को शुरू में उसके अधिग्रहण की लागत पर मापा जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत, और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष

रूप से जिम्मेदार लागत शामिल है। खरीद मूल्य पर पहुंचने में किसी भी व्यापार छूट और कटौती को काट दिया जाता है।

परवर्ती मापन (परिशोधन)

प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के संदर्भ में प्राप्त दरों के आधार पर अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन का शुल्क सीधी–रेखा पद्धति पर लगाया जाता है।

परिसंपत्तियाँ श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

जब किसी परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष के दौरान अधिग्रहित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध रहने वाले दिनों की आनुपातिक संख्या के आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।

अ–स्वीकरन

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु या शुरू में मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो अमान्य कर दिया जाता है। आस्ति की गैर–मान्यता (निवल निपटान आय और आस्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.15 पट्टे

एक पट्टाधारी के रूप में कंपनी

संविदा के आरंभ में, कंपनी मूल्यांकन करती है कि संविदा एक लीज (पट्टा) है या इसमें लीज (पट्टा) शामिल है।

संविधा एक लीज होता है, या इसमें लीज होता है, यदि संविदा में प्रतिफल के बदले किसी चिह्नित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया हो।

स्वीकरनः

1. ''संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)'':

प्रारंभ तिथि को, कंपनी संपत्ति उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयता का स्वीकरन करती है, सिवाय इसके कि

क. बारह महीने या उससे कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के साथ पट्टे के लिए और,

ख. पट्टे जिसके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है।

2. ''पट्टा देयता''

प्रारंभ तिथि से कंपनी पट्टे की उस देयता का मापन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करती है जिसका भुगतान उस तिथि तक नहीं हुआ था। पट्टा भुगतानों पर छूट प्रभावी ब्याज दर की मदद से तय की जाती है।

परवर्ती मापन

1. ''संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)''

प्रारंभ तिथि के बाद, कंपनी संपत्ति उपयोग के अधिकार और पट्टे की देयता का मापन किसी संचित अवमूल्यन से कम लागत पर करती है और यह हानि क्षति (इंपेयरमेंट क्षति) से प्रभावित होता है।

2. ''पट्टा देयता''

प्रारंभ होने की तारीख के बाद, ब्याज में वृद्धि को दर्शाने के लिए पट्टे की देयता की राशि बढ़ा दी जाती है और किए गए पट्टा भुगतानों के लिए घटा दी जाती है। इसके अलावा, यदि कोई पुनर्मूल्यांकन या संशोधन होता है, तो पट्टे की देयता की वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

अ–स्वीकरन

शुरू में मान्यता प्राप्त उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है जब उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार अमान्य हो जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

संचालन पट्टा

पट्टे जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें संचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संचालन पट्टों के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार मान्यता प्राप्त और प्रस्तुत किया जाता है।

किराये की आय को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां किराए में अनुसूचित वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ कंपनी को क्षतिपूर्ति करती है।

2.16 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां

अप्रचलित परिसंपत्तियां और निस्तारण समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूली के लिए अभीष्ट है (सतत उपयोग के जरिए होने की बजाय) जब परिसंपत्ति (या निस्तारण) समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में केवल सामान्य शर्तों के अधीन तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध है और ऐसी परिसंपत्ति (अथवा निस्तारण समूह) के विक्रय के लिए प्रचलित है व विक्रय की संभावन अत्यधिक है और वर्गीकरण की तिथि से एक साल के अंदर पूर्ण विक्रय के रूप में स्वीकरन हेतु योग्य होना अपेक्षित है।

अप्रचलित परिसंपत्तियां और निस्तारण समूह जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं बिक्री के लिए अपनी न्यूनतम वहन राशि और उचित मूल्य न्यून लागत पर मापित हैं। विक्रय के लिए उचित मूल्य न्यून लागत के निर्धारण में शामिल है प्रबंधन आकलनों और अनुमानों का उपयोग।

2.17 परिसमापन क्षति

ग्राहकों/ठेकेदारों के संदर्भ में चलनिधि क्षति/मुआवजा, यदि कोई है, तो उनका हिसाब तब दिया जाता है जब मामले को प्रबंधन द्वारा निबटाया हुआ माना जाए।

2.18 पूर्व अवधि व्यय/आय

पूर्व अवधि से संबंधित व्यय/आय जिसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाए मौजूदा वर्ष में लेखों के संबंधित मद में रखा जाता है।

2.19 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय और आकलन अनिश्चितता

वित्तीय विवरण भारत में जीएएपी के अनुरूप तैयार किए जाते हैं जिसके लिए जरूरी है कि प्रबंधन ऐसे आकलन और अनुमान करे जो वित्तीय विवरण की तिथि और उन अवधियों में आय एवं व्यय के प्रतिवेदित राशि प्रतिवेदित परिसंत्ति शेष,

देयता और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें। यद्यपि ये आकलन और अनुमान वित्तीय विवरणों के साथ प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की तिथि अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो प्रबंधन के अनुसार विवेकपूर्ण और उचित हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों और आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन का संभावित रूप से उस अवधि से स्वीकरन होता है जिसमें परिणाम पता होते हैं / लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अमल में आते हैं।
उन आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी जिनका स्वीकरन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का मापन नीचे दिया गया है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय –कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरन – जहाँ तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों का स्वीकरन हो सकता है, वह कंपनी की भविष्य की कर–योग्य संभावित आय के अनुमान पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिसके लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट हो सकती है। इन संकेतकों में जारीकर्ता या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई, भुगतान में चूक या देरी, तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन आदि शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण– प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का आकलन किया जाता है माना जाता है कि निर्दिष्ट उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य तर्कसंगत हैं।

आकलन अनिश्चितता

उन आकलनों और अनुमानों के बारे में जानकारी जिनका स्वीकरन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का मापन नीचे दिया गया है।

राजस्व स्वीकरन– जहां राजस्व संविदाओं में आस्थगित भुगतान टर्म शामिल होते हैं, प्रबंधन द्वारा लेन–देन की तिथि पर प्रचलित समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान उपकरणों पर लागू टाइल अपेक्षित संग्रह अवधि और ब्याज दर का उपयोग करके प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

अग्रिमों / प्राप्तियों की प्रतिलब्धता– परियोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्षेत्रीय रणनैतिक व्यवसाय समूह समय–समय पर अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। समीक्षा वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जाती है और ऐसे अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक होता है जो प्रति–पक्षों, बाजार सूचना और अन्य संबंधित कारकों के वित्तीय स्थिति के आधार पर होता है।

परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ)– प्रबंधन का डीबीओ अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित होता है जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत रुझान, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य के वेतन वृद्धि की प्रत्याशा। इन अनुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकता– आकस्मिकता / दावा / कंपनी के विरुद्ध अभियोग के संदर्भ में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के लिए, यदि कोई हो तो, प्रबंधन निर्णय आवश्यक है क्योंकि लंबित मामलों के परिणाम का अनुमान सटीकता के साथ लगा पाना संभव नहीं होता।

वारंटियों के लिए प्रावधान– वारंटी के प्रबंधन का आकलन इंजीनियरिंग आकलनों पर आधारित है और इन अनुमानों में भिन्नता प्रावधान राशि और वार्षिक वारंटी व्यय को प्रभावित कर सकती है।

चलनिधि क्षति–चलनिधि क्षति प्राप्तियां संविदा की शर्तों के अनुसार आकलित और दर्ज की जाती हैं; संविदाकार पर लेवी के रूप में अनुमान वास्तविक से भिन्न हो सकता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट–3

कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण और रिपोर्टिंग अवधि के शुरू से अंत तक उनकी अग्रणीत राशि का मिलान इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

	विवरण	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2023 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2024 के अनुसार	1 अप्रैल, 2023 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	भवन*	7,175.06	-	-	**7,175.06**	653.40	111.10		**764.50**	**6,410.57**
	फर्नीचर व फिक्सचर	378.35	0.61	0.46	**378.50**	176.74	23.73	0.44	**200.02**	**178.48**
	वाहन	11.48	-	-	**11.48**	10.91			**10.91**	**0.57**
	कार्यालय उपकरण	222.15	2.54	0.27	**224.42**	201.42	4.63	0.27	**205.78**	**18.64**
	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	258.60	61.64	0.37	**319.86**	230.65	15.65	0.35	**245.95**	**73.93**
	कुल (i)	**8,045.65**	**64.78**	**1.10**	**8,109.32**	**1,273.12**	**155.11**	**1.07**	**1,427.16**	**6,682.19**
ख	**संपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू)**									
	पट्टेत वाली भूमि**	446.65	-	-	**446.65**	92.95	4.98	-	**97.93**	**348.72**
	भवन	8.71	13.76	8.71	**13.76**	5.80	1.72	5.80	**1.72**	**12.04**
	कुल **(ii)**	**455.36**	**13.76**	**8.71**	**460.41**	**98.76**	**6.70**	**5.80**	**99.65**	**360.76**
	कुल **(i+ii)**	**8,501.01**	**78.54**	**9.81**	**8,569.73**	**1,371.88**	**161.80**	**6.87**	**1,526.81**	**7,042.95**

पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 में फर्नीचर और फिक्स्चर की वृद्धि में 155.55 लाख रुपये के सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण शामिल है।

(रु. लाख में)

	विवरण	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2023 के अनुसार	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	भवन#	7,175.06	-	-	**7,175.06**	542.60	110.80	-	**653.40**	**6,521.66**
	फर्नीचर व फिक्सचर	222.19	156.16	-	**378.35**	167.08	9.66	-	**176.74**	**201.62**
	वाहन	11.48	-	-	**11.48**	10.69	0.22	-	**10.91**	**0.57**
	कार्यालय उपकरण	218.58	3.57	-	**222.15**	195.33	6.08	-	**201.41**	**20.74**
	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	248.38	11.87	1.65	**258.60**	225.20	7.01	1.57	**230.65**	**27.95**
	कुल (i)	**7,875.69**	**171.61**	**1.65**	**8,045.65**	**1,140.89**	**133.77**	**1.57**	**1,273.10**	**6,772.54**
ख	**संपत्ति उपयोग अधिकार**									
	पट्टे वाली भूमि*	446.65	-	-	**446.65**	87.99	4.96	-	**92.95**	**353.70**
	भवन	8.71	-	-	**8.71**	4.35	1.45	-	**5.80**	**2.91**
	कुल (ii)	**455.36**	**-**	**-**	**455.36**	**92.34**	**6.41**	**-**	**98.76**	**356.61**
	कुल (i+ii)	**8,331.05**	**171.61**	**1.65**	**8,501.01**	**1,233.24**	**140.18**	**1.57**	**1,371.86**	**7,129.15**
	पिछले वर्ष	**8,318.29**	**13.29**	**0.51**	**8,331.05**	**1,094.95**	**138.77**	**0.49**	**1,233.24**	**7,097.81**

#कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 में 6,834.99 लाख रुपये की इमारत का पूंजीकरण किया है, जो अभी भी कंपनी के नाम पर पंजीकरण के लिए लंबित है और पंजीकरण लागत लगभग 500 लाख रुपये होगी। आनुपातिक आधार पर लाभ और हानि खाते में मूल्यह्रास लगाया गया है। इमारत में बाउंड्री वॉल, स्कूटर शेड और ट्यूबवेल शामिल हैं, जिनका मूल्यह्रास 5 साल के उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

*उपरोक्त लीजहोल्ड भूमि में नोएडा सेक्टर–1 में प्लॉट संख्या ई–13 और ई–14 शामिल हैं, डीड के क्लॉज संख्या 4 के अनुसार लीजधारक यानी एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को चार साल की निर्दिष्ट अवधि के भीतर डेमेल्ड भूमि पर भवन का निर्माण पूरा करना होगा जब तक कि लीजकर्ता समय विस्तार की अनुमति न दे। कंपनी को नोएडा प्राधिकरण से 56.51 लाख रुपये प्लस जीएसटी के विस्तार शुल्क के भुगतान के लिए एक पत्र मिला है, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक विस्तार शुल्क के लिए 78.46 लाख रुपये (31 मार्च, 2023:–
67.16 लाख रुपये) का प्रावधान किया है, जो न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देय लीज डीड विस्तार शुल्क क्लॉज के अनुसार है।

(i) अचल संपत्ति के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख जो 31.03.2024 से कंपनी के नाम पर नहीं हैं						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड / धारक प्रोमोटर*/ निदेशक का प्रोमोटर निदेशक या रिश्तेदार# प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	201–222, दूसरी मंजिल एनबीसीसी सेंटर, ओखला, फेज –1 नई दिल्ली	6834.99 लाख	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	प्रोमोटर	30-03-2019	वित्त वर्ष 2024–25 की पहली छमाही के भीतर प्रबंधन द्वारा रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया में है।

अचल संपत्ति के शीर्षक विलेख जो 31.03.2023 से कंपनी के नाम पर नहीं हैं						
बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड / धारक प्रोमोटर*/ निदेशक का प्रोमोटर निदेशक या रिश्तेदार# प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	201–222, दूसरी मंजिल एनबीसीसी सेंटर, ओखला, फेज –1 नई दिल्ली	6834.99 लाख	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	प्रोमोटर	30-03-2019	वर्तमान वित्त वर्ष में प्रबंधन द्वारा रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया में है।

नोट–4

कंपनी की पूंजीगत कार्य–प्रगति

कंपनी की पूंजीगत कार्य–प्रगति का विवरण और रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से आखिर तक उनकी अग्रणीत राशियों का समाधान इस प्रकार हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	राशि (लाख रु. में)
1 अप्रैल 2022 तक	194.24
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
अवधि के दौरान कटौती	(36.45)
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(155.55)
1 अप्रैल 2023 तक	**2.24**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
अवधि के दौरान कटौती	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2024 तक	**2.24**

दिनांक 31.03.2024 तक प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य में प्लॉट ई–13 और ई–14, सेक्टर–1 नोएडा के बिल्डिंग प्लान जमा करने की फीस राशि रु. 2.24 लाख शामिल है।

संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने ओखला बिल्डिंग में नए इंटीरियर के विकास के लिए 192 लाख रुपये का अनुबंध निष्पादित किया था। इसे बही खातों में 155.55 लाख रुपये द्वारा पूंजीकृत किया गया है और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 36.45 लाख रुपये की कटौती की गई है (सीडब्ल्यूआईपी में पिछला वर्षः रु. 192 लाख) नए आंतरिक कार्य के संबंध में कोई और संविदात्मक प्रतिबद्धता नहीं है।

नोट –4क

क. दिनांक 31.03.2024 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल (रु. लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
क. नोएडा में निर्माण कार्य	-	-	-	2.24	2.24
कुल					**2.24**

* इसमें प्लॉट ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नौएडा की बिल्डिंग प्लान जमा करने की रुपये की फीस 2.24 लाख. शामिल है।

दिनांक 31.03.2023 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल (रु. लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं					
क. नोएडा में निर्माण कार्य	-		2.24	-	2.24
कुल					**2.24**

नोट–5

अन्य अमूर्त संपत्ति

(रु. लाख में)

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2023 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2024 के अनुसार	1 अप्रैल, 2023 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	सॉफ्टवेयर	41.45	32.31	-	**73.76**	32.57	9.80	-	**42.37**	**31.39**
	कुल	**41.45**	**32.31**	**-**	**73.76**	**32.57**	**9.80**	**-**	**42.37**	**31.39**

अन्य अमूर्त संपत्ति

(रु. लाख में)

	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सकल वहन राशि (लागत पर)				संचित मूल्यह्रास				शुद्ध बही मूल्य
		1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वृद्धि	निपटान	31 मार्च, 2023 के अनुसार	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	वर्ष के लिए शुल्क	निस्तारण पर	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	सॉफ्टवेयर	41.45		-	**41.45**	27.59	4.98	-	**32.57**	**8.88**
	कुल	**41.45**	**-**	**-**	**41.45**	**27.59**	**4.98**	**-**	**32.57**	**8.88**
	गत वर्ष*	**26.51**	**14.94**	**-**	**41.45**	**26.36**	**1.23**	**-**	**27.59**	**13.86**

* सॉफ्टवेयर के परिवर्धन में 13.16 लाख रुपये के विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों का पूंजीकरण शामिल है।

नोट–6

(रु. लाख में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर–वर्तमान)	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक		01 अप्रैल, 2022 तक	
सुरक्षा जमा						
– अच्छा माना जाता है	22.01		21.91		21.95	
– संदिग्ध माना जा रहा है	-		-		0.78	
	22.01		21.91		22.73	
कमः अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	-	22.01		21.91	(0.78)	21.95
कर्मचारियों से अग्रिम वसूली योग्य*		2.06		3.05		8.92
कुल		**24.07**		**24.96**		**30.87**
* अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल है		0.78		0.31		4.63

नोट–7 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(रु. लाख में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2023 तक	लाभ एवं हानि में (प्रभारित) / क्रेडिट किया गया	ओसीआई में (प्रभारित) / क्रेडिट किया गया	31 मार्च, 2024 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना				
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	173.44	24.84	(0.09)	198.19
वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि	25.70	(9.08)	-	16.61
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	863.05	(48.83)	-	814.22
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रावधान	92.80	61.92	-	154.73
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	37.75	-	-	37.75
अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रावधान	-	9.82	-	9.82
आस्थगित राजस्व (बिल न किए गए प्राप्य का शुद्ध)	424.81	(232.74)	-	192.07
अन्य	275.69	(275.69)	-	-
परिसमाप्त क्षति के लिए प्रावधान	-	95.30		95.30
आस्थगित कर देनदारियाँ				
मूल्यह्रास में अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना	510.71	206.38	-	717.09
कुल	**1,382.53**	**(580.84)**	**(0.09)**	**801.60**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(रु. लाख में)

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2022 तक	लाभ एवं हानि में प्रभारित / क्रेडिट किया गया	ओसीआई में प्रभारित / क्रेडिट किया गया	31 मार्च, 2023 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
अस्थायी अंतर के कारण उत्पन्न होना:				
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	181.92	(8.48)	-	173.44
वीआरएस के तहत भुगतान की गई राशि	27.16	(1.46)		25.70
अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान	795.69	67.36	-	863.05
लाभ संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रावधान	73.50	19.30	-	92.80
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	98.54	(60.79)	-	37.75
आस्थगित राजस्व (बिल न की गई प्राप्य का शुद्ध)	223.20	201.61	-	424.81
अन्य	275.69	(0.00)	-	275.69
आस्थगित कर देयताएँ		-		
मूल्यह्रास में अस्थायी विसंगतियों के कारण उत्पन्न:	411.04	99.67	-	510.71
कुल	**1,264.66**	**117.87**	**-**	**1,382.53**

नोट–8

(रु. लाख में)

अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिमः			
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	-	560.18	290.56
पूर्वदात व्यय	-	-	55.31
कुल	**-**	**560.18**	**345.87**

नोट–9

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियां	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-
व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	32,918.91	10,285.76	9,343.87
व्यापार प्राप्तियां जिनमें महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	1,370.32	1,226.62	879.84
	34,289.23	11,512.38	10,223.72
हानि भत्ता			
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	(1,567.47)	(1,913.17)	(2,252.43)
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	(1,370.32)	(1,226.62)	(879.84)
कुल	**31,351.44**	**8,372.59**	**7,091.45**

नोट–9क

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए एजिंग– 31 मार्च, 2024 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है:	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	22,374.84	5,430.73	1,777.98	651.28	2,684.08	32,918.91
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	1,370.32	1,370.32
विवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
	22,374.84	5,430.73	1,777.98	651.28	4,054.40	34,289.23
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते						(2,937.79)
						31,351.44

नोट–9 ख

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए एजिंग– 31 मार्च, 2023 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है:	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				3 वर्ष से अधिक	कुल
	6 महीने से कम	6 महीने– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष		
अविवादित						
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	4,710.83	407.29	572.32	1,477.35	3,117.97	10,285.75
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	1,226.62	1,226.62
विवादित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	-	-
	4,710.83	**407.29**	**572.32**	**1,477.35**	**4,344.59**	**11,512.37**
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते						(3139.78)
						8372.59

नोट–9 ग

(रु. लाख में)

व्यापार प्राप्तियों के लिए एजिंग– 31 मार्च, 2022 तक वर्तमान बकाया इस प्रकार है:	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	6 महीने से कम	6 महीने– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	
अविवादित					
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	715.08	920.89	2,186.50	1,546.92	3,987.51	9,356.90
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	-	-	-	-	866.83	866.83
	-	-	-	-	-	-
विवादित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं – असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
– व्यापार प्राप्तियां जिनके पास महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्तियां हैं जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
– व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ						
	715.08	**920.89**	**2,186.50**	**1,546.92**	**4,854.34**	**10,223.72**
घटाएं: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते						(3,132.27)
						7,091.45

नोट–10

(रु. लाख में)

नकद और नकद समकक्ष	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
बैंकों के बैंक खाते में शेष राशि*	47,577.67	55,724.67	24,344.02
3 महीने तक मूल परिपक्वता की फ्लेक्सी जमा राशि*	2,393.79	2,441.34	2,695.26
कुल	**49,971.46**	**58,166.01**	**27,039.28**
*जमा राशि पर अर्जित ब्याज शामिल है	3.24	2.46	-
– अनुसंधान और विकास कोष	39.00	-	16.77
– सतत विकास कोष	-	-	12.91

नोट –1: चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अनुसंधान और विकास निधि और सतत विकास निधि को प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

नोट–11

(रु. लाख में)

नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
अन्य बैंक में शेष राशि			
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि (नोट (i) देखें)	43,082.78	53,309.17	99,950.21
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (नोट (ii) देखें)	111,514.19	103,767.19	128,907.34
कुल	**154,596.97**	**157,076.36**	**228,857.55**
***नोट:**			
(i) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	779.90	436.88	517.60
(ii) जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है	2,424.72	2,664.22	2,031.77
(iii) बैंक गारंटी पर गिरवी रखी गई जमा राशियां शामिल हैं	617.54	1,532.59	1,603.30
(iv) इसमें साख पत्र के एवज में गिरवी रखी गई जमा राशियां शामिल हैं	805.15	884.91	48.90

नोट–12

(रु. लाख में)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार		01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	
बयाना राशि एवं सुरक्षा जमा						
– अच्छा माना जाता है	474.16		174.01		192.71	
– संदिग्ध माना जाता है	54.37		46.37		14.44	
	528.54		220.38		207.15	
कम: अपेक्षित क्रेडिट हानि	(54.37)	474.16	(46.37)	174.01	(14.44)	192.71
स्टाफ से अग्रिम वसूली योग्य*		19.20		17.00		18.51
अन्य पुनर्प्राप्ति योग्य वस्तुएं						
– अच्छा माना जाता है	0.48		2.40		14.12	
– संदिग्ध माना गया#	242.99		242.99		-	
	243.46		245.39		14.12	
– कम अपेक्षित क्रेडिट हानि	(242.99)	0.48	(242.99)	2.40	-	14.12
बिल न किया गया राजस्व##		27,247.19		42,423.14		47,755.60
ब्याज वसूली योग्य		-		-		352.45
दूसरों से प्राप्य**		2.21		-		87.22
		-		-		
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा (नोट देखें (i))		1,206.13		16,955.48		903.66
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा (नोट (ii) देखें)		5,582.64		20,674.60		21,147.91
कुल		**34,532.01**		**80,246.63**		**70,472.19**
*अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल है		0.62		2.05		0.76
**इंटर प्रोजेक्ट्स के असमाधान शेष का प्रतिनिधित्व करता है।		-		-		87.22
I. जमा राशियों पर अर्जित ब्याज शामिल है		48.99		116.75		52.47
II. जमा राशियों पर अर्जित ब्याज शामिल है		488.37		363.82		201.54

इंडियन ओवरसीज बैंक, सेक्टर–1, नोएडा के साथ 241.52 लाख रुपये के ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया के लिए फॉलोअप चल रहा है।

बिना बिल किए गए राजस्व में किए गए निर्माण से संबंधित कार्य का मूल्य और बाद के महीनों में बिल किया गया और ग्राहकों से जमा राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया शामिल है।

नोट 10, 11 और 12 से निम्नलिखित बैंक बैलेंस/फ्लैक्सी डिपॉजिट/फिक्सड डिपॉजिट ग्राहकों/मंत्रालयों की ओर से अलग बैंक खाते में रखे जाते है।

(रु. लाख में)

मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से धारित बैंक शेष	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
चालू खाते में बैंकों के पास शेष राशि	42,162.30	43,597.49	23,868.12
3 महीने की मूल परिपक्वता तक फ्लेक्सी जमा	2,393.79	2,441.34	2,695.26
फ्लेक्सी डिपॉजिट जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक और 12 महीने तक है	38,635.22	53,240.07	99,461.35
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	102,221.20	102,509.81	126,974.74
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमाएँ	5,582.65	20,427.47	21,147.91
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	1,163.64	16,210.28	864.95
कुल	**192,158.80**	**238,426.45**	**275,012.33**

नोट–13

(रु. लाख में)

वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
अग्रिम आयकर	10,986.52	11,506.50	11,627.04
घटाएँ: कराधान का प्रावधान	9,735.37	9,223.31	9,316.59
कुल	**1,251.15**	**2,283.19**	**2,310.45**

नोट–14

(रु. लाख में)

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	7,370.22	23,246.85	20,040.18
पूर्वदात व्यय	2.86	59.50	60.02
सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	5.84	5.84	5.84
अन्य*	20.45	102.15	8.32
कुल	**7,399.37**	**23,414.34**	**20,114.36**
*एचएससीसी कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट को अग्रिम भुगतान की गई राशि शामिल है	16.08	99.01	-

नोट–15

(रु. लाख में)

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक		01 अप्रैल, 2022 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत: रु. 100/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 100)	500,000	500.00	500,000	500.00	500,000	500.00
जारी, सब्सक्राइब और भुगतान किया गया						
रु. 100/– (विगत वर्ष रु. 100) प्रत्येक के पूर्ण चुकता/प्रदत्त इक्विटी शेयर	180,014	180.01	180,014	180.01	180,014	180.01
कुल	**180,014**	**180.01**	**180,014**	**180.01**	**180,014**	**180.01**

नोट–15क

(रु. लाख में)

इक्विटी शेयर पूंजी	इक्विटी शेयर		इक्विटी शेयर		इक्विटी शेयर	
	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक		01 अप्रैल, 2022 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	180,014	180.01	180,014	180.01	180,014	180.01
जोड़ें / (कम): वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर / (वापस खरीदें)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**180,014**	**180.01**	**180,014**	**180.01**	**180,014**	**180.01**

नोट–15ख

पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक धारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक		01 अप्रैल, 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (हॉल्डिंग कंपनी)*	180,014	100%	180,014	100%	180,014	100%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए 42 (नंबर) शेयर शामिल हैं।

31 मार्च 2024 तक प्रमोटरों और प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	179,972	-	179,972	99.979%	0.00%
श्री नौमान अहमद (24/02/2023 से)*	-	6	6	0.003%	100.00%
श्री सुरेश चन्द्र गर्ग (28/02/2023 तक)*	6	(6)	-	0.000%	-100.00%
श्री राजेंद्र चौधरी*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री योगेश शर्मा*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्रीमती बलदेव कौर सोखी*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री चन्द्रशेखर गुप्ता*	6	-	6	0.003%	0.00%
मानस कविराज*	6	-	6	0.003%	0.00%
एम.बी. सिंघल*	6	-	6	0.003%	0.00%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयर

31 मार्च, 2023 तक प्रमोटरों और प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	179,972	-	179,972	99.979%	0.00%
श्री सुरेश चंद्र गर्ग (15/01/2020 से)*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री राजेन्द्र चौधरी*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री योगेश शर्मा*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्रीमती बलदेव कौर सोखी*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री चन्द्र शेखर गुप्ता*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री मानस कविराज*	6	-	6	0.003%	0.00%
श्री एम.बी. सिंघल* (28/02/2022 से)	-	6	6	0.003%	100.00%
श्री राकेश गुप्ता* (28/02/2022 तक)	6	(6)	-	0.000%	-100.00%

* एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए शेयर

नोट–15ग

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, वार्षिक आम बैठक सुनिश्चित करने में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। तरलीकरण की स्थिति में, कंपनी सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के बाद, उनकी शेयरधारिता के अनुपात में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

नोट–15घ

प्रोमोटरों की शेयरधारिता		31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक		01 अप्रैल, 2022 तक	
प्रमोटरों का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का%	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)*	180014	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-

*इसमें एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के नामांकित व्यक्तियों द्वारा रखे गए 42 (नंबर) शेयर शामिल हैं

नोट–15ङ

(रु. लाख में)

अन्य इक्विटी	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
जनरल रिजर्व	3,335.53	3,335.53	3,335.53
पूंजी मोचन रिजर्व	60.00	60.00	60.00
प्रतिधारित आय	15,765.83	12,621.36	10,842.78
अन्य व्यापक आय (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप)	(16.01)	24.83	(57.68)
कुल	**19,145.35**	**16,041.73**	**14,180.63**

रिजर्व और अधिशेष

अन्य भंडारों की प्रकृति और उद्देश्य

प्रतिधारित आय

प्रतिधारित अर्जन कंपनी के अविभाजित लाभ का प्रतिनिधित्व करती है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व वैधानिक रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह कंपनी अधिनियम के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा जनरल रिजर्व में विभाजित किया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

यह रिजर्व इक्विटी शेयरों के बाय–बैक पर निर्मित रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह रिजर्व कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अप्रयुक्त है।

नोट –16

(रु. लाख में)

पट्टे की देनदारियाँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
पट्टा देयताएं (गैर चालू)	5.47	1.78	3.41
पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता	6.49	1.63	1.50
कुल पट्टा देयताएं	**11.96**	**3.41**	**4.91**

नोट –17

(रु. लाख में)

प्रावधान– गैर वर्तमान	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः			
छुट्टी नकदीकरण	620.18	558.37	580.71
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	5.50	5.47	-
कुल	**625.68**	**563.84**	**580.71**

प्रावधानों और कर्मचारी लाभ नोट के प्रत्येक वर्ग में संचालनों हेतु क्रमशः नोट 39 और 35 देखें।

नोट–18

(रु. लाख में)

व्यापार देय	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कारण			
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	-	7.60	7.60
अन्यों के कारण			
– कार्यों और सेवाओं के लिए व्यापार देय	29,728.27	19,941.45	14,289.62
रोकी गई राशि	42,163.73	29,299.46	28,933.59
कुल	**71,892.00**	**49,248.51**	**43,230.81**

नोट–18क

31 मार्च, 2024 तक देय व्यापार के लिए एजिंग इस प्रकार हैः

(रु. लाख में)

व्यापार देय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियां					
देय–सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम*	-	-	-	-	-
अन्य	47,409.87	5,972.04	2,586.10	15,923.99	71,892.00
विवादित बकाया– एमएसएमई*	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**47,409.87**	**5,972.04**	**2,586.10**	**15,923.99**	**71,892.00**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार।

नोट–18ख

31 मार्च, 2023 तक देय व्यापार के लिए एजिंग इस प्रकार है: (रु. लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियां					
देय–सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम*	-	-	7.60	-	7.60
अन्य	20,492.23	4,349.47	6,054.89	18,344.32	49240.91
विवादित बकाया– एमएसएमई*	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**20,492.23**	**4,349.47**	**6,062.49**	**18,344.32**	**49,248.51**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार

नोट–18ग

31 मार्च, 2022 तक देय व्यापार के लिए एजिंग इस प्रकार है: (रु. लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष से अधिक	
व्यापार देय					
कारण – सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम*	-	7.60		-	7.60
अन्य	12,914.06	13,969.10	7,487.67	8,852.38	43,223.21
विवादित बकाया– सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम*					-
विवादित बकाया– अन्य					-
कुल	**12,914.06**	**13,976.70**	**7,487.67**	**8,852.38**	**43,230.81**

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार

नोट–18 घ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एमएसएमईडी अधिनियम, 2006") के तहत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत खुद को पंजीकृत करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित विवरण हैं:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
(i)	वर्ष के अंत तक मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया	-	-	-
(ii)	उपरोक्त मूलधन पर देय ब्याज और वर्ष के अंत तक भुगतान न किया जाना	-	-	-
(iii)	(एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि भी शामिल है।			
(iv)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-	-
(v)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि; और	-	7.60	7.60
(vi)	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से छोटे उद्यम को किया जाता है।	-	-	-

नोट–19

(रु. लाख में)

अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
बुक ओवरड्राफ्ट	7,870.00	228.91	234.30
बयाना राशि एवं सुरक्षा जमा	12,423.74	13,280.74	15,496.65
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	84.10	227.94	59.57
अन्य देनदारियां*	17,123.65	29,204.33	36,637.11
कुल	**37,501.49**	**42,941.92**	**52,427.63**
*इसमें इंटर प्रोजेक्ट्स की असमाधान शेष राशि शामिल है	-	-	39.58

नोट–20

(रु. लाख में)

अन्य वर्तमान देनदारियाँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
देय कर	1,904.53	1,293.13	1,484.92
ग्राहकों से अग्रिम शुल्क	(0.00)	30.11	30.11
ग्राहकों से जमा	1,50,250.58	2,21,957.04	2,46,001.89
आस्थगित राजस्व	4,149.19	5,757.31	5,790.39
कुल	**1,56,304.30**	**2,29,037.59**	**2,53,307.31**

नोट–21

(रु. लाख में)

प्रावधान – वर्तमान	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	01 अप्रैल, 2022 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानः			
ग्रेच्युटी	-	-	58.31
छुट्टी नकदीकरण	160.46	130.75	142.14
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	0.96	0.57	-
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए प्रावधान	614.77	368.73	292.04
अनुसंधान एवं विकास कोष	39.00	-	16.77
सतत विकास कोष	-	-	12.91
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी	-	-	6.88
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	528.66	150.00	391.52
कुल	**1,343.85**	**650.05**	**920.57**

प्रावधानों और कर्मचारी लाभ टिप्पणी के प्रत्येक वर्ग में संचालनों हेतु क्रमशः नोट 39 और 35 देखें।

नोट–22

(रु. लाख में)

परिचालन से राजस्व	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सेवाओं का मूल्य		
किए गए कार्य का मूल्य	1,38,113.82	1,22,454.71
कुल	**1,38,113.82**	**1,22,454.71**

नोट–23

(रु. लाख में)

अन्य परिचालन से राजस्व	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	23.98	2.68
पुनः लिखित प्रावधान	194.00	10.28
विविध प्राप्तियाँ	781.71	10.86
कुल	**999.69**	**23.82**

नोट–24

(रु. लाख में)

अन्य आय	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज सकल	400.47	51.12
ग्राहक की ओर से प्राप्त ब्याज	10,938.75	10,952.41
ग्राहक की ओर से प्राप्त ब्याज (ठेकेदारों से)	625.00	620.84
कमः ग्राहकों को दिया जाने वाला ब्याज	(11,563.75)	(11,573.25)
	400.47	51.12
कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज	0.20	0.49
रुचि – अन्य	187.59	64.72
विदेशी उतार–चढ़ाव लाभ (शुद्ध)*	-	19.16
परिसंपत्तियों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	0.51	-
कुल	**588.77**	**135.49**

*जहां ऐसे लेन–देन ग्राहकों की ओर से होते हैं, लाभ/हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

नोट–25

(रु. लाख में)

कार्य और परामर्श व्यय	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय (सामग्री के साथ)	1,28,565.64	1,15,322.00
कुल	**1,28,565.64**	**1,15,322.00**

नोट–26

(रु. लाख में)

कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और प्रोत्साहन	3,245.06	3,151.80
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	534.62	579.06
ग्रेच्युटी निधि योगदान	72.73	54.97
नकदीकरण छोड़े	183.60	177.74
दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.24	7.42
कर्मचारी कल्याण व्यय	42.90	39.70
चिकित्सा लाभ के लिए प्रतिपूर्ति	48.31	67.90
कुल	**4,128.46**	**4,078.59**

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 (पिछले वर्ष : शून्य) के दौरान चिकित्सीय और कल्याण न्यास में पर्याप्त योगदान नहीं दिया है, क्योंकि न्यासियों ने मेडिकल एंड वेल्फेयर ट्रस्ट दोनों में उपलब्ध पर्याप्त राशि का निर्धारण किया है और संबंधित निधि में अतिरिक्त योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

नोट–26 क

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान, प्रबंध निदेशक, निदेशक (इंजीनियरिंग), मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर ₹158.31 लाख (पिछले वर्ष :– ₹104.37 लाख) जैसा कि नीचे बताया गया है :–

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और प्रोत्साहन*	126.58	83.96
भविष्य निधि और अन्य निधि को योगदान	19.48	13.32
ग्रेच्युटी फंड योगदान**	4.07	2.15
छुट्टी नकदीकरण	7.06	2.91
दीर्घकालिक सेवा पुरूस्कार	0.05	0.27
चिकित्सा लाभ के लिए योगदान	0.65	1.76
कुल	**157.89**	**104.37**

*लाभ से संबंधित वेतन की गणना अनुमान के आधार पर की जाती है।

नोट–27

(रु. लाख में)

वित्त लागत	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयता पर ब्याज लागत	0.19	0.36
कुल	**0.19**	**0.36**

नोट–28

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास और परिशोधन	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	155.11	133.77
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों पर मूल्यह्रास	6.70	6.41
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन	9.80	4.98
कुल	**171.61**	**145.16**

नोट–29

(रु. लाख में)

अन्य व्यय	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
विज्ञापन	14.61	18.68
लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक	23.10	23.10
बैंक शुल्क और गारंटी कमीशन	6.29	5.75
सीएसआर व्यय	50.25	79.33
निदेशक का बैठक का शुल्क	1.70	3.50
विदेशी उतार–चढ़ाव हानि (शुद्ध)'	52.06	-
बीमा	1.86	0.73
कानूनी और पेशेवर शुल्क	182.64	133.30
परिसमापन हर्जाना	378.66	-
विविध व्यय	93.15	53.63
डाक और टेलीफोन	11.88	7.22
छपाई और स्टेशनरी	34.95	31.77
व्यापार प्राप्य पर अपवादित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	-	40.92
दरें और कर	8.37	1.56
किराया**	9.09	5.00
मरम्मत और रखरखाव		
(i) संयंत्र और मशीनरी / वाहन / उपकरण	101.09	29.70
(ii) भवन	66.30	72.40
(iii) अन्य	9.67	22.65
यात्रा और वाहन	181.57	163.06
जल, बिजली और संबद्ध शुल्क	36.89	36.86
अनुसंधान एवं विकास व्यय	110.54	-
कुल	**1,374.67**	**729.16**

* जहां ऐसे लेनदेन ग्राहकों की ओर से होते हैं, लाभ/हानि संबंधित ग्राहकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

** किराये में बारह महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों पर किए गए पट्टा किराये का भुगतान शामिल है और अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की है।

नोट–29क

(रु. लाख में)

लेखा–परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
ऑडिट शुल्क	13.20	13.20
टैक्स ऑडिट	4.95	4.95
तिमाही सीमित समीक्षा	4.95	4.95
कुल	**23.10**	**23.10**

नोट–30

(रु. लाख में)

कर व्यय	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कर व्यय में शामिल हैं:		
वर्तमान आयकर	920.32	366.69
आस्थगित कर	580.84	(117.87)
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान (नोट–54 देखें)	4.22	(177.41)
कुल	**1,505.38**	**71.41**

नोट–30क: प्रभावी कर दर का समाधान

आयकर व्यय के प्रमुख घटक और कंपनी की घरेलू प्रभावी कर दर और लाभ या हानि में रिपोर्ट किए गए कर व्यय के आधार पर अपेक्षित कर व्यय का समाधान इस प्रकार है:

कर समाधान	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	5,461.71	2,338.75
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	**5,461.71**	**2,338.75**
भारत की सांविधिक आयकर दर पर	25.168%	25.168%
आयकर	1,374.60	588.62
गैर–कटौती योग्य व्यय का प्रभाव	126.55	(339.80)
पिछले वर्ष के संबंध में कराधान (स्थायी अंतर के कारण)	4.22	(177.41)
कर व्यय	**1,505.38**	**71.41**
वास्तविक कर व्यय	**1,505.38**	**71.41**
कर	**27.56%**	**3.05%**

नोट–31

(रु. लाख में)

अन्य व्यापक आय	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	(54.58)	110.26
उपरोक्त का आयकर प्रभाव	13.74	(27.75)
कुल	**(40.84)**	**82.51**

नोट–32

(रु. लाख में)

प्रति शेयर आय (ईपीएस) की गणना "प्रति शेयर आय" पर भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक–33) के अनुसार की जाती है।

आय प्रति इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आय प्रति इक्विटी शेयर		
मूल / मंदित आय हेतु इक्विटी धारकों के कारण होने वाला लाभ (निरंतर संचालन)	3,956.33	2,267.34
बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्याः		
वर्ष की शुरुआत में (सं.)	180,014	180,014
वर्ष के अंत में (सं.)	180,014	180,014
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या)	180,014	180,014
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	100.00	100.00
आय प्रति इक्विटी शेयर		
(1) मूल (₹ में)	2,197.79	1,259.54
(2) मंदित (₹ में)	2,197.79	1,259.54

नोट–33

I. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(रु. लाख में)

क.

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार
ईएसआई – निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन, कानपुर के दावों को 01.01.1997 से 31.07.2004 के बीच अवधि के लिए ईएसआई अधिनियम के अधीन नहीं किया गया	1.83	1.83	1.83
बैंक प्रत्याभूति – कंपनी की ओर से निर्माण परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा जारी उत्कृष्ट प्रदर्शन बैंक प्रत्याभूति।	867.71	1,524.00	1,603.30
भविष्य निधि 2004–05 से 2008–09 के दौरान कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों के माध्यम से संविदा कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा उठाई गई मांग, अपील पीएफ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। राशि पहले ही जमा हो चुकी है रु. 5.15 लाख सुनवाई की अगली तारीख 29 मई 2024 है।	6.86	6.86	6.86
आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांगः सहायक वर्ष 2020–21 के लिए आयकर की मांग– मूल रिटर्न दिनांक सितंबर 20, 2021 की धारा 143 (1) के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसमें रिफंड की राशि को 20/09/2011 तक कम कर दिया गया है। सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित 246.66 लाख रुपये अक्टूबर 14, 2021 को आय के अतिरिक्त और विभिन्न अस्वीकरणों के संबंध में दायर किए गए। हालांकि, दिनांक दिसंबर 02, 2021 के संशोधित विवरणी की धारा 143(1) के तहत सूचना के परिणामस्वरूप लौटाई गई आय और लौटाई गई कर देयता में कोई समायोजन नहीं हुआ। एचएससीसी ने विभाग द्वारा वांछित अपेक्षित दस्तावेज जमा कर दिए हैं।	-	234.02	246.66

क.

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार
सहायक वर्ष 2018–19 के लिए आयकर की मांग– लाभांश वितरण कर के क्रेडिट की आय और अस्वीकृति के संबंध में 18.02.2021 को सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील। जांच मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा अभी सुनवाई की तिथि की सूचना नहीं दी गई है।	431.02	431.02	431.02
सहायक वर्ष 2014–15 के लिए आयकर की मांग– आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील सरकारी निधियों पर टीडीएस की अस्वीकृति के संबंध में 20.09.2018 को दायर की गई। अब माह सितंबर–2018 में 42.14 लाख रुपये की राशि के खिलाफ आईटीएटी में अपील दायर की गई है।	131.53	131.53	131.53
आयकर विभाग ने आईटीएटी के समक्ष सीआईटी (अपील) द्वारा तय किए गए मामले के खिलाफ अपील की थी। आय में वृद्धि और टीडीएस क्रेडिट की अस्वीकृति से विभागीय अपील का कुल प्रभाव 89.39 लाख है। सुनवाई की अगली तारीख 08 जून 2024 है।			
सहायक वर्ष 2021–22 के लिए अपील धारा 143(1) दिनांक 05 दिसंबर, 2023 के तहत सूचना के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें रिफंड राशि घटाकर 22 दिसंबर, 2023 को दायर सीआईटी (ए) के समक्ष रु. 14.26 लाख लंबित हैं।	14.26	14.26	-
आय में वृद्धि और विभिन्न अस्वीकृतियाँ।			
वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए टीडीएस (आयकर) की मांग – अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित है। कम कटौती/कोई कटौती नहीं/देर से टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना।	1.92	1.92	-
जीएसटी विभाग द्वारा उठाए गए मांगः			
वित्त वर्ष 2018–19 के लिए जीएसटीआर–3बी देर से प्रस्तुत करने के कारण मध्य प्रदेश (एमपी) के जीएसटी विभाग द्वारा ब्याज की मांग की गई है, जिसके लिए एचएससीसी ने मार्च–22 के माह में अपील दायर की है।	0.15	0.15	0.15
वित्त वर्ष 18–19 के लिए जीएसटीआर–3बी देर से प्रस्तुत करने के कारण महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग द्वारा ब्याज की मांग की गई है, जिसके लिए एचएससीसी ने मई–22 के माह में अपील दायर की है। अगली तारीख की सूचना अभी दी जानी है।	0.61	0.61	-
वित्त वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–3बी देर से प्रस्तुत करने के कारण आरसीएम देयता और ब्याज का भुगतान के लिए महाराष्ट्र के जीएसटी विभाग द्वारा दिसंबर 2023 में मांग आदेश जारी किया गया है। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मार्च 2024 में अपील दायर की है।	104.69	-	-
वित्त वर्ष 2018–19 के लिए जीएसटीआर–01 और जीएसटीआर–09 में घोषित बाहरी आपूर्ति में विसंगति के लिए अप्रैल 2024 में असम के जीएसटी विभाग द्वारा मांग आदेश जारी किया गया है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।	16.74	-	-
वित्त वर्ष 2018–19 के लिए दिल्ली में आईटीसी के अतिरिक्त दावे हेतु फरवरी 2024 में दिल्ली के जीएसटी विभाग द्वारा मांग आदेश जारी किया गया है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने 06.05.2024 को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की है।	10.95	-	-

क.

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार
वित्त वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–3बी देर से प्रस्तुत करने और जीएसटी रिटर्न में चालान की देर से रिपोर्टिंग के कारण ब्याज की मांग पश्चिम बंगाल के जीएसटी विभाग द्वारा की गई है, जिसके लिए एचएससीसी ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की है और निर्णय हमारे पक्ष में नहीं दिया गया, परंतु हमने जीएसटी विभाग को सूचित किया है कि एचएससीसी उक्त आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी, जब भी इस न्यायाधिकरण गठन किया जाएगा।	76.95	76.95	-
कुल	**1,665.22**	**2,423.15**	**2,421.35**

ख. कंपनी टीडीएस पोर्टल से 3.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3.88 लाख रुपये) की बकाया मांग को हटाने की प्रक्रिया में है। राशि का भुगतान माह नवम्बर 2022 में किया जा चुका है।

ग. कंपनी आकस्मिक रूप से रुपये के लिए उत्तरदायी है। जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उनके संबंध में 31 मार्च, 2024 को 62.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 47.62 लाख रुपये) और अनुशासनात्मक जांच के निर्णय के बाद उत्पन्न होने वाले दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

कंपनी ने एक बिल्डिंग स्पेस खरीदा है जिसका पंजीकरण अभी भी लंबित है और पंजीकरण शुल्क की लागत लगभग रु. 500 लाख और ओखला बिल्डिंग में बन रहे नए इंटीरियर कार्य के लिए 500 लाख रुपये का अनुबंध किया है।

II. मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से आकस्मिक देयताएं (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

क) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा कुल मिलाकर दावा सामग्री की आपूर्ति हेतु 15,084.13 लाख (पिछले वर्ष 23,868.10 लाख रुपये) और कार्य अनुबंध विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ अदालत/मध्यस्थता के अधीन हैं और उपरोक्त पर ब्याज 14,528.96 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10,231.22 लाख रुपये) लाख है। 31 मार्च, 2024 तक, जहां एचएससीसी सह–प्रतिवादी है।

ख) 31 मार्च, 2024 तक विदेशी ऋण पत्रों की बकाया राशि रु. 130.25 लाख (31 मार्च, 2023 रु. 1,372.91 लाख रुपये) आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में और मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से खोला गया। हालाँकि, प्रबंधन को इन मामलों में कंपनी पर कोई देनदारी होने की उम्मीद नहीं है।

III. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
कंपनी ने विभिन्न पक्षों के खिलाफ मध्यस्थ / अदालत / अन्य अधिकारियों के समक्ष कुछ मामले दायर किए हैं। मुकदमों के जीतने की प्रबल संभावना है और संभावना है कि उक्त लाभ प्राप्त हो जाए।	3.36	3.55

नोट–34

लाभांश और भंडार (रु. लाख में)

वितरण एवं प्रस्तावित किया गया	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पर नकद लाभांश		
वित्त वर्ष 2022–23 का अंतिम लाभांश	811.86	-
वित्त वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश	-	518.44

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। 660 प्रति इक्विटी शेयर और यह कंपनी की आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

नोट–35

कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) – 19 के तहत प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ आनुतोषिक योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा दी है, आनुतोषिक अधिनियम 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) पाने का हकदार है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जिसका नाम सह–जीवन बीमा पॉलिसी ली है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए समूह ग्रेच्युटी सह–जीवन बीमा पॉलिसी ली है, जिसमें 127 कर्मचारी शामिल हैं। इसकी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर स्वीकार की जाती है, जिसकी गणना उनके द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का इस्तेमाल कर बीमांकिक मूल्यांकन पर की जाती है। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है और उसी के अनुरूप ग्रेच्युटी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी जाती है। 31 मार्च, 2024 तक 220 कर्मचारियों वाली ग्रेच्युटी पॉलिसी और 34 कर्मचारियों वाली ग्रेच्युटी पॉलिसी की देय राशि ₹ 16.08 लाख {पिछला वर्ष: ₹ 99.01 लाख देय} है।

अर्जित अवकाश

कंपनी के पास अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए एक दीर्घकालिक लाभ योजना है। वर्ष के अंत में अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का प्रावधान (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2023–24 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2024 को अर्जित अवकाश नकदीकरण की संचयी देनदारी ₹ 436.77 लाख {पिछला वर्ष– ₹ 370.07 लाख} है।

अस्वस्थ अवकाश

कंपनी के पास बीमार अवकाश नकदीकरण के लिए एक दीर्घकालिक लाभ योजना है। अधिवर्षिता पर अर्ध–वेतन अवकाश के नकदीकरण की अनुमति अर्जित अवकाश के नकदीकरण के अतिरिक्त 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन होगी। बीमारी की छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य अर्ध वेतन और डीए के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर होगा और अर्जित अवकाश में कमी को पूरा करने के लिए होगा। इस प्रयोजन के लिए बीमारी अवकाश के किसी भी रूपान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2023–24 के लिए देयता का लेखा–जोखा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2024 को बीमारी छुट्टी नकदीकरण के लिए संचयी दायित्व ₹ 343.87 लाख {पिछले वर्ष– ₹ 319.05 लाख} है।

सेवानिवृत्ति पर दीर्घ अवधि सेवा पुरस्कार

कंपनी सर्विस ग्रेड के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 5000/– से ₹ 25000/– तक सीमा का दीर्घ अवधि सेवा पुरस्कार देती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने दीर्घ अवधि सेवा पुरस्कार के रूप में ₹ 0.45 लाख का भुगतान किया है। यह दीर्घ अवधि सेवा पुरस्कार के बीमांकिक मूल्यांकन का पहला वर्ष है और 31 मार्च 2024 को संचित दायित्व ₹ 6.47 लाख है।

क) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि इस प्रकार है (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2023-24	-	916.91	436.77	343.87	6.47
	2022-23	812.22	15.91	370.07	319.05	6.04
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2023-24	-	932.99	-	-	-
	2022-23	901.16	25.97	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट (संपत्ति)/देयता	2023-24	-	(16.08)	436.77	343.87	6.47
	2022-23	(88.94)	(10.07)	370.07	319.05	6.04

ख) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है: (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्तमान सेवा लागत	2023-24	-	61.59	66.22	31.90	0.79
	2022-23	45.01	5.84	36.19	22.45	6.04
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	2023-24	-	60.78	27.16	23.42	0.44
	2022-23	67.81	1.04	27.50	24.25	-
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	2023-24		(68.05)	-	-	-
	2022-23	(63.86)	(0.92)	-	-	-
फंड प्रबंधन शुल्क	2023-24	-	-	-	-	-
	2022-23	-	-	-	-	-
उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2023-24	-	-	38.39	(3.49)	-
	2022-23	-	-	78.90	(11.55)	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2023-24	-	54.33	131.77	51.83	1.23
	2022-23	48.97	5.97	142.59	35.15	6.04

ग) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)
परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2023-24	-	(46.14)
	2022-23	106.28	5.90
बीमांकिक (लाभ)/परिसंपत्ति पर हानि	2023-24	-	(8.80)
	2022-23	(2.60)	0.67
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	2023-24	-	(54.94)
	2022-23	103.69	6.57

घ) परिभाषित लाभ दायित्व के आरंभिक और अंतिम शेषों का मिलान निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2023-24	-	828.12	370.07	319.05	6.04
	2022-23	968.71	14.92	384.15	338.71	-
अधिग्रहण समायोजन	2023-24	-	-	-	-	-
	2022-23	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	2023-24	-	60.78	27.16	23.42	0.44
	2022-23	67.81	1.04	27.50	24.25	-

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
वर्तमान सेवा लागत	2023-24	-	61.59	66.22	31.90	0.79
	2022-23	45.01	5.84	36.19	22.45	6.04
बीमांकिक (लाभ)/हानि से उत्पन्न होने वाली हानि						
जन सांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन	2023-24	-	-	-	-	-
	2022-23	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	2023-24	-	-	5.16	3.09	(0.07)
	2022-23	-	-	(7.23)	(4.69)	-
अनुभव समायोजन	2023-24	-	46.14	33.23	(6.58)	(0.29)
	2022-23	(106.28)	(5.90)	86.13	(6.87)	-
विगत सेवा लागत	2023-24	-	-	-	-	-
	2022-23	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	2023-24	-	(79.73)	(65.07)	(27.01)	(0.45)
	2022-23	(163.04)	-	(156.67)	(54.80)	-
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2023-24	**-**	**916.91**	**436.77**	**343.87**	**6.46**
	2022-23	**812.22**	**15.91**	**370.07**	**319.05**	**6.04**

ङ) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष राशि का मिलान निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2023-24	-	927.13
	2022-23	912.21	13.10
ब्याज आय	2023-24	-	59.25
	2022-23	61.26	1.59
पुनः मापन लाभ/(हानि)–शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल)	2023-24	-	-
	2022-23	-	-
नियोक्ता से योगदान	2023-24	-	26.33
	2022-23	90.72	11.29
फंड प्रबंधन शुल्क	2023-24	-	-
	2022-23	-	-
भुगतान किए गए लाभ	2023-24	-	(79.73)
	2022-23	(163.04)	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2023-24	-	932.99
	2022-23	901.16	25.97

च) बीमांकिक अनुमान इस प्रकार हैं:

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
छूट दर	2023-24	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%	7.23%
	2022-23	7.34%	7.34%	7.16%	7.34%	7.34%
भविष्य की अपेक्षित दर वेतन वृद्धि	2023-24	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	लागू नहीं
	2022-23	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	लागू नहीं
सेवानिवृत्ति आयु	2023-24	60	60	60	60	60
	2022-23	60	60	60	60	60
प्रति कर्मचारी लागत (₹ में)	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	2022-23	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वर्ष		निकासी दर	निकासी दर	निकासी दर	निकासी दर	निकासी दर
30 वर्ष तक	2023-24	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	2022-23	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2023-24	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	2022-23	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से ऊपर	2023-24	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	2022-23	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
छुट्टी						
अवकाश प्राप्ति दर	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	2.50%	2.50%	लागू नहीं
	2022-23	लागू नहीं	लागू नहीं	2.50%	2.50%	लागू नहीं
सेवा में रहते हुए अवकाश व्यपगत दर	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	2022-23	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
बाहर निकलने पर चूक दर छोड़ें	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	60.00%	
	2022-23	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	60.00%	लागू नहीं
सेवा में रहते हुए अवकाश नकदीकरण दर	2023-24	लागू नहीं	लागू नहीं	25.00%	शून्य	
	2022-23	लागू नहीं	लागू नहीं	25.00%	शून्य	लागू नहीं
विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर %	2023-24	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
	2022-23	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)

योजना प्रावधानों से जुड़े जोखिम

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। इस तरह की कंपनी विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है, जो निम्नानुसार है:

वेतन वृद्धि	वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी में वृद्धि होगी। इसी के साथ वेतन में वृद्धि, भविष्य के मूल्यांकन में दर अनुमान में वृद्धि, देयता में भी वृद्धि होगी।
निवेश जोखिम	यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो परिसंपत्तियां और देनदारियां बेमेल होंगी और परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई छूट दर से कम होगा जो देयता को प्रभावित कर सकता है।
छूट की दर	बाद के मूल्यांकन में छूट दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ सकती है।

मृत्यु दर और विकलांगता	वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान दर से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।
निकासी	वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी की तुलना में अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में बदलाव योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

छ) मार्च 2024 के वर्ष हेतु परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि (वर्ष)						
1	2024-25	-	118.62	106.04	54.42	लागू नहीं
2	2025-26	-	63.81	25.04	20.27	लागू नहीं
3	2026-27	-	29.15	11.41	12.45	लागू नहीं
4	2027-28	-	85.27	22.41	39.42	लागू नहीं
5	2028-29		46.72	24.16	19.60	लागू नहीं
5 से ऊपर	2029-30 से		573.34	247.71	197.71	लागू नहीं
कुल		**-**	**916.91**	**436.77**	**343.87**	**लागू नहीं**

ज) सदस्यता डेटा का सारांश:

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
कर्मचारियों की संख्या	2023-24		220	156	156	156
	2022-23		161	161	161	161
कुल मासिक वेतन (लाख में)	2023-24		171.81	145.99	145.99	नहीं
	2022-23	0.00	136.81	136.81	136.81	नहीं
औसत पिछली सेवा (वर्ष)	2023-24		9.74	11.45	11.45	11.45
	2022-23	0.00	11.63	11.63	11.63	11.63
औसत आयु (वर्ष)	2023-24		38.49	40.84	40.84	40.84
	2022-23	0.00	40.53	40.53	40.53	40.53
औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	2023-24		21.51	19.16	19.16	19.16
	2022-23		19.47	19.47	19.47	19.47
मूल्यांकन तिथि पर शेष राशि के लिए विचार किया जाए	2023-24	नहीं	नहीं	16,378	24,838	नहीं
	2022-23	नहीं	नहीं	15,063	24,826	नहीं
भारित औसत अवधि	2023-24		16.95	15.04	15.04	नहीं
	2022-23		15.20	15.20	15.20	नहीं

झ) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में) इस प्रकार हैं:

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	2023-24	100%	100%	-	-	-
	2022-23	100%	100%	-	-	-

ञ) संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नानुसार है:

छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2023-24		(37.96)	(22.76)	(13.72)	लागू नहीं
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2023-24	-	41.18	24.68	14.67	लागू नहीं

वेतन वृद्धि में बदलाव का असर (रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी (पुराना कर्मचारी)	ग्रेच्युटी (नया कर्मचारी)	अर्जित अवकाश	बीमारी के लिए अवकाश	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	2023-24		19.11	24.95	14.82	लागू नहीं
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	2023-24	-	(20.87)	(22.94)	(13.83)	लागू नहीं

*मृत्यु दर और निकासी दर में 0.5% वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन, यदि अन्य सभी धारणाएं स्थिर रहती हैं, तो नगण्य है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होता है।

नोट–36

संबंधित पार्टी लेनदेन

होल्डिंग कंपनी

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.)

1. श्री के. पी. महादेवस्वामी, अध्यक्ष
   (1 अक्टूबर, 2023 से आज तक)
2. श्री पवन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष
   (7 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2023 तक)
3. श्री नौमान अहमद (प्रबंध निदेशक)
   24 फरवरी, 2023 से आज तक)
4. श्री रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग)
   (1 मार्च, 2023 से आज तक)
5. श्रीमती डी. थारा, सरकारी नामित निदेशक
   (1 जनवरी, 2020 से आज तक)
6. श्री दीपक सिंह भाकर, स्वतंत्र निदेशक
   (1 जनवरी, 2020 से आज तक)
7. श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी
   (1 सितंबर, 2021 से आज तक)
8. श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव
   (18 नवंबर, 2019 से आज तक)

(रु. लाख में)

लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
बकाया शेष राशि				
प्राप्य राशि / (देय)*	2,166.16	-	(227.94)	-
पूर्वदात व्यय	-	-	55.31	-

(रु. लाख में)

लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	होल्डिंग कंपनी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
भवन रखरखाव शुल्क	55.31	-	55.31	-
सेकेंडमेंट शुल्क	38.62	-	9.11	-
ईआरपी रखरखाव शुल्क	64.29	-	-	-
सेकेंडमेंट शुल्क के अलावा अन्य	8.32	-	29.71	-
सेकेंडमेंट शुल्क के अलावा अन्य	811.86	-	518.44	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	157.89	-	104.37
ब्याज एनबीसीसी को दे दिया गया	15.16	-	-	-
सेवाएँ प्रदान की गईं	7,406.98	-	-	-
स्वतंत्र निदेशक को बैठने की फीस: –				
(i) श्रीमती विनोद पंथी, स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	0.90
(ii) श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला, स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	0.80
(iii) डॉ. दीपक सिंह भाकर, स्वतंत्र निदेशक		1.70		1.80

ऊपर उल्लिखित प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु			
		अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	रोजगार उपरांत लाभ	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल
1.	श्री नौमान अहमद, प्रबंध निदेशक	42.37	6.52	3.75	52.65
2.	श्री रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	38.72	5.94	3.41	48.07
3.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	37.14	5.67	3.24	46.05
4.	श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	9.01	1.35	0.77	11.13
	कुल	**127.24**	**19.48**	**11.18**	**157.89**

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु			
		अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	रोजगार उपरांत लाभ	दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल
1.	श्री नौमान अहमद, प्रबंध निदेशक	3.88	0.62	0.10	4.60
2.	श्री रवि रंजन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	3.03	0.48	1.14	4.64
3.	श्री सुरेश चंद्र गर्ग, निदेशक (इंजीनियरिंग)	36.83	5.77	-	42.60
4.	श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी	33.70	5.22	3.41	42.32
5.	श्रीमती सोनिया सिंह, कंपनी सचिव	8.28	1.24	0.68	10.20
	कुल	**85.72**	**13.32**	**5.32**	**104.37**

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े अतिरिक्त प्रावधान/अतिरिक्त ली गई छुट्टी को दर्शाते हैं।

नोट–37

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108 खंडों के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता होने के नाते निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल द्वारा नियमित रूप से समीक्षा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिचालन खंडों की पहचान की है।

भौगोलिक खंड

कंपनी के संचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किए जाते हैं इसलिए, भौगोलिक खंडों का खुलासा नहीं किया जाता है।

ग्राहकों के अनुसार राजस्व (राजस्व का 10% से अधिक):

राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान करने वाले ग्राहकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	स्वा. एंव परि. कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	26.07%	31.82%
2	राज्य सरकार राजस्थान	10.50%	14.78%
3	राज्य सरकार महाराष्ट्र	29.94%	13.69%

नोट–38

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
धारा 135 (5)* के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	2512.58	3965.91
धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	50.25	79.32
पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	-	-
वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि,	-	-
वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व	**50.25**	**79.32**
व्यय की गयी वास्तविक राशि (प्रशासनिक उपरिव्यय सहित)	50.25	86.21
व्यय की गई अधिशेष राशि	-	-
अव्ययित राशि***	-	-

* औसत शुद्ध लाभ की गणना संबंधित वर्षों के लिए पुनः बताए गए लाभ के आधार पर की जाती है।

** वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय विवरण के पुनः वर्णन के कारण पिछले वर्षों के सीएसआर प्रावधान का रु. 6.89 लाख शामिल है।

*** वित्तीय विवरण के पुनर्कथन के कारण सीएसआर प्रावधान शामिल है। - 5.06

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:					
वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (लाख रुपये में)	अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची–VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि की हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
50.25	शून्य	लागू नहीं	-	शून्य	लागू नहीं

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:				
गत वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि
2020-21	शून्य	120.00	शून्य	16.47*
2021-22	शून्य	105.11	शून्य	5.06**
2022-23	शून्य	86.21	शून्य	शून्य

* वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पीएम केयर फंड में दान के रूप में 14.64 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। शेष राशि रु. 1.83 लाख (वित्त वर्ष 2020–21) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण थे और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किडनी रोग संस्थान और अनुसंधान केंद्र को दान के रूप में खर्च किए गए थे।

** वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण था और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किडनी रोग संस्थान और अनुसंधान केंद्र को दान के रूप में रु. 5.06 खर्च किया गया था।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु		
	नकद में	नगद भुगतान हेतु अभी भी शेष है	कुल	नकद में	नगद भुगतान हेतु अभी भी शेष है	कुल
I. किसी भी परिसंपत्तियों का निर्माण अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
II. उपरोक्त I के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु						
क. किडनी रोग संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र को दान	-	-	-	65.11	-	65.11
ख. मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान को दान	16.70					
ग. परमपूज्य माधव गौविज्ञान अनुसंधान संस्थान को दान	8.35	-	8.35	11.50	-	11.50
घ. कोविड–19 के पीएम केयर्स (प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत) कोष में दान।	2.90	-	2.90	2.71	-	2.71
ड. विशेष भारत ओलंपिक*	22.30	-	22.30	-	-	-
कुल	**50.25**	**-**	**33.55**	**79.32**	**-**	**79.32**

*वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जागरूकता प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य के लिए विशेष भारत ओलंपिक को भुगतान किया गया। यह राशि उनके द्वारा चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान खर्च की जाएगी

नोट–39

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ग (वर्तमान और गैर–वर्तमान) के संसाधनों के संचलनों को नीचे वर्णित किया गया है:

प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों पर भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 37 के तहत प्रकटीकरण:

(रु. लाख में)

विशेष	आनुतोषिक	अवकाश के बदले नकद भुगतान	अवकाश यात्रा रियायत	पीआरपी के लिए प्रावधान	अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	अनुसंधान एवं विकास कोष	सतत विकास कोष	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कोष
31 मार्च, 2022 तक	**58.31**	**722.85**	**-**	**292.04**	**391.52**	**16.77**	**12.91**	**6.88**
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	-	177.74	6.04	113.64	-	-	-	79.33
कम: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ पुनर्समूहित			-	-	(241.52)	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान किया गया उत्क्रमण	(3.20)	-	-	(7.49)	-	(16.77)	(12.91)	-
कम: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया	(55.11)	(211.46)	-	(29.46)	-	-	-	(86.21)
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**689.13**	**6.04**	**368.73**	**150.00**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	-	183.60	0.88	257.18	378.66	-	-	50.25
कम: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ पुनर्समूहित			-	-	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान किया गया उत्क्रमण	-	-	-	-	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया	-	(92.08)	(0.45)	(11.13)	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**780.64**	**6.47**	**614.77**	**528.66**	**-**	**-**	**50.25**

* कंपनी के पास 31 मार्च 2024 को 16.08 लाख रुपये (31 मार्च 2023 को 99.01 लाख रुपये) की शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति (ग्रेच्युटी) है।

नोट–40

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

उचित मूल्य प्रकटीकरण

(i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तुलन पत्रों में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में बांटा गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि के अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर–समायोजित)
- स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जिनका एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करता है।
- स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टि बाजार के अवलोकन योग्य डेटा पर आधारित नहीं हैं तो लिखित खातों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

कंपनी के पास ऐसी कोई वित्तीय लिखित रुप में नहीं है जिसे उचित मूल्य पर मापा जाता है या तो लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से या अन्य व्यापक आय के माध्यम से।

(iii) परिशोधन लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधन लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण किया गया है, निम्नानुसार है

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार		01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां							
व्यापार प्राप्तियां	नोट–9	31,351.44	31,351.44	8,372.59	8,372.59	3,947.87	3,947.87
नकद और नकदी के समतुल्य	नोट–10	49,971.46	49,971.46	58,166.01	58,166.01	27,039.29	27,039.29
अन्य बैंक बैलेंस	नोट–11	1,54,596.97	1,54,596.97	1,57,076.36	1,57,076.36	2,28,857.55	2,28,857.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:							
वर्तमान	नोट–12	34,532.01	34,532.01	80,246.63	80,246.63	73,615.77	73,615.77
गैर–वर्तमान	नोट–6	24.07	24.07	24.96	24.96	30.87	30.87
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,70,475.94**	**2,70,475.94**	**3,03,886.54**	**3,03,886.54**	**3,33,491.34**	**3,33,491.34**

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च, 2024 के अनुसार			31 मार्च, 2023 के अनुसार			01 अप्रैल, 2022 के अनुसार		
		एफवीटी पीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	एफवीटी पीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	एफवीटी पीएल	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय देयताएं										
व्यापार देयताएं	नोट–18	-	71,892.00	71,892.00	-	49,248.51	49,248.51	-	43,230.80	43,230.80
अन्य वित्तीय देयताएं	नोट–19	-	37,501.49	37,501.49	-	42,941.92	42,941.92	-	52,427.64	52,427.64
पट्टे की देयताएं:	नोट–16									
वर्तमान		-	6.49	6.49	-	1.63	1.63	-	1.50	1.50
गैर–वर्तमान		-	5.47	5.47	-	1.78	1.78	-	3.41	3.41
कुल वित्तीय देयताएं		**-**	**1,09,405.44**	**1,09,405.44**	**-**	**92,193.84**	**92,193.84**	**-**	**95,663.35**	**95,663.35**

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, अन्य प्राप्य, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां, इन लिखतों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणीत राशि का अनुमान लगाती हैं।

नोट–41

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियाँ इसे ऋण जोखिम, नकदी प्रवाह जोखिम और बाजार जोखिम के लिए उजागर करती हैं। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की समग्र जिम्मेदारी है। यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई उजागर होती है और वित्तीय विवरणों में इकाई जोखिम और संबंधित प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

(क) ऋण जोखिम

कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य), बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अपनी निवेश गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्ग के लिए विशिष्ट मान्यताओं, इनपुट और कारकों के आधार पर आने वाली निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

क: वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम

ख: मध्यम ऋण जोखिम

ग: उच्च ऋण जोखिम

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है:

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय ऋण हानि के लिए प्रावधान
कम ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि
मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि
उच्च ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि या इसके लिए पूरी तरह से प्रदान किया गया

व्यापार प्राप्तियां के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के लिए एक प्रावधान को मान्यता देती है।

कारोबार के माहौल के आधार पर जिसमें कंपनी संचालित होती है, एक वित्तीय परिसंपत्ति पर एक पूर्व निर्धारित मूल्य (डिफॉल्ट या चूक) पर विचार किया जाता है, जब काउंटर पार्टी अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है या इसे मामला दर मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक ऋण हानि अनुभव पर आधारित होती है और वर्तमान तथा ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच अंतर पर विचार करती हैं।

जब वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है, जैसे कि देनदार द्वारा दिवालिया घोषित करने या कंपनी के खिलाफ मुकदमें–बाजी का निर्णय आ जाता है। कंपनी उन पार्टियों के साथ जुड़ना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है, और राशि को वसूलने का प्रयास करती रहती है। की गई वसूली को लाभ और हानि के विवरणों में दर्ज किया जाता है।

(रु. लाख में)

ऋण रेटिंग	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
क: कम ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष राशि और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,39,124.50	2,95,513.95
ख: मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां	32,918.91	10,285.76
ग: उच्च ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्तियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,424.69	1,416.69

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

व्यापार प्राप्तियां के लिए ऋण जोखिम के लिए कंपनी का प्रमुख जोखिम विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों से है।

ऋण जोखिम अनावरण

अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 महीने और आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है–

क: कम ऋण जोखिम

31 मार्च, 2024 तक

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट–10	49,971.46	-	49,971.46
अन्य बैंक बैलेंस	नोट–11	1,54,596.97	-	1,54,596.97
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–6, 12	34,556.07	-	34,556.07

31 मार्च, 2023 तक

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट–10	58,166.01	-	58,166.01
अन्य बैंक बैलेंस	नोट–11	1,57,076.36	-	1,57,076.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–6, 12	80,271.58	-	80,271.58

01 अप्रैल, 2022 तक

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
नकद और नकद समकक्ष	नोट–10	27,039.29	-	27,039.29
अन्य बैंक बैलेंस	नोट–11	228,857.55	-	228,857.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–6, 12	73,646.64	-	73,646.64

खः मध्यम ऋण जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31 मार्च, 2024 के अनुसार (रु. लाख में)

काल प्रभावन	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट–9	27,805.57	1,777.98	651.28	4,054.40	34,289.23
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	595.18	195.91	776.39	1,567.47
व्यापार प्राप्तियों की संवहन राशि (हानि का शुद्ध)		**27,805.57**	**1,182.81**	**455.37**	**3,278.01**	**37,721.76**

31 मार्च, 2023 तक (रु. लाख में)

काल प्रभावन	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
सकल वहन राशि	नोट–9	1,668.86	354.82	1,475.39	1,904.38	5,403.45
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)		-	92.80	336.85	1,483.52	1,913.17
व्यापार प्राप्तियों की संवहन राशि (हानि का शुद्ध)		**1,668.86**	**262.02**	**1,138.54**	**420.86**	**3,490.28**

गः उच्च ऋण जोखिम

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31 मार्च, 2024 के अनुसार (रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
व्यापार प्राप्य	नोट–9	1,370.32	1,370.32	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–6, 12	54.37	54.37	-

31 मार्च, 2023 तक (रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	संवहन राशि	हानि	हानि प्रावधान की शुद्ध संवहन राशि
व्यापार प्राप्य	नोट–9	1,226.62	1,226.62	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	नोट–6, 12	46.37	46.37	-

हानि प्रावधान का मिलान – व्यापार प्राप्तियां (उच्च और मध्यम जोखिम) (रु. लाख में)

हानि भत्ते का मिलान	हानि भत्ते
1 अप्रैल, 2022 को हानि भत्ता	**3,119.26**
मान्यता प्राप्त हानि भत्ता (शुद्ध)	7.52
हानि भत्ते का उत्क्रमण (शुद्ध)	-
31 मार्च 2023 को हानि भत्ता	**3,126.78**
मान्यता प्राप्त हानि भत्ता (शुद्ध)	(188.99)
हानि भत्ते का उत्क्रमण (शुद्ध)	-
31 मार्च 2024 को हानि भत्ता	**2,937.79**

(ख) नकदी प्रवाह जोखिम

कंपनी की नकदी प्रवाह के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं, जो संचालन के नकदी प्रवाह से उत्पन्न होते हैं। कंपनी के पास कोई बैंक से बकाया उधारी नहीं है। कंपनी का मानना है कि परिचालन से नकदी प्रवाह उसकी मौजूदा नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएं कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण करती हैं। तालिका में प्रकट की गई राशियाँ संविदात्मक बिना छूट वाले नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशि उनके संवहन शेष के बराबर है, क्योंकि छूट का प्रभाव नगण्य है।

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2024 के अनुसार	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट–16	6.49	5.47	11.96
देय व्यापार	नोट–18	71,892.00	-	71,892.00
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट–19	12,423.74	-	12,423.74
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	नोट–19	84.10	-	84.10
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट–19	7,870.00	-	7,870.00
अन्य देनदारियां	नोट–19	17,123.65	-	17,123.65
कुल		**1,09,399.98**	**5.47**	**1,09,405.46**

*पट्टा देयता की विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल के लिए नोट 45 देखें

31 मार्च, 2023 के अनुसार	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट–16	1.63	1.78	3.41
देय व्यापार	नोट–18	49,248.51	-	49,248.51
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट–19	13,280.74	-	13,280.74
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	नोट–19	227.94	-	227.94
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट–19	228.91	-	228.91
अन्य देनदारियां	नोट–19	29,204.33	-	29,204.33
कुल		**92,192.06**	**1.78**	**92,193.84**

*पट्टा देयता की विस्तृत परिपक्वता प्रोफाइल के लिए नोट 44 देखें

31 मार्च, 2023 के अनुसार	नोट संदर्भ	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे की देयताएं*	नोट–16	1.50	3.41	4.91
देय व्यापार	नोट–18	43,230.81	-	43,230.81
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	नोट–19	15,496.65	-	15,496.65
होल्डिंग कंपनी को देय राशि	नोट–19	59.57	-	59.57
बुक ओवरड्राफ्ट	नोट–19	234.30	-	234.30
अन्य देनदारियां	नोट–19	36,637.11	-	36,637.11
कुल		**95,659.94**	**3.41**	**95,663.36**

(ग) बाजार जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम

अनारक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

प्रतिवेदन की तिथि के रूप में अनियंत्रित विदेशी मुद्रा जोखिमों की विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार		01 अप्रैल, 2022 के अनुसार	
	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा	राशि (₹ लाख में)	विदेशी मुद्रा
व्यापार प्राप्य	1137.39	एमयूआर 6,32,68,996.74	193.24	एमयूआर 1,06,86,601.04	601.53	एमयूआर 3,59,37,858.76

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है, जो विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी जोखिम के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय को विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है) से संबंधित है। विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रतिलाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है।

मुद्रा संवेदनशीलता	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
भारतीय रुपया आईएनआर/एमयूआर– की वृद्धि हुई: (31 मार्च 2024 5%)	56.87	-
आईएनआर/एमयूआर– की कमी हुई: (31 मार्च 2024 5%)	(56.87)	-
आईएनआर/यूएसडी– की वृद्धि: (31 मार्च 2023 5%)	-	9.66
आईएनआर/यूएसडी– की कमी: (31 मार्च 2023 5%)	-	(9.66)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखना

कंपनी किसी अन्य बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

नोट–43

पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

– एक लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुरक्षित रखना ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें, और

– पूँजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह ऋण को कम करने के लिए शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है, या संपत्ति बेच सकता है, (शुद्ध ऋण में उधार कम नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं)। उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित लाभ–देयता अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी	180.01	180.01
अन्य इक्विटी	19,145.35	16,041.73
कुल इक्विटी	**19,325.36**	**16,221.74**

संबंधित वर्षों के अंत तक कंपनी पर कोई बकाया ऋण नहीं है। तदनुसार, कंपनी का पूंजी गियरिंग अनुपात 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को शून्य है।

नोट–43

भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व मान्यता पर नोट

1. मान्यता प्राप्त राजस्व

राजस्व में मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श के माध्यम से सेवा की बिक्री शामिल है। नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विघटन निर्धारित किया गया है: (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(क) सेवा की बिक्री		
(क) परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा	1,38,113.82	1,22,454.71
(ख) अन्य सहायक राजस्व		
(क) निविदा दस्तावेजों की बिक्री	23.98	2.68
कुल राजस्व	**1,38,137.80**	**1,22,457.39**

*कंपनी एकल खंड यानि सेवा की बिक्री– परियोजना प्रबंधन परामर्श संचालित करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकृति, राशि और समय के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अलग–अलग राजस्व प्रस्तुत करती है। (रु. लाख में)

क्र. सं.	स्वभाव द्वारा सेवाओं के प्रकार	अनुबंध प्रकार के अनुसार सेवाओं के प्रकार	समयानुसार सेवाओं के प्रकार	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
1	परियोजना प्रबंधन परामर्श	लागत प्लस अनुबंध	समय की अवधि में	1,38,113.82	1,22,454.71
				1,38,113.82	**1,22,454.71**

2. ग्राहकों के साथ अनुबंध से संबंधित परिसंपत्तियां और देनदारियां

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्तियों, अनुबंध की संपत्ति और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	वर्तमान	वर्तमान
सेवा की बिक्री से संबंधित संविदा देनदारियां		
ग्राहकों से अग्रिम	1,50,250.58	2,21,987.16
अग्रिम में प्राप्त राजस्व	4,149.19	5,757.31
	1,54,399.77	**2,27,744.47**
सेवा की बिक्री से संबंधित संविदा परिसंपरियाँ		
व्यापार प्राप्य	34,289.23	6,617.06
घटाएः अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(2,937.79)	(3,126.78)
शुद्ध प्राप्य	**31,351.44**	**3,490.28**
बिना बिल वाला राजस्व	27,247.19	42,423.14
	58,598.63	**45,913.42**

एक प्राप्य विचार का अधिकार है, जो समय बीतने पर बिना शर्त हो जाता है। अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर मान्यता दी जाती है।

ग्राहकों के लिए बिलिंग किया जाना अनुबंध में परिभाषित मापदण्डों पर आधारित है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व निर्धारण का समय ग्राहकों को बिलिंग किए जाने के समय से अलग होगा। बिलिंग से अधिक राजस्व को बिल नहीं किए गए राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है, और इसे अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी भी राशि को पहले एक अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में संलग्न शर्त के अनुसार मान्यता प्राप्त है, अर्थात भविष्य की सेवा, जो बिलिंग मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तथा इन्हें इसकी संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक के चालान को अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिम रूप से प्राप्त राजस्व के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को निर्माण अवधि के दौरान प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

3. अनुबंध देनदारियों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व

निम्न तालिका दर्शाती है कि वर्तमान प्रतिवेदन अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व का कितना हिस्सा अग्रेषित अनुबंध देनदारियों से संबंधित है।(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल किया गया था	1,43,383.45	1,12,713.91
पिछले वर्षों में प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया गया	-	-
कुल	**1,43,383.45**	**1,12,713.91**

4. अनुबंध परिसंपत्तियों और देनदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(रु. लाख में)

अनुबंध देनदारियां – ग्राहकों से अग्रिम	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
अनुबंध देनदारियों का प्रारंभिक शेष – ग्राहकों से अग्रिम	2,21,987.16	2,46,032.00
घटाएं: अनुबंध देनदारियों को खोलने के खिलाफ मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(1,40,899.50)	(1,10,499.92)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों की शेष राशि में शुद्ध वृद्धि	69,162.93	86,455.08
अनुबंध देनदारियों का समापन शेष – ग्राहकों से अग्रिम	**1,50,250.58**	**2,21,987.16**

अनुबंध देनदारियाँ – प्राप्त अग्रिम राजस्व	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अनुबंध देनदारियों का आरंभिक शेष – प्राप्त अग्रिम राजस्व	5,757.31	5,790.39
घटाएँ: आरंभिक अनुबंध देनदारियों पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(2,483.95)	(2,213.99)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए अनुबंध देनदारियों के शेष में शुद्ध वृद्धि	875.83	2,180.91
अनुबंध देनदारियों का अंतिम शेष – प्राप्त अग्रिम राजस्व	**4,149.19**	**5,757.31**

अनुबंध परिसंपत्तियाँ – बिल न किया गया राजस्व	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अनुबंध परिसंपत्तियों का आरंभिक शेष – बिल न किया गया राजस्व	42,423.14	47,755.60
घटाएँ: आरंभिक अनुबंध परिसंपत्तियों पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि	(24,733.69)	(26,018.17)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए अनुबंध परिसंपत्तियों के शेष में शुद्ध वृद्धि	9,557.74	20,685.71
अनुबंध परिसंपत्तियों का अंतिम शेष – बिल न किया गया राजस्व	**27,247.19**	**42,423.14**

5. शेष निष्पादन दायित्व

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 में दिए गए व्यावहारिक उपाय को लागू करते हुए, कंपनी ने अनुबंधों के लिए शेष प्रदर्शन दायित्व संबंधित प्रकटीकरण का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मान्यता प्राप्त राजस्व सीधे इकाई के प्रदर्शन के ग्राहक के मूल्य से मेल खाता है, जो अब तक पूरा हुआ है। शेष प्रदर्शन दायित्व अनुमान परिवर्तन के अधीन हैं जो कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे अनुबंधों के दायरे में परिवर्तन, आवधिक पुनर्वैधीकरण, समाप्ति और राजस्व के लिए समायोजन, जो उक्त तिथि तक अमल में नहीं आये हैं।

नोट–44

भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टों पर नोट

उपयोग के अधिकार की संपत्ति की प्रकृति

क. पट्टे वाली भूमि में प्लॉट सं. ई–6ए, ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नौएडा, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को लीज डीड की तारीख से 90 साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया है, जिसका मूल्य 1996 से शुरू होकर रु. 57.49 लाख और 2006 से रु. 389.16 लाख मूल्य का है।

ख. कंपनी कार्यालय सुविधाओं को पट्टे पर देती है जिसका उपयोग कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। पट्टे की अवधि 3 वर्ष की है जिसमें पट्टेदाता और पट्टेधारक की आपसी सहमति से विस्तार करने का विकल्प है।

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उपयोग के अधिकार की संपत्ति के लिए मूल्यह्रास शुल्क	6.70	6.41
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज	0.19	0.36
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय*	9.09	5.00
कुल खर्च	**15.96**	**11.77**

*लघु अवधि के पट्टों के खर्चों में 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए विभिन्न स्थल कार्यालयों के पट्टे शामिल हैं। ये पट्टा व्यवस्था, जो रद्द करने योग्य हैं, आम तौर पर आपसी सहमति से नवीकरणीय हैं।

पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा देयताओं के खिलाफ नकद बहिर्वाह	1.80	1.86
अल्पावधि पट्टों के लिए नकद बहिर्वाह	9.09	5.00
कुल नकद बहिर्वाह	**10.89**	**6.86**

पट्टा दायित्व में संचलन

विवरण	(₹ लाख में)
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**4.91**
अतिरिक्त	-
ब्याज में वृद्धि	0.36
हटाए गए	-
पट्टे की देयता का भुगतान	(1.86)
31 मार्च, 2023 के अनुसार शेष राशि	**3.41**
अतिरिक्त	13.57
ब्याज में वृद्धि	0.19
हटाए गए	(3.41)
पट्टे की देयता का भुगतान	(1.80)
31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष राशि	**11.96**
गैर–वर्तमान	5.47
वर्तमान	6.49
31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष राशि	**11.96**

पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को
1 वर्ष के भीतर	6.49
1–3 वर्ष	5.47
3 वर्ष से अधिक	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष राशि	**11.96**

कंपनी को अपनी पट्टा देनदारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण नकदी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान संपत्ति पट्टा देनदारियों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जब और जहाँ कहीं वे देय हो जाते हैं।

कंपनी "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" में उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति और इसके अंतर्गत "अन्य वित्तीय देनदारियाँ" पट्टा दायित्व प्रस्तुत करती है।

नोट–45

अनुपात

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं

क्र.सं.	विशेष	अंश	भाजक	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	टिप्पणियां	25% से अधिक विभिन्नता का कारण
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयता	1.05	1.02	टाइम्स में	
2	ऋण इक्विटी अनुपात			नहीं	नहीं	कंपनी पर कोई कर्ज नहीं	
3	ऋण सेवा परिव्यास अनुपात			नहीं	नहीं	कंपनी पर कोई कर्ज नहीं	
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत शेयरधार इक्विटी	22.26%	14.83%		राजस्व में वृद्धि के कारण इक्विटी अनुपात पर रिटर्न 51.53% बढ़ गया है, हालांकि इक्विटी में तदनुसार वृद्धि नहीं की गई है। अन्य आय और अन्य परिचालन आ
5	वस्तु सूची पण्यावर्त अनुपात			नहीं	नहीं	कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं	
6	व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	6.95	15.84	टाइम्स में	वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदान की गई सेवाओं की क्रेडिट बिक्री के कारण अनुपात में 55.95% की कमी आई है और इसकी वसूली बाद में की जाएगी।
7	व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	कार्य और परामर्श व्यय	औसत व्यापार देय	2.12	2.23	टाइम्स में	
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	कार्यशील पूंजी	11.46	14.36	टाइम्स में	
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	सेवाओं के मूल्य के लिए राजस्व	2.86%	2.06%		राजस्व में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ अनुपात में 40.09% की वृद्धि हुई है, अन्य आय और अन्य परिचालन आय में भी वृद्धि हुई है।
10	नियोजित पूंजी पर वापसी	टैक्स से पहले कमाई	शेयरधारकों की इक्विटी	28.26%	14.42%		राजस्व में वृद्धि के कारण आरओसीई में 97.38% की वृद्धि हुई है, अन्य आय और अन्य परिचालन आय में भी वृद्धि हुई है। हालाँकि नियोजित पूंजी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
11	निवेश पर वापसी			नहीं	नहीं	कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया	

नोट–46

बंद की गई कंपनियों के साथ एचएससीसी का संबंध

हटाई गई कंपनियों का नाम	लेन–देन की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लूट	31.03.2024 तक शेष ओ/एस	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लूट	31.03.2023 तक शेष ओ/एस	हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध
बुद्धा एनएन मेडिकेयर/ग्लेनमार्क लिमिटेड	देय	-	2.79	-	2.79	विक्रेता
केयर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	देय	-	0.01	-	0.01	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	देय रोकें	-	0.43	-	0.43	विक्रेता
सहदेव ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड*	देय	-	0.00	-	0.00	विक्रेता
फार्माशिया लिमिटेड	देय	-	0.07	-	0.07	विक्रेता
सेवा मेडिकल लिमिटेड***	देय	-	-	-	30.54	विक्रेता
यूनी एजेंसीज़ लिमिटेड	देय	-	0.15	-	0.15	विक्रेता
डिविंटर ऑप्टिकल प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.14	0.06	0.14	विक्रेता
स्टार कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड*	देय	-	0.00	-	0.00	विक्रेता
टीपीएस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	देय	-	0.03	-	0.03	विक्रेता
एकेए कंसल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड**	वापस लिखा	0.15	-	-	-	विक्रेता
डिवाइन मेडीहेल्थ प्राइवेट लिमिटेड**	वापस लिखा	0.01	0.01	-	-	विक्रेता
माई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**	निविदा दस्तावेजों की बिक्री	0.10	0.10	-	-	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**	देय	-	1.12	-	-	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**	एसडी देय	-	0.52	-	-	विक्रेता
पसरीचा सर्जिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**	ईएमडी देय	-	1.00	-	-	विक्रेता
इकबाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एड**	देय	-	0.11	-	-	विक्रेता
	कुल	**0.26**	**6.48**	**0.06**	**34.17**	

*1 हजार राशि रुपये से कम है.

** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहचान की गई

*** नोट–48 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सक्रिय, हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह निष्क्रिय था।

नोट–47

इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटीकरण – 'लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' और इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'

'इंड एएस 8 'लेखा नीति;, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' तथा इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 और 1 अप्रैल, 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत) की अपनी बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण नीचे बताए गए कारणों से पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया है:

कंपनी ने पिछले वर्षों के राजस्व, व्यय और क्रमशः परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विचार करना छोड़ दिया है। अब कंपनी ने तुलनात्मक वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 और तुलनात्मक अवधि की शुरुवात यानि 1 अप्रैल, 2022 की अपनी बैलेंस शीट को फिर से प्रस्तुत किया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में राजस्व में वृद्धि और व्यय में वृद्धि हुई है। तदनुसार कर के बाद लाभ पर शुद्ध प्रभाव शून्य है।

पुनर्निर्धारित बैलेंस शीट लेखांकन की कुछ व्यापक अवधारणाओं के साथ बेहतर प्रस्तुति प्रदान करती है, जैसे परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिक सटीक प्रतिबिंब, लागत और राजस्व का बेहतर मिलान, भौतिक परिसंपत्तियों की लागत का अधिक सटीक आवंटन और इसलिए इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर लेनदेन और स्थितियों के प्रभावों के बारे में विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है।

वित्तीय विवरण पंक्ति मदों का समाधान जो पूर्वव्यापी रूप से पुनः घोषित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं (जहां तक संभव हो):

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान:

(रु. लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
I.	**संचालन से राजस्व**				
	लैपक्यू एलएस जेकेटीलो	22	1,10,262.10	12,192.61	1,22,454.71
	अन्य परिचालन राजस्व	23	23.82	0.00	23.82
II.	**अन्य आय**	24	135.49	0.00	135.49
III.	**कुल आय (I + II)**		**1,22,614.02**	0.00	**1,22,614.02**
				-	
IV.	**खर्च**			-	
	कार्य एवं परामर्श व्यय	25	1,03,129.39	12,192.61	1,15,322.00
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	4,078.59	(0.00)	4,078.59
	वित्त लागत	27	0.36	0.00	0.36
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	145.16	0.00	145.16
	अन्य व्यय	29	729.16	(0.00)	729.16
	कुल व्यय		**1,20,275.27**	(0.00)	**1,20,275.27**

	विवरण	नोट संख्या	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
V.	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		**2,338.75**	(0.00)	**2,338.75**
VI.	**असाधारण वस्तुएँ (आय)/व्यय**		-	-	-
				-	
VII.	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**2,338.75**	-	**2,338.75**
				-	
VIII	**कर व्ययः**	30		-	
	(1) वर्तमान कर		366.69	(0.00)	366.69
	(2) आस्थगित कर		(117.87)	(0.00)	(117.87)
	(3) पहले के वर्षों के संबंध में कराधान		(177.41)	0.00	(177.41)
IX	**वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)**		**2,267.34**	**-**	**2,267.34**
				-	
X	अन्य व्यापक आय	31		-	
	क (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		110.26	-	110.26
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ/हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(27.75)	-	(27.75)
	ख (i) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-	-
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय**		**2,349.85**	0.00	**2,349.85**
XII	प्रति शेयर आय (प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य ₹ 100)	32		-	
	(1) आधारभूत (₹ में)		1,259.54	-	1,259.54
	(2) मन्दित (₹ में)		1,259.54	-	1,259.54

वित्तीय विवरण लाइन आइटम का सामंजस्य जो पूर्वव्यापी रूप से पुनर्निर्धारित हैं, निम्नानुसार हैं (जहां तक व्यवहार्य है): 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण की पुनर्निर्धारित वस्तुओं का सामंजस्यः पुनर्निर्धारित होने के परिणामस्वरूप राजस्व में 12192.61 लाख रुपये की वृद्धि हुई 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 12192.61 लाख रुपये। तदनुसार कर के बाद लाभ पर शुद्ध प्रभाव शून्य है।

नोट–48

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के खाते के लेन–देन की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नमूना जांच के दौरान, 2926 लाख रुपये की राशि के महत्वपूर्ण लेन–देन पाए गए, जिन्हें "संदिग्ध विश्वसनीयता के लेन–देन" कहा जा सकता है। इंड एएस–101 के अनुसार 01 अप्रैल 2017 तक रिजर्व से 2926 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था क्योंकि लेन–देन वित्त वर्ष 2016–17 से पहले की अवधि से संबंधित हैं। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है।

फोरेंसिक ऑडिट की पिछली रिपोर्ट कंपनी को 19 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई और ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, 490.07 लाख रुपये को छोड़कर कोई अतिरिक्त धोखाधड़ी नहीं पाई गई। 490.07 लाख रुपये में से, 248.55 लाख रुपये बैंक द्वारा एचएससीसी को भुगतान किए गए हैं। इसलिए, आकस्मिकता का अतिरिक्त प्रावधान 2684.55 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2021–22 में वापस लिखा गया है और 241.52 लाख रुपये का शेष अभी भी प्रावधान में पड़ा हुआ है क्योंकि इसे बैंक से प्राप्त किया जाना है।

नोट–49

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान वित्तीय वर्ष 2021–22 तक दो असम्बद्ध बैंक खाते थे और उन्हें समेट दिया गया और 241.52 लाख रुपये को नोट संख्या में संपत्ति के रूप में दर्ज और दिखाया गया है। 12. इसके लिए प्रावधान पिछले वर्ष में ही किया जा चुका था, जिसे नोट संख्या 21 से हटाकर नोट संख्या 12 में पुनः समूहीकृत किया गया है।

नोट–50

कुछ परियोजनाएँ ऐसी हैं जो भौतिक रूप से बंद हैं, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएँ ग्राहक को सौंप दी गई हैं और कुछ परियोजनाएँ सौंपने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी इन परियोजनाओं को वित्तीय रूप से बंद करने का प्रयास कर रही है। प्रबंधन को वित्तीय विवरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है। भौतिक रूप से बंद परियोजनाओं की कुल संपत्ति और कुल देनदारियां 31 मार्च, 2023 तक ₹ 1,37,612.84 लाख (पिछले वर्ष – ₹ 1,63,489.21 लाख) है।

नोट–51

कंपनी के प्रमुख ग्राहक मंत्रालय, सरकारी विभाग, सरकारी प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। व्यापार प्राप्य की प्रकृति में ग्राहकों के शेष, ऋण और अग्रिम, बयाना राशि जमा, सुरक्षा जमा और वर्तमान एवं गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत व्यापार प्राप्य की प्रकृति में जमा और व्यापार देय भी पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन को इस तरह के मेल–मिलाप पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

नोट–52

अन्य खुलासे

(क) आरबीआई द्वारा जारी विलफुल डिफॉल्टर्स पर दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या उसके संघ द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ख) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ग) कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान क्रिप्टो करैंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(घ) कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अंतिम लाभार्थी की ओर से उधार देने या निवेश करने या गारंटी प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति या इकाई को न तो अग्रिम, उधार या निवेशित फंड दिया है और न ही कोई फंड प्राप्त किया है।

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

(च) कंपनी का कोई भी लेन–देन खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सौंपा गया हो या प्रकट नहीं किया गया हो।

(छ) वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

(ज) कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के नियम 2(2)(डी) के अनुसार, परतों की संख्या की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(झ) कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई फंड आधारित ऋण/सीमा नहीं ली है। इसलिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए उधार का उपयोग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नोट–53

कंपनी ने मॉरीशस में तैनात कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते के भुगतान के लिए 31 मार्च, 2022 को एक विदेशी शाखा खोली है। शाखा की रिपोर्टिंग मुद्रा भारतीय रुपया (आईएनआर) है। कंपनी के वित्तीय विवरण में उक्त शाखा के ₹ 130.64 लाख की संपत्ति और देनदारियां शामिल हैं और सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में अनुवादित किया जाता है और विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है।

नोट–54

पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहीकृत और या पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जहां कहीं आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के समूहीकरण और/या वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक हैं। नकारात्मक आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं।

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते दस्सानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 009096C/C400365

ह/–
सीए अभिषेक महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या: 402561

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22-05-2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/–
(के.पी. महादेवस्वामी)
चेयरमैन
(डीआईएन: 10041435)

ह/–
(नौमान अहमद)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 10054994)

ह/–
(सोनिया सिंह)
कंपनी सचिव
एम. नं. : एसीएस–24442

ह/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन : APCPS6170G)

ह. स. कं. क. HSCC एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6 (ए), सैक्टर 1, नौएडा – उ. प्र. – 201301
दूरभाष. – 91–120–2542436–40 | फैक्स – 91–120–2542447 | ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in | सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459

एमजीटी–11ः प्रॉक्सि प्रपत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

नाम

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सीआईएनः
कंपनी का नामः
पंजीकृत कार्यालयः

मैं/हम .... का सदस्य होने के नाते, ... शेयर धारित करते हैं एतद्वारा नियुक्त करता हूं

सदस्य (सदस्यों) का नामः ....
....
पंजीकृत पताः ....
....
ईमेल आईडीः .... फोलियो नंबर / क्लाइंट आईडीः ....
डीपी आईडीः ....

1. नामः ....-
   पताः
   ई–मेल आईडीरू
   हस्ताक्षरः ...., या उसके विफल होने पर
2. नामः ....-
   पताः
   ई–मेल आईडीः
   हस्ताक्षरः ....

20 सितंबर, 2024 को एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, में आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में, गरवी गुजरात भवन, 25–बी, अकबर रोड, मान सिंह रोड एरिया, नई दिल्ली–110001 और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

संकल्प संख्या

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा–परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100/– रु. प्रति 660 रुपये प्रति पेड अप इक्विटी शेयर रुपये का अंतिम लाभांश घोषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
4. कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री नौमान अहमद (डीआईएन 10054994) की नियुक्ति को नियमित करना।
5. कंपनी के निदेशक (इंजीनियरिंग), पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री रवि रंजन (डीआईएन 10057427) की नियुक्ति को नियमित करना।

2024 के .... दिन .... को हस्ताक्षर किए गए
शेयरधारक के हस्ताक्षर
प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

नोटः प्रॉक्सी का यह रूप प्रभावी होने के लिए बैठक शुरू होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रूप से पूरा और जमा किया जाना चाहिए।

ह. स. कं. क. HSCC एक मिनीरत्न कंपनी

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

ई–6 (ए), सैक्टर 1, नौएडा – उ. प्र. – 201301
दूरभाष – 91–120–2542436–40 | फैक्स – 91–120–2542447 | ईमेल – hsccltd@hsccltd.co.in
वेबसाइटः www.hsccltd.co.in | सीआईएन नंबरः U74140DL1983GOI015459

उपस्थिति पर्ची

कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और इसे हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

पंजीकृत फोलियो नं. ________/डीपी आईडी ____________ क्लाइंट आईडी/लाभार्थी खाता सं. _____________ धारित शेयरों की सं._______

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए एक पंजीकृत शेयरधारक/प्रॉक्सी हूं और इसके द्वारा शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को गरवी गुजरात भवन, 25–बी अकबर रोड, मान सिंह रोड एरिया, नई दिल्ली–110001 में कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं।

____ सदस्य/प्रॉक्सी का नाम बड़े अक्षरों में सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर नोटः

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नोट्स

नोट्स

एक मिनीरत्न कंपनी

कॉरपोरेट कार्यालय :
ई–6(ए), सैक्टर–1, नोएडा–201 301 (उ0प्र0)
फोन : 91–120–2542436–40
फैक्स : 91–120–2542447
ईमेल : hsccltd@hsccltd.co.in

पंजीकृत पता :
205 (दूसरी मंजिल), ईस्ट एंड प्लाजा,
प्लॉट नं. 4, एलएससी, सेंटर–II
वसुंधरा एनक्लेव,
नई दिल्ली–110096 (भारत)

Designed & Printed by Paromita Advertising Agency Pvt. Ltd.